खण्ड–495, अंक–8
मंगलवार, 04 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(23 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7
प्रश्नों के समय मुख्य मंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री व विभागीय मंत्री की अनुपस्थित पर क्षोभ	7–8
प्रश्नोत्तर	9–109
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार	109–114
बीकापुर, फैजाबाद से उप चुनाव में निर्वाचित श्री आनन्द सेन द्वारा शपथ–ग्रहण ...	114–115
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	115–116
लखनऊ में फैजाबाद रोड से हाई कोर्ट परिसर में आने वाले वाहनों के प्रवेश हेतु एक भूमिगत मार्ग अण्डर पास का अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116–117
जनपद आगरा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की कतिपय कालोनियों में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	117
जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की नदियों पर पत्थर लगा कर घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बल्दीराय में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद हाथरस विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र ब्लाक शिवपुर श्री जंगलीनाथ बाबा प्राचीन मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, विकास तथा पर्यटन स्थल में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भानुपुर एवं रुधौली तहसील के किसानों को आपदा राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद मथुरा में गम्भीर पेयजल की समस्या को देखते हुए मीठा पेयजल	119–121

उपलब्ध कराने, जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने एवं पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मथुरा में बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत, नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में असमानता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	121–122
उ0 प्र0 के राजकीय विभागों में शासनादेश संख्या–वे0–आ0–2–2063/दस–54 (एस)–2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 का अनुपालन वन निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122–123
प्रदेश की मण्डी में गुड़ एवं शक्कर पर मण्डी शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123
प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में बैठने से प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को विरत करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद मुरादाबाद की ईसापुर से इमरतपुर सिरसी सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज की कतिपय ग्राम सभाओं में गिरते भू–जल स्तर से पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु पाइप पेयजल परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124–125
औचित्य के प्रश्न की सूचना	125
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016...	125
सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचना	125
श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	126
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	126
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	126
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	126–127
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जांच सम्बन्धी	127

समिति (2015–2016) का बीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 127

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में फिरोजाबाद रोड मण्डी समिति के पास चर्चित वाटिका से ब्रह्मनगरी (बसेरा कालोनी) तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिलीप सोनी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	127
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के प्रकाश नगर में पातीराम कुशवाहा की मार्केट से विजय सिंह चक्की वाले के मकान से होते हुए शमशान घाट तक नई सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	127–128
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की मांट ब्रांच से निकलने वाली नहरें धगैंटा, कुरसण्डा व सैमरा एवं सहपऊ रजवाह, बरहन रजवाह, फिरोजाबाद रजवाह की सफाई कराकर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री वेद प्रकाश त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	128
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में हाथरस रोड स्थित चन्द्र नगर चौराहे से के0एस0 पब्लिक स्कूल वाली पुलिया तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय चौहान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	128
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई कराकर किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री कोलम सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	128
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई कराकर किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री कोलम सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	128
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अकोला विकास खण्ड को तहसील बनाये जाने विषयक श्री राजवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	129
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में नगर पंचायत किरावली को नगर पालिका बनाये जाने विषयक श्री मनोज आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित	129

की गई) ... ...

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में अवस्थापना निधि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा अकबरा, मांगरौल, खड़वाई, लोहकरेरा रूनकता एवं पनवारी क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 129

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम बस्तोई से ग्राम बसई बावस होते हुए जनपद हाथरस के बार्डर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	129
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–अलीगढ़ मार्ग से ग्राम मीरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनवीर शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	129
जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–हाथरस मार्ग से ग्राम मनोरा होते हुए ग्राम–गिरधरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनीष नायक आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	129–130
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	130
जनपद शाहजहांपुर के तिलहर अन्तर्गत निगोही–तिलहर मार्ग पर स्थित गर्रा नदी पर पुल एवं क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	130
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	130
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम–निर्देशित करने हेतु भी अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	131
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	131–143
मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में गठित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार ...	143–173

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सूखे की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 नेता विरोधी दल व अन्य श्री प्रदीप माथुर व अन्य तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्यगण द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन 173

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	173–175
जन सन्देश टाइम्स दैनिक समाचार–पत्र अम्बेडकर नगर के ब्यूरो चीफ श्री करुण मिश्र की 13 फरवरी, 2016 को हुई क्रूर एवं निर्मम हत्या के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य.... (स्थगन) ...	175
जनपद जालौन के उरई नगर के मोहल्ला लहरिया पूरा की भूमि को भू–माफियाओं को बेचे जाने के उपरान्त बस्तियों पर बुल्डोजर चलवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सन्तराम कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	175–176
जनपद गोरखपुर के थाना चौरी–चौरा अन्तर्गत पार्टी कार्यालय पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–0466/2015 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत) ...	176
जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... (व्यपगत)	177
जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा अन्तर्गत ग्राम सिंगापुर से जेठरा होते हुए सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत)	177
जनपद कुशीनगर स्थित नवनिर्मित खड्डा नगर तहसील को यथा स्थान रखे जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपग	177
जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलैट को डार्क श्रेणी से हटाकर ग्रे श्रेणी में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्ररहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत)	177

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कतिपय ग्रामों के घरों के ऊपर से खींचे 11000 वोल्ट हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 177–178

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिसर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने खर्चे पर एक निश्चित सीमा तक बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्यपगत)	178
जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में कोनिया घाट के सामने वरुणा नदी पर पूर्वांचल राज्यांश अथवा अन्य किसी मद से पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत) ...	179
बरेली महानगर में 78 करोड़ से अधिक यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बने 17 ओवर हेड टैंकों द्वारा शीघ्र पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य... .. (व्यपगत)	179
स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में तैनात संयुक्त निदेशक क्षय/राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के साथ की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अविनाश कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	179
प्रदेश के बन्द पड़े लगभग 17000 ईंट भट्ठों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	179–180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–267

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
13. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
15. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
16. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
17. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
18. अमित गौरव यादव, श्री एटा
19. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
21. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
22. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
23. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
24. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
25. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
26. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
27. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
28. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
29. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
30. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
31. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
32. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
33. इकबाल, श्री बिजनौर
34. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
35. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
36. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
37. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
38. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
39. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
40. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
41. उदयराज, श्री उन्नाव
42. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
43. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
44. उमाशंकर, श्री बलिया
45. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
46. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
47. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
48. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
49. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
50. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
51. काली चरन सुमन, श्री आगरा
52. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
53. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
54. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
55. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर

56. कैलाश, श्री गाजीपुर
57. गजराज सिंह, श्री हापुड़
58. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
59. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
60. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
61. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
62. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
63. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
64. गोमती यादव, श्री लखनऊ
65. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
66. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
67. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
68. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
69. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
70. जफर आलम, श्री अलीगढ़
71. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
72. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
73. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
74. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
75. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
76. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
77. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
78. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
79. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
80. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
81. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
82. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
83. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
84. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
85. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
86. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
87. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
88. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
89. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
90. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
91. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
92. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
93. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
94. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
95. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
96. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
97. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
98. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
99. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
100. पीतमराम, श्री पीलीभीत
101. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
102. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
103. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
104. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
105. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
106. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
107. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
108. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
109. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
110. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
111. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
112. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
113. बदलू खां, श्री उन्नाव
114. बाबूलाल, श्री गोण्डा
115. बावन सिंह, श्री गोण्डा
116. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
117. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
118. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
119. बैजनाथ, श्री मऊ
120. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा

121. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
122. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
123. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
124. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
125. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
126. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
127. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
128. मनीष रावत, श्री सीतापुर
129. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
130. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
131. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
132. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
133. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
134. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
135. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
136. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
137. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
138. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
139. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
140. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
141. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
142. मो0 अयूब, डा0 सन्त कबीर नगर
143. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
144. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
145. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
146. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
147. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
148. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
149. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
150. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
151. यासर शाह, श्री बहराइच
152. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
153. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
154. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
155. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
156. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
157. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
158. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
159. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
160. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
161. रवि शर्मा, श्री झांसी
162. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
163. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
164. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
165. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
166. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
167. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
168. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
169. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
170. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
171. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
172. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
173. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
174. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
175. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
176. राधे श्याम, श्री अमेठी
177. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
178. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
179. राम करन आर्य, श्री बस्ती
180. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
181. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
182. राम गोविन्द, श्री बलिया
183. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
184. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
185. रामपाल यादव, श्री सीतापुर

186. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
187. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
188. राम मगन, श्री बाराबंकी
189. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
190. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
191. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
192. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
193. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
194. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
195. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
196. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
197. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
198. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
199. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
200. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
201. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
202. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
203. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
204. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
205. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
206. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
207. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
208. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
209. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
210. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
211. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
212. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
213. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
214. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
215. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
216. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
217. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
218. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
219. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
220. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
221. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
222. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
223. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
224. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
225. शाकिर अली, श्री देवरिया
226. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
227. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
228. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
229. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
230. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
231. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
232. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
233. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
234. संजय कपूर, श्री रामपुर
235. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
236. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्धनगर
237. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
238. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
239. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
240. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) श्री मेरठ
241. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
242. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
243. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
244. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
245. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
246. सियाराम सागर, डा0 बरेली
247. सीमा, श्रीमती जौनपुर
248. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
249. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
250. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद

251.	सुधाकर, श्री	मऊ	260.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
252.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	261.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
253.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	262.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
254.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	263.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
255.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर	264.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
256.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	265.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
257.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	266.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
258.	सुरेश राणा, श्री	शामली	267.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
259.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर			

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गुर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

ख11.05, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश में किये गये निवेश प्रस्ताव की जानकारी

''01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 04 जनवरी, 2016 को आगरा में आयोजित सम्मेलन में प्रवेश के कितने एन0आर0आई0 सम्मिलित हुए थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सम्मेलन में प्रदेश में निवेश करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अब ऐसा भी न हो एक भी माननीय मंत्री वहां पर नहीं हैं। यह तो सरकार की सदन की कार्यवाहियों में अरुचि है यानि सरकार के पास जवाब देने के लिए समय नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर सदन में अनुपस्थित)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें रुचि है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, रुचि है तो बाद में आयेगा।

प्रश्नों के समय मुख्य मंत्री सहित संसदीय कार्य मंत्री व विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति पर क्षोभ

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे प्रश्नकाल की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं और विभागीय मंत्री भी यहां पर नहीं हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल स्थगित करिए। अगर सरकार को विपक्ष के किसी सवाल का जवाब देने में रुचि नहीं है तो प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

जब संसदीय कार्य मंत्री न हों तो यह व्यवस्था है जवाब देने की सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रि–मण्डल की है और मंत्रि–मण्डल के सदस्य बैठे हैं, कोई भी उत्तर दे सकता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है। माननीय अध्यक्ष जी, इनके पास तो उत्तर भी नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए, अब आप लोग यही करना चाहते हैं। ऐसा है कि मंत्रि–मण्डल के माननीय सदस्य इसमें बैठे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी है और भारसाधक मंत्री किसी को भी दे सकते हैं, वह बोल सकता है, जवाब दे सकता है। यह नियम है और आप सब नियम

जानते हैं। आप तो सारे नियम जानते हैं तो क्यों हल्ला कर रहे हैं ? आप जब सारे नियम जानते हैं तो फिर यहां क्यों शोर मचा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति वर्मा–

दिनांक 04 जनवरी, 2016 को आगरा में आयोजित प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस के आयोजन में 231 अप्रवासी भारतीयों ने प्रतिभाग किया।

उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से अवगत कराने तथा मातृ भूमि की मिट्टी से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा रुचिकर प्रश्न था इसीलिये हमने इसमें रुचि दिखायी है। यह जो सम्मेलन हुआ था उसमें 231 अप्रवासी भारतीय आये थे, जो अप्रवासी भारतीय हैं, निश्चित रूप से वे या तो रोजगार करते होंगे या नौकरी करते होंगे और जो बड़े होंगे उन्हीं को बुलाया जाता है और वही आते भी होंगे। इसमें दूसरे पैरा में जो बताया गया है कि कोई एम0ओ0यू0 नहीं साइन हुआ और उसके लिये नहीं बुलाया गया था बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से अवगत कराने तथा मातृभूमि की मिट्टी से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। यह मातृभूमि की मिट्टी से जोड़ने का तरीका क्या है ? यदि किसी एन0आर0आई0 से यहां पर कोई इन्वेस्टमेन्ट नहीं कराया जा रहा है। कुछ बीजारोपण इस मिट्टी पर नहीं कराया जा रहा है तो कौन सा सरकार का और तरीका है कि मातृभूमि की मिट्टी से उनको जोड़ने का दूसरा कौन सा तरीका है, क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं कि मिट्टी से जोड़ने को एक ही तरीका होता है कि कुछ उनसे बीजारोपण कराया जाए। यदि वह कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कौन सा तरीका है, यह सरकार बता दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है कि जब इन्वेस्टमेन्ट नहीं हुआ तथा इस सरकार ने दो सम्मिट किये।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये। टाइम खत्म हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा सवाल सुन लीजिये, एक ही साथ उत्तर दे दें। मान्यवर, वे दोनों का एक ही साथ जवाब दे देंगे। मान्यवर, एक ही साथ वह जवाब दे देंगे, मंत्री जी बहुत योग्य है। मान्यवर, जब एक रुपये का इन्वेस्टमेन्ट नहीं हुआ तो इनको क्या खाली फोटो खिंचवाने और प्रचार के लिये सम्मिट किया गया था। मान्यवर, यह सरकार जनता को भ्रमित करती है। एक पैसे का इन्वेस्टमेन्ट नहीं हुआ। सरकार की इस नीति के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के अन्य माननीय सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, नवगठित एन0आर0आई0 विभाग को जो काम सौंपे गये हैं, यह केन्द्र सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाये जाने वाली प्रवासी भारतीय दिवस की भांति प्रदेश सरकार यह दिवस मनाती है और इसमें इतने लोग शामिल हुये थे, इन लोगों ने लगभग एक हजार करोड़

के इन्वेस्टमेन्ट की बात की है, उस पर विभाग प्रयास कर रहा है और जब लोग जुड़ेंगे, तभी तो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1, तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उपरान्त श्री सुरेश कुमार खन्ना की रुचि पर लिया गया।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्4थे गुरुवार के ता0प्र0सं0–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश के महानगरों एवं नगरों के विकास में खर्च होने वाली राशि पर विधायकों की संस्तुतियों की मांग

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों एवं नगरों में अवस्थापना निधि/विकास शुल्क मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी के विवेक पर खर्च होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त धनराशि को खर्च करने के लिये मा0 विधायकों की संस्तुति को अनिवार्य किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

12वें/13वें वित्त आयोग तथा नागर निकायों की अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति यथास्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जाती है। इसके उपरान्त निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु सम्बन्धित निकाय सक्षम होती है तथा इसके लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सवाल को पूछने के पीछे मेरा आशय यह था मान्यवर, कि जो अवस्थापना निधि और विकास शुल्क है इसमें पूरी तरह से विवेक है जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त का। मान्यवर, जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों को ऊपर होना चाहिए था। अभी माननीय आजम साहब से मैं उम्मीद करता था कि वे यह कहेंगे कि यह तो सरकारी जवाब है और हमारी बात सही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं यही आपके कहने से पहले कह दूं और आप सुझाव दीजिए हम इसे बदल देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब खत्म तो हो गया, प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ये तो हम स्वागत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमे पूरी तरीके से स्वविवेक है जिलाधिकारी का, मण्डलायुक्त का। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इसमें जनप्रतिनिधियों से खास तौर से विधायकों से सुझाव ले लिये जायें। उनके प्रस्ताव ले लिये जायें और उनके प्रस्ताव के आधार पर ही जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त इसको स्वीकृति प्रदान करें लेकिन प्रस्ताव विधायकों के ही होना चाहिए। मान्यवर, वर्तमान में जो स्थिति है वह उचित नहीं है इसलिए हमने यह सवाल लगाया था और हम आपके माध्यम से सरकार से यह विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसी जितनी भी योजनायें हैं कि जिसमें अधिकारियों को अपने स्तर से निर्णय लेने का स्वविवेक है और वह अपने स्तर से चयन स्थल तय करते हैं, अपने स्तर से कार्यक्रम तय करते हैं और उन स्थानों पर पैसा खर्च करते हैं, यह परम्परा समाप्त होनी चाहिए इसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए विधायकों के माध्यम से ही यह पैसा खर्च हो यह मेरा प्रस्ताव भी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कि उत्तर दिया उससे उनकी मंशा भी मालूम होता है कि वह इसको करने के लिए तत्पर हैं।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल एवं श्री सतीश महाना के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता ने कह दिया कि काम कराने की उनकी मंशा है तो फिर आप क्या जवाब देंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर सदन में प्रश्न के माध्यम से उत्तर आ जाये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा होने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इन्हें तो खन्ना जी के सुझाव को कन्डम साबित करना है। यह अगर नेता का सुझाव भी नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी में यह जो आपस की कलह है अब देखिये केन्द्रीय सरकार में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं और अन्दर के ही लोग कर रहे हैं, उनके ही मंत्री कर रहे हैं और आप अपने नेता की नहीं मान रहे, आप दोनों इन्हें हटाकर नेता बनना चाहते हैं। इसलिए यह सब लड़ाई है।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों नेताओं ने खन्ना जी की गर्दन हिला दी।

श्री सतीश महाना–

माननीय नगर विकास मंत्री जी मैं आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो कहा है उस बात से सहमति व्यक्त करते हुए आगे कहूंगा एक तो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का फण्ड होता है जो दो प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के लिए महानगरों में कटता है। मान्यवर, पहले उसकी व्यवस्था यह थी कि वह सीधा रजिस्ट्री आफिस से उन जिलों में चला जाता था पिछले दो–तीन सालों से वह यहां पर स्टेट गवर्नमेण्ट के फण्ड में आ जाता है और स्टेट गवर्नमेण्ट के फण्ड से रीलोड होकर वित्त विभाग के माध्यम से उनको जाता है। माननीय नगर विकास मंत्री जी इसके लिए भी चिन्तित हैं। जो पैसा दो प्रतिशत स्टैम्प का नगर निगमों में जाना चाहिए एक तो यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि वह सीधा वहां पर जाये और दूसरी बात जो हमारे आदरणीय नेता जी ने कही है उनकी बात को समर्थन और उनकी बात पर सहमति व्यक्त करता हुआ एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हम यहां पर 301 की सूचना देते हैं या प्रश्नों के माध्यम से नगर निगमों की समस्या को उठाते हैं कम से कम वह विधायकों के द्वारा उठायी गयी समस्या होती है और सदन का माननीय मंत्री का, सरकार का उसके ऊपर आश्वासन होता है वह जरूर ले लिये जायें। कभी–कभी एक सड़क बनानी होती है और फाइनेन्स न होने के कारण चार–चार साल तक एक सड़क नहीं बन पाती। वह अगर उसमें ले ली जायेगी तो यह सुझाव भी हो जायेगा और उसका निराकरण भी हो जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक बात पूरी व्यवस्था का अलोकतंत्रीकरण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को हटाकर अधिकारी हर स्थान पर कब्जा होते जा रहे हैं। महानगर योजना समिति बनाई गयी उनमें से सभी माननीय विधायकों को सिर्फ इस पक्ष के नहीं, महानगर योजना समिति से बाहर कर दिया गया। जो सभासद थे उनमें से चार सभासद चुन लिये जाते हैं विकास प्राधिकरण की समिति बनाई जाती है। सभी माननीय विधायक उसमें से बाहर हो जाते हैं चार छोटे–छोटे सभासद चुन लिये जाते हैं। अवस्थापना की बैठक होती है, एक बार भी किसी को सूचना नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं मांगा जाता। आप नगर आयुक्त के थ्रू अपना प्रोजेक्ट भिजवा दें तो आपकी सफलता है, हम वहां से बाहर हो जाते हैं। आपने चूंकि सुझाव मांगा है यह बात हम लोग बार–बार कह रहे हैं। आपसे आग्रह है कि कम से कम दो विभाग तो सीधे आपके हैं, महानगर योजना समिति में विधायकों का हस्तक्षेप, उपस्थिति होनी चाहिए उनकी राय ली जानी चाहिए और दूसरा यह जो अवस्थापना का पैसा है नगर निगम का एकाउण्ट आपने दिया हुआ है उनके पास अपना धन है। अवस्थापना के पैसे को व्यय की दृष्टि से जो–जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी राय ले करके योजना तैयार की जानी चाहिए ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, अब सारे प्रश्न तो आ गये, आपका प्रश्न तो है नहीं। अब मैं प्रश्न संख्या–3 ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उत्तर तो दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं उत्तर दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, मंत्री जी सुन रहे हैं। मंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे ?

देखिये, हम मंत्री जी को उत्तर के लिए बाध्य तो कर नहीं कर सकते।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिलकुल सही है इसमें थोड़ी सी नाखुशी रही है, ठीक नहीं हुआ है इसीलिए मैंने फौरन ही आपसे कह दिया कि इस किस्म को बदलेंगे और जितने भी आपके सुझाव आये हैं उन सुझावों को शामिल करके ही कोई निर्णय लेंगे। लेकिन, हां इसे बदला जाना चाहिए ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, विकास शुल्क और अवस्थापना दोनों में।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां, दोनों में करेंगे। अब जो जितना ज्यादा से ज्यादा सम्भव होगा वह करेंगे।

प्रदेश में बढ़ते साइबर व आर्थिक अपराध को देखते हुए पुलिस को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

'03–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते साइबर व आर्थिक अपराध को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार पुलिस को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

आधुनिकीकरण योजना 2012–13 के अन्तर्गत 08 अदद साइबर क्राइम फोरेन्सिक लैब हेतु रु0 400.00 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या–3365/6–पु0–7–5–2(4)/2013, दिनांक 08–10–2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। वर्तमान में उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 तकनीकी सेवाएं, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। भविष्य में आवश्यकता के अनुरूप साइबर व आर्थिक अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो प्रक्रिया है किसी भी क्षेत्र में जहां साइबर क्राइम होता है वह पहले थाने जाता है थाने वाले उसे साइबर सेल भेज देते हैं फिर साइबर सेल से रिपोर्ट आती है तब थाना उस पर आगे कार्रवाई करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में एक हाईटेक साइबर सेल कथित हाइटेक साइबर सेल कहा जाता है वहां का एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। 2014 में एस0एन0 मेडिकल कालेज के इमरजेंसी के आफिसर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। मई, 2014 में वह एसएसपी से मिले। मई, 2014 में वह केस एसएसपी ने साइबर सेल को दे दिया। साइबर सेल ने 18 महीने बाद अक्टूबर, 2015 में उसकी रिपोर्ट दी। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम में समय की बाध्यता है, समय की सीमा है अगर निश्चित समय में इस अपराध की जांच नहीं की गयी तो सबूत अपने आप नष्ट हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आगरा की साइबर हाईटेक सेल है उसके आधुनिकीकरण के लिए सरकार के द्वारा क्या–क्या कार्य किये गये और दूसरा, क्या आगरा की साइबर सेल को थाने का दर्जा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें आगरा का तो है ही नहीं ।

डा0 धर्म पाल सिंह–

मान्यवर, उन्हीं 8 साइबर सेल में आगरा भी है जो सरकार का जवाब है उसमें 8 में आगरा है उसमें। आगरा मान्यवर, सबसे इम्पार्टेन्ट है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें सवाल में नहीं है लेकिन आपकी जिज्ञासा है इसको दिखवा लेंगे। देखिये, बड़ी समस्या यह है साइबर क्राइम के सिलसिले में, पता नहीं आप उसको कितना संजीदगी से ले रहे हैं इसमें कोई पनिशमेन्ट नहीं रह गया है और इतना ज्यादा यह क्राइम हो रहा है अभी बदायूं में कैसे हालात कंट्रोल में सरकार ने किये हैं कितनी बेहूदा बात हुई है। अब मजहबों का, धर्मों का अपमान करना, मजहबी किताबों का अपमान करना, पेशवाओं का अपमान करना यह किसी भी मजहब वाले को शोभा तो नहीं देता लेकिन यह काम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि शोभा देता है कि नहीं देता है, यह काम इसलिए हो रहे हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो और दो हिस्सों में समाज बंट जाय और हमें कुछ सियासी नुकसान, फायदा हो जाय इसके अलावा तो कोई नीयत है नहीं। अभी कुछ चीजों को मैंने पिछले दिनों उठाया था कुछ लोगों को पकड़ा था और उन्हें जेल भिजवाया। मगर हुआ ये क्योंकि मैंने ऐसा कहा था लिहाजा पूरा देश उनका वकील बन गया, सारे लोग उनके हमदर्द हो गये, उन्हें हीरो बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून में ही ऐसी गुन्जाइश कर दी कि आप इन्हें जेल नहीं भेज सकते, आप इन्हें पनिशमेण्ट नहीं दे सकते। अब साइबर क्राइम में जिस तरह के फोटो

डाले जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा डाली जा रही है। मैं यहां जवाब देता हूं और थोड़ा सा ये डर जरूर रहना चाहिये आम लोगों में कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। प्रदेश का डर तो बहुत दूर खुद मेरे शहर में जिस कान्टीट्वेन्सी में मैं यहां आया हूं। आप अगर देखेंगे तो कैसी–कैसी गाली, कैसी–कैसी बदतमीज भाषा इस्तेमाल की जाती है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हम उसे पकड़ सकें, सिवाय इसके कि हमें किसी से पता चल जाये और हम उसकी तलाश करें। अभी जब इसकी ब्रीफिंग हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि आप ये बताइये कि इन चीजों को पकड़ने का क्या होगा। इतना बड़ा प्रदेश है, पता नहीं कौन, कहां, क्या बेहूदगी कर रहा है। तो उसका साफ्टवेयर डेवलप किया है, जाहिर है थोड़ा सा समय लगेगा और उसमें ऐसे शब्द जिनसे माहौल खराब होता हो उस शब्द को टिक करेंगे तो वह पूरी डिटेल आ जायेगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसे–जैसे क्राइम में तरक्की हुई है, उसे पकड़ने के लिए भी नये तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं। हम खुद बहुत परेशान हैं और अभी कहा भी है मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन एक रिलीफ दे दिया है ऐसे लोगों को कि आप उन्हें जेल नहीं भेज सकते हैं। लेकिन प्रदेश स्तर पर कोई कानून साइबर क्राइम के लिए अलग से बनना चाहिये। मैंने अभी ऐसा गृह विभाग के लोगों से कहा है। आपकी अगर सहमति होगी तो हम चाहेंगे कोई ऐसा कानून बने जो सर्वसम्मति से बने, सर्वसहमति से बने इसे रोकने के लिये और जल्द यह कानून बने, क्योंकि अगर साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कोई कानून सख्त नहीं बनाया तो इससे आज हम हैं, कल आप हैं, आप नहीं तो जो भी होंगे सत्ता में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 08 जोन्स में साइबर थाने बनेंगे, जिनमें आगरा सम्मिलित है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इससे पीड़ित हूं। फर्जी फेसबुक मेरे नाम से चलाई जा रही है और बहुत दिन से चलाई जा रही है। अभी मेरे मित्र ने फोन किया कि इतनी भद्दी–भद्दी गालियां उसमें पड़ी हैं। मैंने आई0जी0, कानून–व्यवस्था से भी बात किया है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार को निर्देश कर दें कि मेरा फर्जी फेसबुक तो बन्द करा दें। मुझे गालियां मिल रही हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऐसा है कि यह अकेले आपका ही दर्द नहीं है। यह बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने कहा न कि हमने तो दो लोगों को पकड़वा लिया था, मगर सारे लोग बड़े सेकुलर हो गये।

श्री अध्यक्ष–

अरे मेरे भी ऐसे कुछ दिन के लिए....

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने कहा कि हमने तो दो लोगों को पकड़वा लिया था, मगर सारे लोग बड़े सेकुलर हो गये। पूरा देश एक तरफ था उस क्रिमिनल के लिए। उसे नाबालिग भी बता दिया, जबकि वह नाबालिग नहीं था। उसे स्टूडेन्ट बता दिया, जबकि वह कभी स्टूडेन्ट

नहीं था। सारी संस्थायें उसकी वकील बन गईं, क्योंकि कम्प्लेनेन्ट मैं था और देखिये सुप्रीम कोर्ट से क्या हो गया। तो जब जातीय नफरत के बिना पर आप कोई गलत फैसला लेंगे, तो गलत बीज से तो गलत फल ही आयेंगे। आपकी शिकायत बिल्कुल सही है, अगर आपको गलत न लगे तो आप मुझे लिख कर दें तो मैं कोशिश करता हूं उसे बन्द करवाने की और पकड़वाने की भी। वह बिल्कुल पकड़ा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैंने आई0जी0, कानून–व्यवस्था को लिख कर दिया हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अरे साहब हमें भी दे दीजिये, तो बात थोड़े ही खराब हो जायेगी। आपकी सरकार अगर खुदा न करे आ गई तो आपसे किसी काम के लिए नहीं आयेंगे। हम कहीं नहीं जाते। हमारा काम ऊपर वाला करता है। आपने तो बहुत बुल्डोजर चलवाये थे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आगरा से बहुत बड़े लेवेल पर एक्सपोर्ट होता है।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप केवल आगरा ही नहीं, आगरा से बाहर भी जाइये। पूरे प्रदेश और देश की बात करिये।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक्सपोर्टर के संग एक करोड़ का फ्राड हो गया। मैंने आपके माध्यम से आगरा के आधुनिकीकरण के बारे में पूछा था। माननीय मंत्री जी ने थाने के लिए तो कह दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर अभी केवल दो दीवान जी बैठे हैं। आगरा में विदेश से फ्राड होता है। विदेश से किए गए फ्राड को रोकना आसान नहीं है। जब तक वहां पर सी0ओ0 और एस0पी0 नहीं बैठेंगे, तब तक उस क्राइम को नहीं पकड़ा जा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आफीसर्स एस0पी0 हों, एस0एस0पी0 हों, यह सारे लोग उसे देखते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी हुयी है। आपने कहा दो लोग बैठे हुये हैं, दो तो बहुत हैं, अगर एक आदमी भी बैठकर उसे मानीटर करेगा तो काफी है लेकिन वह करे। अब हुई तो शुरुआत। आप तो हाथी बनाते रहे। आपने कहां ऐसे कानून बनाये, हम तो कोशिश कर रहे हैं।

प्रदेश के व्यापारियों पर बढ़ते अपराध को देखते हुए सुरक्षा हेतु व्यापारी हेल्प लाइन तैयार कराने की मांग

'04–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 में प्रदेश में रंगदारी, अपहरण एवं डकैती में कितने व्यापारियों की हत्या हुई है ? क्या सरकार महिला सेल की

तरह व्यापारियों की सुरक्षा हेतु व्यापारी हेल्प लाइन तैयार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में वर्ष 2015 में (दि0 01–01–15 से 31–12–15 तक) रंगदारी मांगे जाने, अपहरण एवं डकैती में कुल 05 व्यापारियों की हत्या हुई है।

प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगने, अपहरण एवं डकैती के अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 परिपत्र संख्या–70/2014, दिनांक 13–11–14 द्वारा समस्त जनपदों में ''एण्टी एक्सटोर्सन सेल'' का गठन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजारों में पिकेट/गश्त की व्यवस्था की जाती है।

व्यापारियों से रंगदारी मांगने, अपहरण तथा डकैती के अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में जनपद आगरा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फतेहगढ़, हापुड़ एवं सोनभद्र में ''एण्टी एक्सटोर्सन सेल'' का गठन किया गया है तथा जनपद बांदा/मेरठ एवं बागपत में ''व्यापारी सुरक्षा सेल'' का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में उद्योग बन्धुओं एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु समय–समय पर जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर उनकी सुरक्षा/समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है और तद्नुसार उनके उत्पीड़न रोकने व रंगदारी वसूलने व घटनाओं की रोकथाम व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को समुचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश हो, इसकी बात कर रही है भले ही होर्डिंग के माध्यम से हो, या बहुत सारे सम्मेलन इसके नाम पर किये गये, बहुत सी समिट भी की गयी, लेकिन कोई भी उद्योगपति किसी भी प्रदेश में तभी आने के लिये लालायित होगा, जब उस प्रदेश की कानून–व्यवस्था बेहतर हो, सुरक्षा का भाव व्यापारी के अन्दर होगा तभी व्यापारी आ करके कहीं न कहीं उस प्रदेश में निवेश करने के लिये तैयार होगा। सरकार का जवाब आया है कि प्रदेश में एक जनवरी, 2015 से लेकर 31–12–15 तक 5 व्यापारियों की हत्या हुयी। यह जवाब अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि सरकार प्रदेश में बेहतर माहौल बनाना नहीं चाहती। यदि बेहतर माहौल बनाना चाहती तो कम से कम जवाब तो सही आता। माननीय अध्यक्ष जी, इसी वर्ष में आगरा में सर्राफा व्यापारी की हत्या हुयी, इसी वर्ष में नोएडा में रंगदारी के लिये हत्या हुयी, इसी वर्ष में विनोद सिंघल, शिव कुमार, राजेन्द्र

गुप्ता, कैराना में व्यापारियों की हत्या हुयी। इसी वर्ष में देवबन्द में सर्राफा व्यापारी की हत्या हुयी। इसी वर्ष में मेरठ, परीक्षितगढ़ में अंशुल वर्मा की हत्या हुयी।

श्री अध्यक्ष–

सुनिये, आपका प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 में प्रदेश में रंगदारी, अपहरण एवं डकैती में कितने व्यापारियों की हत्या हुयी लेकिन आप पता नहीं कहां चले जा रहे हैं।

श्री सुरेश राणा–

पांच हत्याओं का जवाब पूरे प्रदेश में दिया गया है। मैं केवल चार जिलों की बात कर रहा हूं, अंशुल वर्मा की हत्या हुई रंगदारी के लिए, कंकरखेड़ा में विपिन गुप्ता की रंगदारी के लिए हत्या हुई और आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गये। मैं इसलिए अध्यक्ष जी बोल रहा हूं मेरा आशय केवल यह है कि यदि सही से जानकारी दी जाए तो केवल आरोप–प्रत्यारोप के लिए सवाल नहीं है। सवाल इस बात के लिए है प्रदेश सबका है और यही एक सदन है जहां पूरा प्रदेश इसकी ओर देखता है कि कोई रास्ता निकाला जाए प्रदेश की बेहतरी के लिए लेकिन यदि उत्तर ही कन्फ्यूजन करने वाला होगा तो फिर कैसे चलेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कहा गया कि व्यापारी सेल का गठन हुआ है, दो–तीन जिलों की चर्चा हुई है लेकिन पूरे प्रदेश में गठन हुआ है। मेरठ के हमारे कई सारे विधायक और व्यापारी नेता भी यहां बैठे हैं, मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि व्यापारी सेल, प्रत्येक पश्चिम जिले की जो स्थिति है उसकी मुझे पूरी जानकारी है, मैंने तमाम व्यापारी नेताओं से बातचीत की, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों की भी इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सेदारी हो जाए। दूसरा मेरा प्रश्न है कि महिला हेल्पलाइन की तरह से व्यापारी हेल्पलाइन हो जाए। जब व्यापारी हेल्पलाइन हो जायेगी तो उसकी सबसे प्रमुख जो भूमिका रहेगी, मेरी विशेष जागरूकता उसी प्रश्न के प्रति है। जब एक ऐसा नम्बर हो जायेगा तो व्यापारी स्वतन्त्रता के साथ अपनी बात कह पायेगा। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन पर वह डिसकस नहीं करना चाहता है, ऐसा होने से व्यापारी स्वतन्त्रता से अपनी बात कह पायेगा और तमाम जो ये रंगदारी के मामले हैं, रंगदारी का जब मामला आता है तो व्यपाारी सोचता है कि किसी तरह से यह बात प्रकाश में न आये और धीरे से चुपचाप मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो क्या सरकार कोई ऐसा नम्बर कोई ऐसी हेल्पलाइन व्यापारियों के लिए जारी करेगी जिस नम्बर पर व्यापारी तत्काल अपनी समस्या को नोट करा दे और उसका समाधान हो जाए यही मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सभी अपराधों के लिए एक कन्ट्रोल सिस्टम है और हेल्पलाइन नम्बर है, यह भी उसी में आता है और देखिये इसी से सब ट्रेस–आउट किया गया है और जो आपको आंकड़े दिये हैं इनमें जरा भी कोई फर्जी नहीं हैं, कोई जरूरत नहीं छिपाने की क्योंकि ये चीजें छिपती नहीं हैं। अगर इसमें कोई भी सुधार और सम्भव होगा तो जरूर उसे करेंगे और आपके सुझावों पर भी विचार करेंगे।

(सदस्य श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल के खड़े होने एवं अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, जवाब आ गया। मा0 मंत्री जी प्रश्न सं0–5 का जवाब दें। नहीं, नहीं, अब आप क्यों पूछेंगे, अब हो गया, आपकी बात आ गई, आपके जो प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने पूछ लिया है। अब आप कृपया बैठ जाएं।

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

'05–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित कर विदेशों में आकर्षक नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों से भारी रकम वसूल कर विदेश भेजने एवं वहां उनसे अमानवीय कार्य करने को मजबूर किये जाने के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे संगठित गिरोहों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में वर्ष 2015 में बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित कर विदेशों में आकर्षक नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों से भारी रकम वसूल कर विदेश भेजने एवं वहां उनसे अमानवीय कार्य करने को मजबूर किये जाने के कुल 28 अभियोग पंजीकृत हुये हैं।

प्रदेश में वर्ष 2015 में बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित कर विदेशों में आकर्षक नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों से भारी रकम वसूल कर विदेश भेजने एवं वहां उनसे अमानवीय कार्य करने को मजबूर किये जाने के कुल 28 अभियोग पंजीकृत हुये हैं, जिनमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

पंजीकृत अभियोगों की कुल सं0	अभियुक्तों की संख्या			अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही								निरोधात्मक कार्यवाही			विवेचनात्मक प्रगति		
	नामजद	प्रकाश में आये	कुल योग	गिरफ्तार	हाजिर अदालत	गलत पाये गये	मृत/मारे गये	फर्की	बिना गिर0 आरोप पत्र प्रेषित	कुल योग	गिरफ्तारी हेतु शेष अभि0 की सं0	गुण्डा एक्ट	गैंगेस्टर एक्ट	रासुका	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन
28	72	3	75	28	15	10	0	0	04	53	18	1	0	0	11	6	11

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बहुत नियोजित अपराध जो पूरे प्रदेश में संगठित रूप से फल–फूल रहा है, इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इस पर यह अनुपूरक प्रश्न पूछने की आपने मुझे अनुमति दी। मा0 अध्यक्ष जी,

प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को विदेश में आकर्षक नौकरी दिलवाने का विज्ञापन देकर विभिन्न एजेण्टों के माध्यम से उनको अपने जाल में फंसाकर, मोटा पैसा वसूल कर उन्हें विदेश भेजा जाता है। वहां उनके साथ अमानवीय कार्य होते हैं और अवैध धन वसूला जाता है, यह सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है। मेरा इसमें एक मुख्य बिन्दु यह है कि सरकार ने जो वर्ष 2015 में 28 मामले स्वीकार किये हैं, यदि आप इसकी व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग करायें तो पूरे प्रदेश में हजारों मामले होंगे। यह तो एक जिले में 28 से ज्यादा मामले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खाड़ी देश या पूर्वी देश मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया यहां बहुत बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सीधे–सीधे दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो सरकार अपने जवाब में स्पष्ट रूप से लिख रही है कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा, वह भी सरकार के ध्यान में भी है कि ये गिरोह और इनकी जो गतिविधियां हैं यह भी एक गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जो नियम हैं उसमें आती हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार के लोगों के ऊपर गैंगेस्टर लगाने का काम करेगी ?

दूसरा, प्रत्येक जिले में जो इस प्रकार की प्लेसमेण्ट एजेंसियां चल रही हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाये, उनको पुलिस के साथ एक नियम के तहत और उनके द्वारा भेजे गये जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनकी पूरी सूची उनके पास रहे, उनका क्या परिणाम है वो वहां ठीक से हैं या नहीं हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए जिला स्तर पर ऐसी प्लेसमेण्ट एजेंसियों को चिन्हित करके उनको अपने रिकार्ड में रखने का काम करेगी ? अध्यक्ष जी, एक मेरे फिरोजाबाद का मामला है जिसमें अनिल कुमार राठौर और इन्द्रजीत राठौर दो बच्चे मलेशिया गये थे, 1,65,000 रुपये लिया गया, 01 लाख रुपये की ट्रेनिंग अलग से करायी गयी वहां जाकर उनके पासपोर्ट व मोबाइल छीन लिये गये। उनको रोज मारते–पीटते थे और होटलों में बर्तन धुलवाने और पोंछा लगाने का काम कराया जाता था और यहां से भेजा था कि आपको मर्चेण्ट नेवी में 50,000 रुपये महीने की नौकरी दिलवायेंगे। एक बच्चे ने जैसे–तैसे फोन किया उस फोन के माध्यम से वह एजेंसी प्लेसमेण्ट वाले के पास गयी, फिर से 01 लाख रुपये देकर उन बच्चों को बुलवाया। यह उत्कर्ष मेडिटाउन एजेंसी, वाराणसी की है और राजीव सरन इसके डायरेक्टर हैं और खुलेआम राजनीतिक संरक्षण कह लीजिए, ताकतवर लोग कह लीजिए, उनका अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, तो क्या इसके ऊपर भी कार्रवाई करवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, बहुत बेरोजगारी है। कुछ तो राज्य सरकारों से सम्बन्धित है, कुछ केन्द्र सरकार से। किसी मुल्क में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए केन्द्र सरकार की मदद की जरूरत है और मान्यवर, केन्द्र सरकार इन सब चीजों को अच्छी तरह से जानती है कि क्या हो रहा है ? यह बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं लेकिन हमारी तरफ से या सरकारों की तरफ से कार्रवाई उन्हीं में हो सकती है जहां कम्प्लेन्ट आती है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, लोग बताते हैं कि उनसे पैसा ले लिया, न पैसा वापस कर रहे हैं और न उसे वापस बुला रहे हैं। मान्यवर, मेरा तो अपना ही एक दोस्त उसने इन्जीनियरिंग किया और वो थोड़े दिन बाद आया

और मेरे सामने बैठकर रोने लगा। जो उसने वाकया बताया उसे सुनकर हम हंसने लगे। तो वो बड़ा नाराज हुआ और बोला कि मैं अपनी तकलीफ बता रहा हूं और आप हंस रहे हो। हंसी इसलिए आ रही थी कि उसे इन्जीनियर बनाने के लिए शेख साहब ले गये थे और फिर उससे ट्रक से सीमेण्ट के बोरे उतरवाते थे। तो जब उसने ये कहा कि जब शाम को हम वापस आते थे और जो मान्यवर, वहां उनके रहने वगैरह की जगह है वो बिल्कुल बैरक टाइप्स है और स्टेयर्स हैं चारपाइयां, उन पर रहते हैं पढ़े–लिखे लोग। वो यह कह रहा था कि जब रात को हम खाना खाने बैठते थे तो हमारे हाथ इतने शल हो जाते थे कि हम लुकमा तो तोड़ लेते थे लेकिन हाथ मुंह को नहीं आता था। मुंह हाथ को ले जाना पड़ता था। यह सुनकर हंसी आ जाती थी लेकिन वह दोस्ती का रिश्ता था। मगर यह है बड़ा दुःखद। असल में तो मामलात बेरोजगारी का है। लोग बहुत मजबूर हैं, और बहुत बेरोजगार हैं इसलिये ठगे जाते हैं। उनसे हम कहते हैं कि अच्छा तुम लिखकर शिकायत दो तो कहते हैं कि आपको लिखकर दे देंगे तो पैसे मिलते हुए भी नहीं मिलेंगे। आप सिफारिश कर दीजिये, जरा दरोगा से कह दीजिये, एस0पी0 से कह दीजिये कि वह हमारे पैसे वापस करा दें। मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है और सरकार इसमें बहुत चिन्तित है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद इन चीजों को बहुत बुरा समझता हूं और इसमें जो भी बेहतर होगा सरकार को करना चाहिए और सरकार करेगी। आपके सुझावों का भी सम्मान रहेगा।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, फिरोजाबाद वाले मामले में रिपोर्ट भी कराई गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो कार्यवाही होगी। कार्यवाही कराते हैं।

कानपुर महानगर की जाम समस्या के निराकरण की मांग

'06–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर सहित प्रदेश के महानगरों में जाम की समस्या को देखते हुये खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु जनपद कानपुर नगर के अतिरिक्त प्रदेश के 11 जनपदों में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी जनपदों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियांत्रिकी में

सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद् सुधार किया जायेगा।

2–जनपद लखनऊ में स्मार्ट सिटी सर्विलान्स योजना के अन्तर्गत 280 स्थानों पर कैमरों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यातायात नियमों का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य 11 नगरों यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं गोरखपुर में भी की जा रही है।

3–यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटसएप, फेसबुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्युलेशन), यातायात परामर्श (ट्रैफिक एडवाइजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाये जा रहे हैं। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

4–यातायात व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करने हेतु सभी जनपदों को पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा–31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत यातायात संचालन के विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, महानगरों में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत गम्भीर है और इसके लिये पिछले दिनों सरकार ने चिन्ता भी करी थी, मैं उसकी भी बात करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इसके ऊपर विस्तार से बातचीत भी हुई थी लेकिन जो जवाब मिला है यह टैक्निकल जवाब है। ग्राउन्ड रिएलिटी इससे बहुत कुछ अलग है। अगर कैमरा लगा देने से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से हो जाय तो कैमरे मान्यवर, सारे विधायकों ने कानपुर महानगर में भी दिये कि लगा लिया जाय। घर से मान्यवर निकलो 15 मिनट के रास्ते के लिये तो एक घण्टे से पहले किसी गन्तव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकते। लेट होना मान्यवर अलग बात है, दुर्भाग्य से कोई मरीज फंस जाय, किसी ने ट्रेन पकड़नी हो या किसी आवश्यक कार्य से जाना हो तो उसका नुकसान होना ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने ट्रैफिक के सिपाहियों की आवश्यकता है चौराहों के ऊपर उतनी संख्या मान्यवर नहीं है। मैं किसी दूसरे जिले के साथ तुलना नहीं करना चाहूंगा। कानपुर में कितना ट्रैफिक है और पड़ोस के जिले कन्नौज में कितना ट्रैफिक है मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा और कह भी नहीं रहा हूं कि वहां पर कितने सिपाही हैं और यहां पर कितने सिपाही हैं मेरा इश्यू भी नहीं है

मेरा इश्यू है कि कानपुर महानगर में उन महानगरों में, जहां पर ट्रैफिक अव्यवस्थित है और जिसके लिए सरकार चिन्तित भी है, क्या इस जवाब से वह ट्रैफिक सुधर जाएगा ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कितने सिपाहियों की आवश्यकता है कानपुर महानगर सहित मैंने पूरे प्रदेश के लिए प्रश्न पूछा था, कि कानपुर महानगर में प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कितने ट्रैफिक सिपाहियों की जरूरत है और कितने हैं और अगर कम हैं तो क्या उसको पूरा करने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, तादाद के सिलसिले में तो मैं आपको सूचना भिजवा दूंगा कि कितने हैं और कितनों की जरूरत है, वह प्रश्न बेसिक भी नहीं था, लेकिन जहां तक मान्यवर इस सिस्टम को लागू करने की बात है तो यह जैसे–जैसे आबादी बढ़ रही है और जिस तरह हमारी तकनीक एडवांस हो रही है तो हमें उसका फायदा तो उठाना होगा, आप जाते हैं मान्यवर, विदेशों में, सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आती है, लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन होता है, और इन कैमरों से मान्यवर, इसी से चालान होता है, इसी से स्पीड पता चलती है, इसी से क्राइम पता चलता है, तो अगर यह सिस्टम परफैक्ट हो जाए और इससे लोग पकड़े जाने लगें, तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ बेहतरी जरूर होगी बल्कि बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। इसे और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे सहमति व्यक्त करते हुए आगे एक प्रश्न है जैसा इन्होंने कहा कि हमने कैमरा लगाया है नई टैक्नॉलाजी है। मान्यवर, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर इस बात को कह रहा हूं उसको माननीय मंत्री जी ठीक कर देंगे, सरकार है इनके पास, सारी सूचना है, जो मेन सूचना होनी चाहिए थी कि कितने सिपाही हैं वही नहीं है, बाकी सारी सूचना होंगी। मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है यह जो कैमरे लगाये हैं पहले हम सुनते थे कि अगर कभी किसी ने अपने ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन कर दिया, उसका चालान भी होता था, उसके घर आर0टी0ओ0 से स्लिप भी आती थी, इधर मान्यवर, जब से यह इलेक्ट्रानिक सिस्टम चालू हुआ, तबसे यह सब बन्द हो गया, एक बात तो सही है जो माननीय मंत्री जी ने कही कि वहां पर सिपाही खड़े नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर कानून का भय होता है। आपके माध्यम से मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस नये सिस्टम में, जो आज की आवश्यकता है इस बढ़ते हुए ट्रैफिक में, सड़क के ऊपर से अतिक्रमण हटाना और कितने लोगों के खिलाफ चालान हुआ अगर कोई संख्या हो तो बता दें, मुझे पता है नहीं होगी, लेकिन आगे के लिए कहलवा रहे हैं कि संख्या भिजवा दें, हालांकि वह भेजेंगे नहीं, फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछिए।

श्री सतीश महाना–

मेरा प्रश्न है कि ऐसे कितने लोगों के खिलाफ चालान हुए हैं और उससे कोई फर्क पड़ा या नहीं ? दूसरा ट्रैफिक का एक कारण अतिक्रमण भी है उसके लिए सरकार चिन्ता करेगी ? यह प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, सच तो यह है कि प्रश्न कोई बना ही नहीं। एक प्रश्न जरूर बना कि विदेशों में लोग कानून की पासदारी करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह सलाहियत खुद लोगों के अन्दर हैं। वह लोग काला कोट पहनकर, कानून के रखवाले होकर आपके मशवरे से उपद्रव नहीं करते है और यही असल बात है। अब देखिए, आजकल क्या हो रहा है, आर्मी भी फेल हो रही है, अपने ही देशवासियों को अगर वह कानून हाथ में लेते हैं तो किस हद तक आप मारेंगे उन्हें, कितनी सख्ती करेंगे आप, कई देशों में, ऐसा भी हुआ कि जब आर्मी उतार दी गई सड़कों पर, तो आर्मी पर फूल बरसाये लोगों ने, आर्मी ने भी हथियार डाल दिए हैं अपने ही भाइयों पर कहां तक गोली चलायेंगे आप, इतने मार दिए आपने देखिए, तो कानून को तो खुद भी मानना पड़ेगा। अब देखिए झूठा वायदा करेंगे मान्यवर, लोगों से कहेंगे कि 20 लाख रुपये घर पहुंच जाएंगे सौ दिन में, तो लोग सड़कों पर तो निकलेंगे ही, अब यही हो रहा है, जो आन्दोलन देश में चल रहा है, जिसकी तरफ मैं इंगित कर रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित हो रहा है, तो वह ठगी करने का ही तो अंजाम है। न गलत वायदा किया होता वोट लेने के लिए न अब यह भुगतना पड़ता मान्यवर, सिर्फ कैमरा लगा देने से काम नहीं चलेगा थोड़ा सा सच भी बोलना चाहिए। थोड़ा जो कहा है उसे पूरा भी करना चाहिए तभी तो मैंने एक दिन कहा था कि मेरी तो एक बात का इतना बुरा हुआ कुछ आपको भी याद है अपना कहा हुआ 20 लाख रुपए हमें तो अभी तक मिले नहीं हमारे एक और मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मिले।

महाना जी आपकी सारी बातें तो मान लीं हालत यह है कि इनका जितना ख्याल रखो तीनों लोगों का कोई मंत्री कोई मुख्य मंत्री ऐसे नहीं हैं जो व्यक्तिगत रूप से इनकी बातों का लिहाज नहीं करते हैं। क्योंकि कभी–कभी बातें ठीक भी होती हैं। लेकिन मान्यवर, यह देश का माहौल तो ठीक कराएं। देखिए आर्मी उतारनी पड़ गई हाउस चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हो सकते हैं आप सोचिए अपने ही हमवतनों को आप आर्मी से मरवाएंगे यह कितनी बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

किसी दिन आर्मी ने कब्जा कर लिया तो क्या होगा सुना है कि आपके मेजर साहब चल तो दिए थे उनकी दो टुकड़ियां चल दी थीं ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है इसको मंत्री जी ने हल्के से लिया है। इस पर चर्चा करा ली जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस पर चर्चा करा दी जाए 20 लाख पर तो करा ही दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब छोड़िये मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में पुलिस कार्रवाई के दौरान एवं पुलिस पर आक्रमण के दौरान हुई मौतों की जानकारी विषयक

'07–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 में पुलिस कार्रवाई के दौरान कितनी मौतें हुई और इनमें से कितनी मौतें थाना परिसर में हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि इसके सापेक्ष वर्ष 2007–12 के दौरान कुल मिलाकर कितनी मौतें पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में वर्षवार पुलिस कर्मियों पर कितने आक्रमण हुये ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 में पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौतें एवं उनमें से थाना परिसर में हुई मौतों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मौतों की कुल संख्या	थाना परिसर में हुई मौतों की कुल संख्या
2012–13	1	0
2013–14	9	9
2014–15	5	3
2015–2016	5	1

प्रदेश में वर्ष 2007–12 तक पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मौतों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मौतों की कुल संख्या
2007–08	13
2008–09	18
2009–10	8
2010–11	9
2011–12	12

प्रदेश में वर्ष 2007–15 तक पुलिस कर्मियों के आक्रमण का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मौतों की कुल संख्या
2007–08	75
2008–09	101
2009–10	103
2010–11	124
2011–12	144
2012–13	202
2013–14	264
2014–15	300
2015–16	278

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अन्तिम पैरा में मिस प्रिंटिंग हो गई है इसमें मौतों के स्थान पर आक्रमणों की कुल संख्या का विवरण है। इसको दुरुस्त कर लिया जाए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार ने अपने कार्यकाल में 2012 से लेकर 2016 तक कुल 13 थाना परिसरों में मौत होना स्वीकार किया है। अगर इस आंकड़े को चुनौती न दिया जाय इसी को मान लिया जाए तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर इन 13 केसेज में सरकार ने अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की जिससे वह लोग जो समझते हैं कि थाने पर किसी भी कैदी को रखकर किसी भी प्रकार से अपराध की स्वीकृति उससे कराई जा सकती है इस पर कम से कम रोक लग सके तो एक प्रश्न तो मेरा इससे सम्बन्धित है माननीय मंत्री जी कृपया इसका जवाब देंगे कि इन 13 मामलों में वास्तविक रूप से ऐसी क्या प्रभावी कार्यवाही की गई इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर जिससे आगे यह संख्या कम हो सके। यह जवाब आ जाए तो एक दूसरा सवाल मेरा और है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया है। जिस प्रकार का क्राइम है उसी प्रकार की धाराएं लगायी जाती हैं। बिल्कुल मोटी सी बात है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी जवाब नहीं दिया है। बहुत सीधी सी बात है कि मा0 मंत्री जी को यह जवाब आया नहीं है। 13 हत्याएं हुयी हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरे भाई डाक्टर साहब, इसमें जवाब की क्या जरूरत है ? जख्मी है तो जख्मी की धारा लगेगी, हत्या हो गयी है तो हत्या की धारा लगेगी, उसमें कोई और धारा थोड़े ही लगेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। यह प्रश्न सिर्फ मौतों के ही बारे में है, इसमें जख्म का कोई जिक्र नहीं है। फिलहाल यह 13 मौतें हैं। मैं हल्के–फुल्के जख्म की बात कर ही नहीं रहा हूं। 13 मौतें हुयी हैं, इन 13 मौतों के लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? मैं बहुत संयत तरीके से इस प्रश्न को पूछ रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मौतों के अलग–अलग कारण होते हैं। कहीं पेट्रोलिंग पर हैं, कहीं तलाशी पर हैं, कहीं थाने में हैं। मौतों के अलग–अलग कारण होते हैं और उसकी उसी ऐतबार से कार्रवाई होती है। अगर कहीं अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई हुई होगी और यकीनन हुई होगी तो आपको उसकी जानकारी देंगे। चूंकि ऐसे मामलों में अधिकारियों का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसलिये यह चीज नहीं हो पाती है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न यह था कि सरकार यह बताने में सक्षम नहीं हो पा रही है कि वास्तव में क्या कार्यवाही की गयी है ? मैं इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि यह जो वर्ष 2007 से 2015 तक पुलिस कर्मियों पर हुये आक्रमण का वर्षवार विवरण है। वर्ष 2007 से 2012 तक एक अलग शासनकाल था। पांच साल के कार्यकाल में पुलिस कर्मियों पर आक्रमण की कुल 547 घटनाएं हुईं अर्थात् साल भर में औसतन 108 घटनाएं और इस सरकार का पिछला 04 साल का शासनकाल गुजरा है, कुल मिलाकर 1044 घटनाएं हुईं अर्थात् औसतन 261 घटनाएं। अब प्रश्न बहुत साफ उठता है कि शासन बदलने के बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि प्रदेश में पुलिस अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी, चलने पर पुलिस पर आक्रमण होने लगे, गिरोह उनके ऊपर आक्रमण करने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि 'सइयां भै कोतवाल, अब डर काहे का'। मेरा प्रश्न यह है कि आखिर इस सरकार के कार्यकाल में पुलिस के ऊपर आक्रमण की जो संख्या बढ़ रही है तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया कि यह किन परिस्थितियों में हो रहा है और इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अलग–अलग किस्म के कारण हैं। अब देखिये कि पुलिस महानिदेशक द्वारा 28 जुलाई, 2015 को समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एक लम्बी चिट्ठी लिखी गयी कि इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने के उपरान्त यदि प्रभावी

कार्यवाही नहीं की जाती है तो इससे आपराधिक तत्वों के मनोबल में वृद्धि होती है। इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस की छवि भी धूमिल होती है। चिन्ता का विषय यह है कि यह घटनाएं लगातार हो रही हैं और इससे भी अधिक चिन्ता का कारण इन घटनाओं के होने के उपरान्त ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं किया जाना भी है। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी वैधानिक जिम्मेदारी पूर्ण करने के दौरान घटित हमलों की घटनाओं पर कार्यवाही न किये जाने से वरिष्ठ अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। सरकार की अपनी जो कोशिश है मैं उसको बिल्कुल भी छिपा नहीं रहा हूं। पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग–दर्शन के आलोक में कार्य करता है। इस प्रकार के निर्देश हमेशा दिये जाते हैं। अब देखिये कि क्या–क्या वजहात हैं। प्रथम पुलिस कर्मियों के द्वारा ऐसा कोई कृत्य जो असंवैधानिक हो, गैर कानूनी हो अथवा उत्पीड़नात्मक हो, जिसकी वजह से जनता क्रोधित होकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिये विवश हो जाती है तो मान्यवर, इस तरह की समस्याएं हैं। अपराध का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, अपराध के कई पहलू हैं। लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। सही या गलत, यह अलग बात है फिर उसमें कानून अपना काम करता है। तो इस बिना पर यह सब हो जाता है और होता है। तो उसमें कार्यवाइयां हुई हैं और कार्यवाई का पूरा विवरण दिया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, अचानक इस शासन में तो बढ़ नहीं गया, यही पहलू रहे होंगे। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि पिछले शासनकाल में, मैं उस शासन का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर यह सारे आंकड़े दिए गए हैं तो यह साफ–साफ चिन्ता का विषय है। ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं, जिसके कारण 2012 से पहले पुलिस पर आक्रमण के यह अपराध कम होते थे और 2012 के बाद बढ़ गए। इस सरकार को स्वयं इस बात का चिन्तन करना चाहिए था क्योंकि अक्सर यह बात आती है कि सब कुछ करके अन्त में कानून–व्यवस्था ही प्रभावी राजनीतिक मुद्दा बनता है। तो जो यह आंकड़े जिन्हें सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है, सरकार उस पर नियन्त्रण क्यों नहीं कर पा रही है ? चिट्ठियां लिखा लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ, कहीं न कहीं इसका समाधान तो निकलना चाहिए। क्या सरकार इस पर कहीं कोई दायित्व निर्धारण कर पा रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो आपकी तरफ से है कि चिट्ठियां लिखीं और कार्यवाई नहीं हुई। यही हमारा सिस्टम है और इसी सिस्टम के तहत चिट्ठियां लिखी जाती हैं, कार्यवाइयां की जाती हैं, चुस्त–दुरुस्त किया जाता है। फर्क बस इतना है कि अगर कोई क्राइम हुआ है और उसका संज्ञान नहीं लिया, उसकी एफ0आई0आर0 नहीं हुई तो वह नहीं माना जाता है। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसमें यही चलन था कि इस तरह के क्राइम रिकार्ड पर नहीं आते थे और उससे क्राइम घटने के बजाय, क्राइम बढ़ता था। तो जब आप उसको रिकार्ड पर लेंगे ही नहीं तो उसको सजा नहीं मिलेगी,

सजा नहीं मिलेगी तो क्राइम करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। अब बस फर्क इतना है कि अगर कहीं कोई क्राइम चाहे जनता के बीच का हो, पुलिस कर्मियों का हो, अगर किसी तरह का कोई अपराध होता है तो वह रजिस्टर किया जाता है और उसकी कार्यवाई होती है। इससे तो आपको मुतमईन भी होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए कि हमने उन आंकड़ों को छुपाया नहीं है क्योंकि अगर हम इस पर पर्दा डालेंगे तो फिर हम इस पर काबू नहीं कर सकेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह तो अपने आप में चिन्ता का विषय है कि 108 हत्याएं प्रतिवर्ष से हम 261 पर पहुंच गये। 108 हत्याएं पिछले शासनकाल में प्रतिवर्ष हुईं और 261 हत्याएं प्रतिवर्ष इस सरकार में हुईं।

श्री अध्यक्ष–

हत्याएं नहीं, प्रकरण।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, मान्यवर, हत्याएं नहीं, प्रकरण। मान्यवर, 108 प्रकरण पिछले शासन में और 261 प्रकरण इस शासन में प्रति वर्ष हुए। मान्यवर, सरकार भी इस तथ्य से सहमत है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं होना चाहिए, समान परिस्थितियों में एक पुलिसकर्मी की जब मौत होती है तो उसके परिवार को अनुदान राशि और उसके बदले में कम्पेशनेट ग्राउण्ड पर जो सेवा दी जाती है, वह एक के लिए दूसरा पैमाना और दूसरे के लिए दूसरा पैमाना। मान्यवर, एक प्रतापगढ़ में हत्या हुई, उसका पैमाना दूसरा है और एक बरेली में हत्या हुई, मनोज मिश्रा की, उसका पैमाना मान्यवर, दूसरा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार की पुलिस की मौतों में एक पैमाना अपना कर, एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार की अनुदान राशि और एक प्रकार से नौकरी की व्यवस्था उसके परिवार के लोगों के लिए करेंगे ? मान्यवर, आपके माध्यम से यह सीधा–सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, दरअसल इतनी देर भी सब्र किया तो बहुत किया आपने। दरअसल समाज को बांटते नहीं हैं और धर्म और जाति की बुनियाद पर यह राजनैतिक कार्यकर्ता है या नहीं है, हमारा कितना मददगार है या नहीं है ? इस बुनियाद पर सरकारें फैसला नहीं करती हैं। सरकारें क्या सही है और उसे कितनी मदद करना है, किस मदद से हालात को काबू में लाना है, कन्ट्रोल करना है, उन सब चीजों को देखकर कन्सीडर करती है। मान्यवर, खजाने के पैसे पर यकीनन मुख्य मंत्री का और सरकार का अख्तियार होता है लेकिन यह मुख्य मंत्री जी का विवेक है कि किसी प्राब्लम को सुलझाने के लिए क्या तय करेंगे ? आपने तो सिर्फ पैसे की बात की, यहां बात मान्यवर, इन्सानियत की है और बराबरी की है। पैसे से या किसी को कम या ज्यादा पैसा दे देने

से किसी इंसान की जिंदगी वापस नहीं आती। जिन हालात में प्रतापगढ़ में हत्या हुयी थी वह हालात अगर आप भूल गये हैं तो बहुत अफसोस की बात है। वह दूसरी हत्या हुयी है। मान्यवर, जान किसी की भी हो बराबर की है। जान की कोई कीमत नहीं है। लिहाजा आप इसे, इस रुख को अगर न ही लें तो बेहतर है। इसीलिए तो आप बहरहाल आप नेकनाम भी हैं और यही पहचान भी है आपकी। आप अपनी पहचान को बार–बार याद दिलाते हैं इससे आपका नुकसान हो रहा है। इससे आपका फायदा नहीं हो रहा है। लोग बहरहाल अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मान्यवर, एक तरफ तो हमें यह शिकायत होती है कि विदेशों से निवेश नहीं हो रहा है। लोग पैसा लगाने नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम विदेशों में जाकर यह कहते हैं कि हमें अब तक हिन्दुस्तानी होने पर शर्म आती थी। क्योंकि अब हम इतनी बड़ी कुर्सी पर आ गये हैं तो अब हमें शर्म नहीं आती है। तो जब हमें ही शर्म आती हो, 60 साल के आजाद हिन्दुतान में सबसे बड़ी कुर्सी को शर्म आती हो तो कौन आएगा। हम जाकर यह कहें कि कोई पचास करोड़ लेता है, कोई सौ करोड़ लेता है, कोई दो सौ करोड़ लेता है। तो जो आदमी आता हुआ होगा वह अपना टिकट वापस करके अपने घर वापस चला जाएगा कि कहां यह लुटेरों के देश में आ गये। तो यह जो आपका पालिटिकल एक्सपेरीमेंट था यह कुछ फेल हो गया। अब एक नयी लेबोरेटरी बनाइये जिसमें प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, शराफत सिखाइये। इनके तजुर्बों से नतीजे कुछ अच्छे आयेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सरकार नीतियों से चलती है। अगर एक परिस्थिति में किसी एक की हत्या हुयी।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, यह मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेक पर निर्भर है। मुख्य मंत्री अपने विवेक का किन परिस्थितियों में कैसे प्रयोग करते हैं इस पर कहां सवाल उठ सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक थानेदार की हत्या हुयी तो उसके संग पैमाना दूसरा है और दूसरे थानेदार की हत्या हुयी तो उसके साथ पैमाना दूसरा है। मान्यवर, शासन और सत्ता नीति के आधार पर चलती है व्यक्तिगत पसन्द और नापसन्द पर नहीं चलती। व्यक्तिगत पन्सद और नापसन्द पर चलती है तभी मान्यवर, सवाल खड़े होते हैं। मान्यवर, मैंने तो पालिसी पूछी कि सरकार की पालिसी क्या है। मान्यवर, हमने तो नाम भी नहीं लिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह बिल्कुल सही है। फ्रांस का राष्ट्रपति आये तो खुद से चला आये और किसी रेगिस्तान के टुकड़े का आये तो हम ऐसे। (हंसी)। यह भी बराबरी होना चाहिए। नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमने मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि एक भटकाऊ और एक घुमाऊ मंत्रालय का सृजन हो जाये। अगर एक भटकाऊ और एक घुमाऊ मंत्रालय का सृजन हो जाये तो इन सारी व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठेंगे।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, बैठिये।

'08–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03–10–2012 के आदेशों के पालन की मांग

'09–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनहित याचिका सं0 डब्ल्यू0पी0 (सिविल) 631/2004 पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03–10–2012 को योग्य व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित किया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के तहत अभी तक कितनी नियुक्तियां की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

उक्त आदेश के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की गयी :–

1–वर्ष 2012 में 9770 पदों के सापेक्ष 3277 सहायक अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

2–वर्ष 2013 में 10800 पदों के सापेक्ष 7479 सहायक अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

3–वर्ष 2013 में 4280 पदों के सापेक्ष 2341 (उर्दू भाषा) सहायक अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

4–वर्ष 2013 में 10000 पदों के सापेक्ष 5030 सहायक अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

5–वर्ष 2013 में 29334 पदों के सापेक्ष 26115 विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां उच्च प्राथमिक विद्यालयें में की गयी हैं।

6–वर्ष 2011 में विज्ञापित 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के सापेक्ष वर्ष 2015 में 60750 सहायक अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

7–उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में 15000 सहायक अध्यापकों तथा 3500 उर्दू भाषा के अध्यापकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण) के नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

'10–श्री नदीम जावेद–

ख्अस्पष्टता के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में सीवर व्यवस्था करने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग विषयक

'11–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान को गति देने हेतु क्या प्रदेश सरकार सभी नगर पालिका परिषदों में भी सीवर व्यवस्था स्थापित करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के आच्छादित 61 नगरों में से 47 नगर पालिका परिषद् सम्मिलित हैं। आच्छादित सभी 47 नगर पालिका परिषदों में सीवरेज प्रणाली अथवा सेप्टेज प्रबन्धन से सीवर व्यवस्था स्थापित करने का प्राविधान है। तद्नुसार 47 नगर पालिका परिषदों में सीवर व्यवस्था स्थापित करने हेतु प्राक्कलन विरचन का कार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमने तो सारा हिसाब–किताब बनाकर, ''हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आये वही पाये रोशनी''। भेज तो बहुत कुछ दिया है लेकिन केंद्र सरकार से अभी कुछ आया नहीं है। जब आएगा तो काम भी करेंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से धीरे–धीरे जो जनसंख्या है वह शहर में बढ़ती जा रही है और वहां नगर में जो व्यवस्थायें हैं वह पूरी तरीके से अपूर्ण हैं, वहां न तो ड्रेनेज की व्यवस्था है, न वहां पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था है। तो मेरा यह कहना था, क्योंकि नगर ओवर लोड होते जा रहे हैं और वहां पर्याप्त गन्दगी है, मैने सीधा सा प्रश्न मा0 नगर विकास मंत्री जी से किया था क्योंकि नगर विकास मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि क्या सरकार की कोई कार्य योजना है कि वह सभी नगर पालिका परिषदों में सीवरेज व्यवस्था लायेगी। सीधा सा प्रश्न था, लेकिन आपने उसे प्राक्कलन के माध्यम से सेण्ट्रल के ऊपर टाल दिया। तो मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार की कोई कार्य योजना है, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सिकन्दराबाद नगर पालिका परिषद् व गुलावटी नगर पालिका में सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मुहैया कराई जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं सीवर सिस्टम बहुत कम पैसों में कहीं किसी शहर में नहीं होता, कई–कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, इतना धन राज्य सरकारें व्यवस्था नहीं कर सकतीं, सम्भव ही नहीं है, भारत सरकार देती है, मैचिंग ग्राण्ट प्रदेश

सरकार देती है तब इसमें होता है, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं और शहरों में आ रहे हैं। हम तो उम्मीद यह करते थे कि आपको गांवों से बहुत वोट मिला है, इसीलिए हमने मशवरा भी दिया था कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलिजेज बनाइये, अगर आप स्मार्ट विलिजेज बनाते तो आधी शिकायत आपकी पलायन की रुक जाती, अभी से अपना सुधार कर लीजिए। ''खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे''। स्मार्ट सिटीज में आपने उत्तर प्रदेश को यह मान करके कि यहां कुछ नहीं होने वाला है, आपने उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश को रखा ही नहीं, अगर आप रखवा देते तो आपको यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही पेश नहीं आती। दूसरा जो आपने यह फरमाया कि बड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो देखिये नजर न लगे आपको किसी की, आप यह बात कहेंगी कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया है, तो आपके लोगों का भी बढ़िया स्वास्थ्य होगा, उन्हीं के बीच से आप आती हैं, तो वहां का पानी, आबो–हवा तो आपको देखकर खुद ही बता रहा है कि कैसी होगी।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, एक तो आपने सारी की सारी समस्या सेण्ट्रल पर डाल दी, लेकिन चूंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, प्रदेश का भी ये दायित्व है कि वह गांवों में सड़कें बनवाये, गांवों में अच्छे स्कूल बनवाये, यह भी प्रदेश सरकार का दायित्व है। तो मैंने आपसे दूसरा प्रश्न और किया था कि क्या सिकन्दराबाद नगर पालिका परिषद् और गुलावटी नगर पालिका में सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मुहैया कराई जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बिल्कुल सही दायित्व है कि यह सब करायें हम और हमने कराये भी हैं, हमने बहुत सड़कें बनवाई हैं, हमने बहुत पुल बनवाये हैं, अगर आपके यहां कोई सड़कें रह गई हैं तो आप दीजिए, उस पर भी विचार कर लेंगे। आपने गुलावटी और सिकन्दराबाद के बारे में कहा है तो उसे दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश के वित्त पोषित माध्यमिक इण्टर कालेजों के गिरते स्तर को सुधारने हेतु कार्य योजना बनाये जाने सम्बन्धी विषयक

'12–डा0 अरुण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्त पोषित (ग्रान्ट इन ऐड) माध्यमिक इण्टर कालेजों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है ? यदि हां, तो इसको सुधारने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बैंकों से आसान ऋण हेतु समानुपातिक नीति लागू करने विषयक

'13–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिये कौन–कौन सी दुग्ध डेरी की योजनायें संचालित की जा रही है ? क्या सरकार दुग्ध डेरी स्थापित करने वाले किसानों को ऋण सुविधा दे रही है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या पात्रता निर्धारित है ? क्या सरकार इच्छुक लाभार्थियों को बैंकों से आसान ऋण हेतु कोई समानुपातिक नीति लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

दुग्ध विकास विभाग द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिये दुग्ध डेरी स्थापना की कोई भी योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

दुग्ध विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम, कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

दुग्ध विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सघन मिनी डेरी परियोजना के माध्यम से किसानों को बैंक ऋण एवं शासकीय अनुदान की सहायता की जा रही थी। शासनादेश संख्या–434/53–15–2 (16)/15, दिनांक 13–04–2015 द्वारा उक्त परियोजना का संचालन दुग्ध विकास विभाग के माध्यम से बन्द कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के पठन–पाठन की गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

'14–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कई प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही है दूसरी तरफ फर्जी दाखिले के आधार पर शिक्षा विभाग के कई मदों से धन की हेरा–फेरी की जा रही है ? क्या सरकार शिक्षा की स्थिति एवं पठन–पाठन की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई कार्य योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित है :–

1–राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कि परिप्रेक्ष्य में कक्षा–1–8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी हैं।

2–कक्षा–1–8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा–1–5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिये निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

3–विद्यालयों में पठन–पाठन प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल में सम्वर्द्धन के लिये नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

4–विद्यालयों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं विविध कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5–शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से छात्र–छात्राओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षा व्यवस्था पुनः लागू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो पहला भाग है, वह विरोधाभासी है। आप देखने की कृपा करें, जो मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कई प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, तो मंत्री जी ने कह दिया, जी नहीं। बाद में आगे कह रहे हैं कि यह–यह काम हो रहे हैं तो यह किस प्रकार का उत्तर है।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आपने कहा कि दूसरी तरफ फर्जी दाखिले के आधार पर, तो उसका उन्होंने नहीं कहा होगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, यह कहना चाहिये था कि फर्जी दाखिले नहीं हो रहे हैं, बाकी यह जो मेरा दूसरा प्रश्न है उसके उत्तर में कहना चाहिये था कि हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न इसलिए लगाया था कि मैं पूरे प्रदेश का तो नहीं जानता लेकिन वाराणसी जिले में एक चेकिंग अभियान चलाया गया था। विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वह वहां गए तो उन्होंने क्या पाया कि अगर वहां 100 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं तो 10 या 20 विद्यार्थी पाए गए। जो शिक्षक हैं, अगर वहां 2 शिक्षक हैं या 3 शिक्षक हैं तो वहां कोई नहीं है, या एक–आध हैं। इस तरह से उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो मेरा यह प्रश्न करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सुविधायें कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आप सुविधायें तो दे रहे हैं। आप मिड–डे–मील दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप कई प्रकार के कार्यक्रम अपना रहे हैं जिससे बच्चें वहां आएं और पठ्न–पाठन में उनकी रुचि पैदा हो और वह आगे बढ़ें। जो कुछ आपने कहा वह अपने स्तर से क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि मेरा जो प्रश्न है कि अगर वहां हेराफेरी है या जो भी हो रहा है वह तो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में भी आया है और अन्य विषयों में भी यह आया है कि बच्चों को ज्यादा वहां इनरोल्ड दिखा करके और कई सुविधायें वह हजम किए जा रहे हैं। तो यह जो हमारा नैतिक पतन है, उसको रोकने के लिए क्या

ऐसी व्यवस्था आप लागू करने पर विचार करेंगे कि विद्यालय में जितने बच्चे होने चाहिए उतने ही इनरोल्ड दिखाएं जाएं, फर्जी न दिखाएं जाएं और जो सुविधायें दी जा रही हैं, उसमें गोलमाल न किया जाए। यह भी एक है कि 100 बच्चे दिखा रहे हैं तो उनके नाम पर जो वस्तुएं हैं, वह 100 बच्चों के लिए उठा रहे हैं और 10 बच्चों को वितरित कर रहे हैं और बाकी हजम कर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सिर्फ इसका उत्तर दिला दें कि वाराणसी जिले में जो जांच में सारी गलतियां पकड़ी गयी है तो क्या पूरे प्रदेश भर में इस तरह का कोई अभियान चला करके, इसको चेक करने का और जो इसके लिए दोषी हैं, उनको दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदय ने अभी कहा कि बनारस जिले में नहीं पूरे प्रदेश में खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और एस0एम0सी0 के माध्यम से जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उसके माध्यम से भी इसकी चेकिंग पूरे उत्तर प्रदेश में करायी जा रही है। कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है, जहां पर चेकिंग नहीं हो रही है। इससे पहले हमारे माननीय मंत्री जी श्री राम गोविन्द चौधरी साहब, उन्होंने कई बार इसी सदन में कहा कि आप लोग एक स्कूल या दो स्कूल चेक करके माननीय विधायकगण देखकर देने का काम करें। अगर कहीं इस तरह की अव्यवस्था पायी जायेगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज तक हमारे किसी माननीय सदस्य ने एक भी स्कूल को चेक करके नहीं दिया, वह इसलिए क्योंकि उनका वोट बिगड़ता है इसलिए आज तक कोई चेकिंग करके देने का काम नहीं किया, लेकिन सरकार इस पर गंभीर है और उस पर व्यवस्था दे रही है कि हमारे सारे खण्ड शिक्षा अधिकारी और एस0एम0सी0 के जरिये इसको चेक कराया जाता है और उसपर कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष–

दादा आपका तो जांच करा कर आ गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

आ गया है, अब उसी में तो उत्तर चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विभिन्न अधिकारियों द्वारा यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से यह अनुपूरक है कि इस चेकिंग में क्या कोई अनियमितता, शिक्षकों का न होना, बच्चों का कम पाया जाना और जो मिड–डे–मील इत्यादि है वह अधिक उठाया जाना, ये सारी चीजें पाईं गईं। यदि पाईं गई तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ 12 कार्यवाही की गई हैं। टीचर्स को सस्पेण्ड किया गया है, उनको वारनिंग दी गई है, और आंकड़ा हम आपको बता देंगे।

प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण की मांग

'15–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में पूर्व निर्मित मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर उसके ऊपर पुनः तारकोल/सी0सी0/इंटरलाकिंग कराये जाने के कारण मार्ग ऊंचा हो जाता है जिसके कारण मकानों के फर्श नीचे होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निकाय क्षेत्रों में पुराने क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण से मकान नीचे न पड़े इसके निराकरण के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऐसे मामले अपवाद स्वरूप होते हैं। प्रायः यह समस्या अनियोजित तरीके से बने भवनों की होती है। इस प्रकार की आम समस्या प्रकाश में नहीं है। अतः फिलहाल कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित क्षतिग्रस्त टंकी को ठीक कर चालू करवाने विषयक

01–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरतौनी, विकास खण्ड विचपुरी में लगी हुई टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी काफी दिनों से फटी होने के कारण गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त टंकी को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–विचपुरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत–अरतौनी में अधिष्ठापित टी0टी0एस0पी0 की टंकी क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में टी0टी0एस0पी0 के नलकूप से ग्रामवासियों को सीधे जलापूर्ति की जा रही है।

जी हां।

टी0टी0एस0पी0 टंकियों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थियों को वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर नयी गाइड लाइन को अंगीकृत कर नियमावली बनवाने विषयक

02–श्री मनीष असीजा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में इंदिरा आवास के बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थियों की सूची संतृप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन के अनुसार सरकार वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर नये पात्रों का सृजन करने तथा नयी गाइड लाइन को अंगीकृत कर नियमावली बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। कतिपय जनपदों में अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थाई प्रतीक्षा सूची एवं बी0पी0एल0 सूची संतप्त हो चुकी है। कुछ जनपदों की सामान्य श्रेणी की सूची में अल्पसंख्यक लाभार्थी उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण स्थाई प्रतीक्षा सूची के परिवारों को स्प्लिट कर पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी, जिसके लिए भारत सरकार से नियमावली प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अपराधियों को दण्ड दिलवाने में तीव्रता लाने हेतु पुलिस विभाग को विशेष प्रशिक्षण दिलवाने विषयक

03–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा अपराधियों को सजा दिलवाने की दर (कनविक्शन रेट) बढ़ाने के लिये पुलिस विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों की पुख्ता जांच एवं सबूतों को अदालत में प्रस्तुतीकरण हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपराधियों दोषियों को दंड दिलाने की अधिकतम सफलता दर प्राप्त करने हेतु पुलिस विभाग के सम्बन्धित जांच कर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिलवाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

न्यायालय में सजा की दर बढ़ाने के लिये पुलिस उपाधीक्षक तथा उपनिरीक्षक ना0पु0 को आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक विवेचना, केस डायरी, भौतिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य को एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुतिकरण किये जाने हेतु प्रशिक्षण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम/आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित अभियोगों की गुणात्मक जांच/विवेचना हेतु समय–समय पर सी0बी0आई0 अकादमी, गाजियाबाद में भी प्रशिक्षण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

04–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख03सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आगरा की पुष्पांजली बाग एवं दयालबाग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों के निर्माण कराये जाने विषयक

05–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद आगरा में पुष्पांजली बाग व दयालबाग की क्षतिग्रस्त आन्तरिक सड़कों एवं नालियां तथा मालवीय कुंज बड़े पार्क की चारों ओर की सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के लता कुंज सोंठ की मण्डी की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों के निर्माण विषयक

06–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद आगरा में लता कुंज सोंठ की मण्डी की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की अम्बाला रोड पर खुर्जा मिल के मुख्य मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण विषयक

07–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में सहारनपुर–अम्बाला रोड पर खुर्जा मिल (सर्वजीत नगर) के मुख्य मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क का सरकार निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराने हेतु आगणन तैयार कराया गया है। नियमानुसार धनराशि स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की दिल्ली रोड के पन्त विहार के पीछे महादेव कालोनी में क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करवाने विषयक

08–श्री राजीव गुम्बर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर में सहारनपुर–दिल्ली रोड पर पन्त विहार के पीछे महादेव कालोनी में गम्भी प्रॉपर्टी के आफिस के पास पंकज तीतरों के घर के सामने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का सरकार निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सड़क सुधार एवं नाली निर्माण का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आलमबाग से चिनहट के मार्गों पर दोनों ओर के अतिक्रमण को हटवाने विषयक

09–श्री नदीम जावेद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में आलमबाग से चिनहट वाया हजरतगंज, महानगर होते हुये आने जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ अतिक्रमण होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के दोनों तरफ व्याप्त अतिक्रमण मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिस पर पक्का/स्थायी अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है। जहां तक पटरी विक्रेताओं द्वारा उक्त मार्ग पर किये गये अस्थायी अतिक्रमण का प्रश्न है, नगर निगम द्वारा उक्त मार्ग के अधिकांश भाग को नो–वेन्डिंग जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है तथा वहां पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु रोस्टर बनाकर समय–समय पर अतिक्रमण हटाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की यातायात पुलिस के कर्मियों की वृद्धि किये जाने विषयक

10–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यातायात पुलिस कर्मियों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार यातायात पुलिस कर्मियों की कमी को दूर करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के जनपदों में यातायात पुलिस का स्वीकृत नियतन, उपलब्धता तथा रिक्ति का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति
1	निरीक्षक यातायात	09	04	05
2	उपनिरीक्षक यातायात	90	76	14
3	मुख्य आरक्षी यातायात	501	613	–
4	आरक्षी यातायात	3056	2373	683

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों के विकसित होने एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यह नियतन काफी कम होने एवं उक्त नियतन से यातायात का उचित ढंग से संचालन करने में कठिनाई के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 14–12–2015 द्वारा यातायात पुलिय में निम्नवत अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मियों की वृद्धि की गयी है :–

निरीक्षक यातायात	उपनिरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल
86	1069	3431	8595	13181

प्रथम चरण–2016 में पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 08–02–2016 द्वारा प्रदेश के 'एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली' हेतु चिन्हित 12 जनपदों हेतु नागरिक पुलिस के कर्मियों को यातायात पुलिस में निम्नानुसार तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

निरीक्षक यातायात	उपनिरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल
27	87	232	1059	1405

प्रथम चरण में यातायात पुलिस में वृद्धि किये गये कर्मियों के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। प्रशिक्षणोपरान्त इन्हें संबंधित जनपदों की यातायात पुलिस में तैनात किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के कतिपय ब्लाक के खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक करवाने विषयक

11–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ब्लाक राजपुर, सन्दलपुर एवं डेरापुर में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–कानपुर देहात के विकास खण्ड–राजपुर में 268, सन्दलपुर में 165 एवं डेरापुर में 201 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रिबोर योग्य) हैं।

जी हां।

हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाने हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात की ग्राम सभा व विकास खण्ड राजपुर का आबादी के आधार पर नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने विषयक

12–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की ग्राम सभा व विकास खण्ड राजपुर की आबादी वर्तमान में 10000 से अधिक है तथा मुख्य हाई–वे एन0एच0–2 पर स्थित है जहां पशु बाजार, कई कालेज, नर्सिंग होम सहित ब्लाक का मुख्यालय भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्रामसभा राजपुर, विकास खण्ड राजपुर, तहसील सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 9236 है। नगर पंचायत सृजन हेतु शासनादेश संख्या–2934/9–1–2014–426सा/14, दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार नगर पंचायत हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या का मानक पूर्ण न होने के कारण राजा का ताल को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक झींझक के ग्राम जजमुइया में प्राइमरी पाठशाला की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्री के निर्माण एवं हैण्डपम्प के रिबोर कराये जाने विषयक

13–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ब्लाक झींझक में स्थित ग्राम जजमुइया में प्रा0पा0 की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनी है तथा पाठशालाओं में अधिष्ठापित हैण्डपम्प भी खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल को बनवाते हुये हैण्डपम्प को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक झींझक में स्थित ग्राम जजमुइया में प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी नहीं है। विद्यालय में अधिष्ठापित हैण्डपम्प क्रियाशील है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2016–17 में चहारदीवारी निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम फिरोजाबाद द्वारा पेयजल टंकियों के निर्माण में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई की जानकारी विषयक

14–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम, फिरोजाबाद को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल टंकियों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक दी गयी धनराशि में से टंकियों के निर्माण में जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा मौके की जांच में घोटाला पाया गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट जनपद–फिरोजाबाद के थाना–दक्षिण में अ0सं0–947, दिनांक 20–8–2015 धारा–420, 409 के अन्तर्गत 26 निर्माण एजेन्सियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

पुलिस विभाग की अपराध शाखा द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जल निगम विभाग द्वारा टंकियों के निर्माण में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई की जानकारी विषयक

15–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जल निगम फिरोजाबाद से पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 पेयजल टंकियों के निर्माण कार्य में घोटाला पाया गया था तथा जिला विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निर्माणाधीन एजेन्सी मालिकों के खिलाफ थाना–दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद में अ0सं0–947 दिनांक 20–8–2015 धारा 420–409 के अन्तर्गत 26 निर्माण एजेन्सियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निर्माणकर्ता एजेन्सी मालिकों के विरुद्ध दर्ज कराये गये अ0सं0–947, दिनांक 20–8–2015 धारा 420, 409 की जांच जघन्य अपराध इकाई, फिरोजाबाद द्वारा की जा रही है तथा प्रकरण मा0 जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम फिरोजाबाद में वर्ष 2011–12 में अधिष्ठापित नवीन हैण्डपम्पों के भुगतान में अनियमितता की शिकायत

16–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम फिरोजाबाद को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में नवीन हैण्ड पम्प लगाने हेतु दिये गये 1704 में से अधिकतर हैण्डपम्पों का भुगतान मौके पर बिना लगाये ठेकेदारों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की स्थलीय जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011–12 में अधिष्ठापित नये हैण्डपम्पों के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है।

जनपद इलाहाबाद के करछना विकास खण्ड में बन्द पड़ी डीहा पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा चालू करवाने की कार्यवाही

17–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना के ग्राम सभा डीहा में स्थापित पानी की टंकी से गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी के माध्यम से उक्त ग्राम में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

डीहा पेयजल योजना का संचालन/अनुरक्षण कार्य अक्टूबर, 2007 से ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित बन्द पाइप पेयजल योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही पंचायती राज विभाग के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

18–श्री सतीश महाना–

खदिनांक 15–2–2016 को अता0प्र0सं0–44 द्वारा उत्तरित,

लोकतंत्र सेनानियों को दी जा रही सुविधा एवं अधिकार को अनवरत जारी किये जाने के सम्बन्ध में

19–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकतंत्र सेनानी जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा दस हजार रु0 प्रतिमाह पेंशन तथा सहवर्ती के साथ निःशुल्क बस यात्रा सेवा तथा सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जा रही है ? क्या सरकार ने उक्त सभी सुविधाओं को भविष्य में अनवरत जारी रखने के लिये कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

जी हां।

लोकतंत्र सेनानियों की दी जा रही सुविधा एवं अधिकार के लिए अधिनियम बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम गामरी में टी0टी0एस0पी0 नलकूप से पानी की जलापूर्ति

20–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड अकोना के ग्राम गामरी में लगी टी0टी0एस0पी0 पानी की टंकी काफी दिनों से क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी को बदलकर पानी की सप्लाई चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–अकोला के अन्तर्गत ग्राम–गामरी में अधिष्ठापित टी0टी0एस0पी0 की टंकी क्षतिग्रस्त है। वर्तमान में टी0टी0एस0पी0 के नलकूप से ग्रामवासियों को सीधी जलापूर्ति की जा रही है।

जी हां।

टी0टी0एस0पी0 टंकियों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् टूण्डला में मानक से अधिक गृहकर एवं जलकर की वसूली

21–श्री राकेश बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद की नगरपालिका परिषद्, टूण्डला द्वारा शहर में गृह स्वामियों के भवनों का गृह कर एवं जल कर मानक के अनुरूप निर्धारित न होने के कारण गृह स्वामियों को अधिक गृह कर एवं जल कर का बिल प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहर के भवनों के जल कर और गृह कर के बिलों की जांच कराकर सही बिल भवन स्वामियों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् टूण्डला में खराब हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग

22–श्री राकेश बाबू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद को नगर पालिका परिषद् टूण्डला के अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प रि–बोर की स्थिति में है ? क्या सरकार पेयजल की समस्या के दृष्टिगत खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कुल 40 हैण्डपम्प रि–बोर की स्थिति में हैं।

40 रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों में से 9 हैण्डपम्पों को रिबोर करा दिया गया है। 18 हैण्डपम्पों को मार्च, 2016 तक रिबोर करा दिया जायेगा। 10 हैण्डपम्प अत्यन्त तंग गलियों में लगे हैं। अतः उनकी पुनर्स्थापना उक्त स्थलों पर ही कराया जाना संभव नहीं है। अवशेष 03 हैण्डपम्प सी0सी0रोड में लगभग पूर्ण रूप से दबे हैं जिन्हें रिबोर कराया जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस अधिनियम 1861 का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

23–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत यातायात नियंत्रण के लिये पुलिस के क्या उत्तरदायित्व एवं अधिकार निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि गोरखपुर महानगर के कैण्ट थाने के अन्तर्गत स्थित रेलवे पुलिस चौकी के बगल में ही वाहनों के गैरकानूनी तरीके से खड़े रहने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त अधिनियम का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पुलिस अधिनियम 1861 की धरा 30क(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक या पुलिस का सहायक जिला अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक, या थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को, जो अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है, रोक सकेगा और उसे या ऐसे किसी जमाव को जो, किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करता, बिखर जाने का आदेश दे सकेगा।

2–जो कोई जुलूस या जमाव अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश के पालन करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है यह विधि विरुद्ध जमाव समझा जायेगा।

3–धारा–31 पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक सड़कों पर और लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों और लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाये रखे और जमावों तथा जूलूसों के आने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थानों के आस–पास और किसी भी अवस्था में, जब किसी सड़क मार्ग, आम रास्ता घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की सम्भाव्यता हो, बाधाओं का निवारण करें।

4–धारा 32 ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन निकाले गये आदेशों का विरोध करना अवज्ञा या संगीत के लिए या जमावों और जुलूसों के आचरण के लिए पुलिस के जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक द्वारा अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाला प्रत्येक मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध पर दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

5–धारा–34 कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमाओं के अन्दर, जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतया किया है, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान या मार्ग या आम रास्ते में निम्न अपराधों में से कोई अपराध करता है जिससे निवासियों या यात्रियों को बाधा असुविधा, क्षोभ जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचाया है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर 50 रुपये से अनधिक जुर्माने या कठोर परिश्रम सहित या रहित आठ दिन अनधिक कारावास से दण्डनीय होगा, और किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे अपराधों में से कोई अपराध करता है बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें।

गोरखपुर महानगर क्षेत्र के कैण्ट थाना अन्तर्गत रेलवे पुलिस चौकी के बगल में हमेशा जाम की स्थिति नहीं रहती है। यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस चौकी तथा पिकेट व्यवस्था द्वारा यातायात नियंत्रण किया जाता है। कैण्ट थाना क्षेत्र के बगल में गैर कानूनी ढंग से संचालित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

पुलिस द्वारा परिवहन विभाग, नगर निगम के सहयोग से समय–समय पर अभियान चलाकर अवैध संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। वर्तमान समय में परमिट वाले वाहनों को पाण्डेय पेट्रोल पम्प से संचालित कराया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वर्ष 2015 में 82 बसों का चालान, 208 बसों से शमन शुल्क रु0 203800.00 वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में सूर्यनगर पानी की टंकी के पीछे की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

24–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सूर्यनगर पानी की टंकी के पीछे की क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा में सूर्यनगर पानी की टंकी के पीछे आंशिक रूप से तीन मीटर क्षतिग्रस्त सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग आवागमन हेतु सुगम है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में कृपाल कालोनी, भगवान टाकीज के सामने क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण

25–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कृपाल कालोनी भगवान टाकीज के सामने तथा महेन्द्र इन्क्लेव गांधी नगर की आन्तरिक सड़क व नाली क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली सुधार कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री इन्द्रपाल सिंह–

खदिनांक 15–2–2016 को अता0प्र0सं0–43 द्वारा उत्तरित,

गो–सेवा आयोग का कार्य धनाभाव के कारण सुचारु रूप से न हो पाने के सम्बन्ध में

27–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो–सेवा आयोग का गठन कब किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आयोग के गठन के बाद प्रशासनिक व अन्य मदों में आवंटित धनराशि समय पर न मिलने के कारण आयोग के काम सुचारु रूप से नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार समय से धन अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)–

गो–सेवा आयोग का गठन वर्ष 1999 में हुआ था।

जी नहीं। आयोग को आवंटित बजट के अंतर्गत समय–समय पर उनके द्वारा की गई मांग के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी, ब्लाक महुआ के ग्राम रीगा में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने के संबंध में

28–श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी, ब्लाक–महुआ के ग्राम–रीगा में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूल में बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण आवारा पशुओं के आवागमन से भय बना रहता है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद बांदा की तहसील नरैनी, ब्लाक महुआ के ग्राम–रीगा में स्थित प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल में बाउन्ड्रीवाल नहीं है।

वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से चहारदीवारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया जा सका है। वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में चहारदीवारी का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला श्रीनगर जलेसर रोड की क्षतिग्रस्त गलियों को ठीक कराने के सम्बन्ध में

29–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला श्रीनगर जलेसर रोड की गलियां सीवर लाइन एवं पानी की पाइप लाइन पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0–799375 दिनांक 16–12–2015 आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त गली के निर्माण पर लगभग रु0 25.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत दतौजी खुर्द पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में

30–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला दतौजी खुर्द को जाने वाले मार्ग पर कमलाबाई मन्दिर, दतौजी खुर्द वाली पुलिया काफी सकरी होने एवं दोनों तरफ गहरे–गहरे गड्ढे होने के कारण आवागमन में वाहनों/नागरिकों के साथ दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया को चौड़ीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त नगर, निगम फिरोजाबाद को

प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–799345, दिनांक 16–12–2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण पर लगभग रु0 20.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत नई बस्ती, परशुराम नगर आदि मोहल्लों की कच्ची सड़कों पर नाली एवं मिट्टी भराव कराये जाने के सम्बन्ध में

31–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला रहना, नई आबादी, परशुराम नगर में तिवारी की बाउन्ड्री से ट्यूबवेल तक मेन गली पूरी तरह कच्ची होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–799315, दिनांक 15–12–2015 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर नाली एवं मिट्टी भराव का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम के मोहल्ला सुहाग नगर सेक्टर नं0 2 आदि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

32–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला सुहाग नगर सेक्टर नं0–2, न्यू प्रीतम नगर के अन्दर टंकी वाले पार्क के अन्दर राजकुमार राठौर के सामने वाली गली बहुत क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त होने के कारण जलभराव से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–799124, दिनांक 09–12–2015 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

गली क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त गली की मरम्मत पर लगभग रु0 15.00 लाख धनराशि की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत करबला की गली नं0 10/2 की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

33–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला करबला की गली नं0–10/2 एवं उसके पास की गलियां बहुत क्षतिग्रस्त होने के कारण इनमें कीचड़/जल भराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो उक्त गलियों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–799935, दिनांक 10–12–2015 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मोहल्ला करबला गली नं0 10/2 एवं उसके पास की कुछ गलियां क्षतिग्रस्त हैं, परन्तु इनमें कीचड़/जल भराव की समस्या नहीं है।

क्षतिग्रस्त गली के निर्माण पर लगभग रु0 20.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में गणेश नगर नगला परी आदि की क्षतिग्रस्त नाली एवं सड़कों की मरम्मत

34–श्री जगन प्रसाद गर्ग

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में गणेश नगर नगला परी तथा पुलिस चौकी नेहरू नगर से बलवन्त लाज तक की सड़कें एवं नाली क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

गणेश नगर में कमलेश भारद्वाज के मकान से नन्द किशोर बघेल के मकान तक नाली एवं सड़क सुधार एवं साइट पटरी इण्टरलाकिंग का कार्य स्वीकृत है, जो वर्तमान में प्रगति पर है।

पुलिस चौकी नेहरू नगर से बलवन्त लोज तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में शीला विहार कालोनी आदि की क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जाना

35–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शील विहार कालोनी बम्बई वाली बगीची के सामने की सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर समाज कल्याण विभाग, आगरा द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मुगल सराय विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत चंदौली में जल भराव की समस्या

36–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत चन्दौली के वार्ड नं0–1 अम्बेडकर नगर के प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र के साथ राम निवास के मकान से लल्लन चौहान के मकान नहर तक मार्ग में जल भराव होने की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग 5 एन0 140381, दिनांक 16–12–15 जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा अवर अभियन्ता को स्थल निरीक्षण करके आगणन तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

37–श्री त्रिभुवन राम–

ख्2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता विकास खण्ड में बकुलाही नदी पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनान्तर्गत स्वीकृत चैकडैम का निर्माण

38–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता में बकुलाही नदी पर भयहरणनाथधाम चेक डैम वित्तीय वर्ष 2014–15 से ही स्वीकृत है, का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है जिससे नदी के लगभग 15 कि0मी0 के लूप में पानी नहीं पहुंचने से जल स्तर बहुत नीचे चला गया है तथा सिंचाई और पेयजल की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार

पेयजल एवं सिंचाई की गम्भीर समस्या के दृष्टिगत उक्त चेक डैम का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

प्रश्नगत चैकडैम निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रस्ताव इस शर्त के साथ तैयार किया गया है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) की पाइप लाइन हटने/सुरक्षित होने एवं गेल की स्वीकृति के पश्चात ही कार्य सम्पन्न कराया जायेगा, जो अभी परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत हुमायूंपुर नाले की पुलिया के पास क्षतिग्रस्त गलियों का पुनर्निर्माण

39–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला हिमायूंपुर नाले की पुलिया के पास साधना ब्यूटी पार्लर वाली गली बेहद क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां के निवासियों का निकलना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के पुनर्निर्माण विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0–823426, दिनांक 02–01–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

गलियों का सर्वेक्षण करा लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम के अन्तर्गत मीरा चौराहा/सेन्ट जॉन्स चौराहा से लालऊ रोड आदि की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

40–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला रहना में पानी प्लांट वाली गली, मोहल्ला उत्तम नगर, ट्यूबवेल वाली गली, मो0 झलकारी नगर गली नं0–4 तथा मो0 शान्तीनगर में मन्दिर वाली गली बेहद क्षतिग्रस्त एवं नाली न होने के कारण मोहल्लों के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–823410, दिनांक 02–01–2016, पत्र संख्या–823342 एवं 823283 दिनांक 31–12–2016 तथा पत्र सं0–799427, दिनांक 21–12–2015 नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

मीरा चौराहा/सेन्ट जॉन्स चौराहा से लालऊ रोड तक प्रश्नगत सड़क इण्डस्ट्रियल क्षेत्रान्तर्गत है। नगर निगम द्वारा सर्वप्रथम आवासीय क्षेत्रों की सड़क/नालियों पर निर्माण कराया जा रहा है। अन्य गलियों का सर्वेक्षण करा लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी महानगरों में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने की योजना

41–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्राइम एण्ड क्रिमिनल टैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रदेश के सभी महानगरों में लागू करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रदेश के सभी महानगरों में लागू हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कृपाल कालोनी के पार्क का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में

42–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कृपाल कालोनी के पार्क की बाउन्ड्रीवाल मय लोहे की ग्रिल सहित का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पार्क क्षतिग्रस्त है। पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में मस्जिद वाली गली मदिया कटरा की क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण

43–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मस्जिद वाली गली मदिया कटरा की क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है। उक्त मार्ग का निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरों में आबादी के अनुपाल में ट्रैफिक सिपाहियों के कुल सृजित पद एवं रिक्त पदों पर भर्ती

44–श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रैफिक सिपाहियों के कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं ? क्या सरकार शहरों की आबादी के अनुपात में ट्रैफिक सिपाहियों की भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के जनपदों में यातायात पुलिस का स्वीकृत नियतन, उपलब्धता तथा रिक्ति का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति
1	निरीक्षक यातायात	09	04	05
2	उपनिरीक्षक यातायात	90	76	14
3	मुख्य आरक्षी यातायात	501	613	–
4	आरक्षी यातायात	3056	2373	683

प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों के विकसित होने एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यह नियतन काफी कम होने एवं उक्त नियतन से यातायात का उचित ढंग से संचालन करने में कठिनाई के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 14–12–2015 द्वारा यातायात पुलिस में निम्नवत अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मियों की वृद्धि की गयी है :–

निरीक्षक यातायात	उपनिरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल
86	1069	3431	8595	13181

प्रथम चरण–2016 में पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 08–02–2016 द्वारा प्रदेश के 'एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली' हेतु चिन्हित 12 जनपदों हेतु नागरिक पुलिस के कर्मियों को यातायात पुलिस में निम्नानुसार तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

निरीक्षक यातायात	उपनिरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल

27	87	232	1059	1405

प्रथम चरण में यातायात पुलिस में वृद्धि किये गये कर्मियों के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। प्रशिक्षणोपरान्त इन्हें संबंधित जनपदों की यातायात पुलिस में तैनात किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों का निर्माण कार्य नगर निगम से कराये जाने के संबंध में

45–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र स्थित मिर्जापुर रोड से छिवकी स्टेशन (2 कि0मी0) तक क्षतिग्रस्त रोड के बगल नाली/नाला न होने के कारण मोहल्लों का पानी रोड पर जमा होने से राहगीरों को आने–जाने में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर नाले/नाली का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां कार्य कराने का दायित्व नगर निगम, इलाहाबाद का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

46–श्री दीपक पटेल–

ख03सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद इलाहाबाद में बन्द पड़े सार्वजनिक शौचालयों को पुनः चालू कराये जाने के संबंध में

47–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में निर्मित सार्वजनिक शौचालयों में से कितने वर्तमान में बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े सार्वजनिक शौचालयों को पुनः जीवित/सुदृढ़ीकरण करते हुए चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

11 अदद शौचालय बन्द पड़े हैं।

जी हां।

आवश्यकतानुसार शीघ्र ही।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद मुगलसराय के वार्ड 16 के कतिपय मुहल्लों की क्षतिग्रस्त नालियों व मार्गों का जीर्णोद्धार

48–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय के वार्ड नं0–16 काली महाल में मुस्तफा, रहीम के मकान से आनन्द नगर मार्ग होते हुए कृष्ण कान्त के मकान तक एवं सहजौर मार्ग से डायलूसन पम्प होते मुस्तफा के मकान तक मार्ग व नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर पालिका परिषद–मुगलसराय के वार्ड नं0 16 कालीमहाल में मुस्तफा, रहीम के मकान से आनन्द नगर मार्ग होते हुए कृष्ण कान्त के मकान तक एवं सहजौर मार्ग से डायलूसन पम्प होते हुए मुस्तफा (मुस्ताक) के मकान तक मार्ग व नाली निर्माण कार्य का आगणन रु0 14,10,000.00 तैयार कर लिया गया है, जिसे नगर पालिका बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक 07–09–2015 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु बजट के अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया, जिसे पुनः पालिका बोर्ड की आगामी बैठक में रख कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र महराजपुर कानपुर के वार्ड–81 में नगर निगम द्वारा नाला निर्माण कराये जाने के संबंध में

49–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र महराजपुर जनपद कानपुर के वार्ड नं0–81 जरौली के हरदेव नगर में भूरे सिंह के मकान से देवी प्रसाद गुप्ता के मकान तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07–01–2016 नगर आयुक्त, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत नाला निर्माण हेतु आगणन तैयार कराया गया है। कार्य का कराया जाना नगर निगम की वित्तीय संसाधन पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की रुदौली पेयजल पुनर्गठन योजना का सुदृढ़ीकरण

50–श्री रामचन्द्र यादव

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की नगर पालिका परिषद् पेयजल योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण

कराये जाने विषयक आगणन पी0एफ0ए0डी0 के उपरान्त स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना हेतु धन अवमुक्त कराकर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

रुदौली पेयजल पुनर्गठन योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–289/2015/2810/नौ–5–2015–5याचिका/2014 दिनांक 25–08–2015 द्वारा रु0 1720.93 लाख की प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उनके मां–बाप को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में

51–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहीद होने वाले वीर पुलिस कर्मियों के आश्रित पत्नी एवं बच्चों को आर्थिक सहायता देते समय उसके अतिरिक्त उनके आश्रित वृद्ध मां–बाप को भी शहादत के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में शहीद होने वाले वीर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को शासनादेश संख्या : सीएम–134 पी/छः–पु–14–100(9)/2014, दिनांक 10–09–2014 के अनुसार कर्तव्यपालन में शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख मात्र) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त अनुमन्य धनराशि मृतक के अविवाहित होने की दशा में उसके आश्रित माता–पिता को प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान लखनऊ द्वारा दिनांक 19–07–2013 से शहीद पुलिस कर्मी के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह धनराशि रु0 06.00 लाख (रु0 छः लाख मात्र) में से रु0 02.00 लाख (रु0 दो लाख मात्र) शहीद के वृद्ध माता–पिता को चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2016 का प्रख्यापन

52–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय कानून–पथ विक्रेता जीविका विधेयक, 2013 को अंगीकृत कर प्रदेश में रेहड़ी, पटरी एवं

खोमचा दुकानदारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्हें कानूनी अधिकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा जारी पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014, जो मई, 2014 से प्रभावी है, के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र के खराब नलकूपों की रि–बोरिंग

53–श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजगढ़ पटेहरा व जमालपुर विकास खण्डों में कम से कम 300 हैण्डपम्प खराब होने के कारण रि–बोर की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी हैण्डपम्पों को रि–बोर करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। जनपद–मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड राजगढ़ पटहरा व जमालपुर में 300 हैण्डपम्प रि–बोर योग्य हैं।

जी हां।

हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नागर निकाय सीमान्तर्गत संचालित दूध डेरियों को निकाय सीमा से बाहर स्थापित किये जाने के संबंध में

54–श्री नदीम जावेद

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में स्थित दूध की डेरियों को शहर के बाहर स्थापित किये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्दगी एवं गम्भीर बीमारियों के दृष्टिगत एक निश्चित समय सीमान्तर्गत उन्हें शहर के बाहर स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्तमान समय में इस संबंध में कोई कार्य योजना नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपाल में नागर निकाय सीमान्तर्गत संचालित दूध डेरियों को निकाय सीमा से बाहर स्थापित कर दिया गया है। तत्पश्चात

मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24–05–2000 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि पुनः दूध डेरियां स्थापित होती हैं तो इसके लिए संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में मुख्य सड़कों पर खुले कूड़ा घरों पर शेड निर्माण कार्य का प्रस्ताव

55–श्री नदीम जावेद

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में मुख्य सड़कों पर खुले स्थान पर कितनी जगहों पर कूड़ा रखा जाता है ? क्या सरकार गन्दगी एवं बीमारियों के फैलने की रोक हेतु कूड़ा रखने के स्थान पर शेड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर के जोन–5 व जोन–8 को छोड़कर कुल 474 निर्धारित खुले कूड़े घर हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नगर के समस्त वार्डों में नगरीय अपशिष्टों के डोर–टु–डोर कलेक्शन प्रणाली, आधुनिक पद्धति पर अपशिष्टों के एकत्रीकरण एवं परिवहन व्यवस्थाओं के लागू होने तथा अपशिष्टों के उपचार सम्बन्धी प्लान्ट के प्रारम्भ होने के उपरान्त ऐसे स्थलों की संख्या में आशातीत कमी होगी। ऐसी स्थिति में कूड़े घरों पर शेड के निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत फिरोजाबाद को सम्मिलित किया जाना

56–श्री मनीष असीजा

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने वाले नगरों सम्बन्धी मांगे गये प्रस्तावों में प्रदेश सरकार द्वारा फिरोजाबाद नगर को सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से 13 नगरों को चयनित किया जाना था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप–2 में उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले नगर प्रथम चरण में चयनित होने के पात्र थे। निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किये जाने पर नगर निगम, फिरोजाबाद को सूची में 23वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसके कारण प्रथम चरण में इस नगर का चयन नहीं हो सका।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों एवं टी0टी0एस0पी0 योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति

57–श्री सूरज पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन पेयजल योजना में बने शिरोपरि जलाशय बड़ी संख्या में बन्द पड़े होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बन्द पड़े शिरोपरि जलाशयों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62 ग्रामीण पेयजल योजनाएं निर्मित हैं, जिनमें से 24 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं एवं 08 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं, कुल 32 ग्राम पेयजल योजनाओं का रख–रखाव जल निगम द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से 07 पेयजल योजनाएं बन्द हैं। इन योजनाओं के ग्रामों में हैण्डपम्पों एवं टी0टी0एस0पी0 योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जी हां।

ग्रामीण पेयजल योजना का अनुरक्षण एवं सतत् प्रक्रिया है, जो कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक कब्रिस्तानों पर निर्मित बाउण्ड्रीवाल तथा व्यय धनराशि

58–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में कितने कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल बनायी गयी हैं तथा इनमें कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार शेष अन्त्येष्टि स्थलों को भी बाउन्ड्रीवाल से सुरक्षित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों पर बाउण्ड्रीवाल बनाने की योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में 5,730 कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल बनवायी गयी हैं तथा इसमें कुल रुपया 523.87015 करोड़ का व्यय हुआ है।

जी हां।

जी हां।

कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष जनपद को आवंटित किये गये बजट के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कब्रिस्तानों का चयन कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद् के निर्णय के अनुसार बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की भांति प्रशिक्षणार्थियों की काउन्सिलिंग कर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

59–क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ एवं बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय दि0 04 जनवरी, 1986 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की भी काउन्सलिंग कराकर बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों की भांति प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति प्रदान किये जाने के विषयक मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–799/ने0वि0द0/2015, दिनांक 21–12–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण किये जाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को प्राधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के अनुसार सी0टी0 नर्सरी, स्कूल पूर्व/नर्सरी 4–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मान्य हैं।

प्राथमिक कक्षा–1 से 5 शिक्षकों के लिए मान्य नहीं हैं।

उक्तवत्।

अध्यक्ष, नगर पंचायत रामनगर, जिला बाराबंकी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

60–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–226/ने0वि0द0/2015, दिनांक 05–08–2015 जोकि अध्यक्ष, नगर पंचायत रामनगर, जिला बाराबंकी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–226/ने0वि0द0/2015, दिनांक 05–08–2015 नहीं अपितु पत्र संख्या–216/ने0वि0द0/2015, दिनांक 05–08–2015 प्राप्त हुआ था।

श्री रामसरन पाठक, अध्यक्ष, नगर पंचायत रामनगर द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण का परीक्षण शासनादेश संख्या–2782/9–6–2009, दिनांक 05–10–2009 में

दी गयी व्यवस्थानुसार करके स्वहस्ताक्षरित अभिमत उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिये गये हैं, जो प्रतीक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक को सम्बोधित नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

61–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–31/ने0वि0द0/2015, दिनांक 07–01–2016 जो कि वर्तमान में डी0आई0जी0 रेंज कानपुर में कार्यरत अवनीश कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता द्वारा उ0 प्र0 मुख्यालय इलाहाबाद में तैनाती के दौरान किये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

श्री अवनीश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल के पत्र संख्या–31/ने0वि0द0/2015, दिनांक 07–01–2016 में अंकित तथ्यों की जांच कराकर सुस्पष्ट आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ से की गयी है, जो अभी प्रतीक्षित है। आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बहराइच के आवासों पर आपराधिक लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा विषयक पुलिस अधीक्षक बहराइच को संबोधित नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्यवाही

62–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, बहराइच को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–226/ने0वि0द0/2015, दिनांक 07–08–2015 जो कि जिला बहराइच के आवासों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले आपराधिक लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जिला बहराइच के आवासों में आपराधिक लोगों द्वारा कब्जा किया जाना प्रकाश में नहीं आया है, बल्कि अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण गैर जनपद/इकाई में हो गया है अथवा पेंशन प्राप्त कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा सरकारी

आवास खाली नहीं किये गये हैं, उनको आवास खाली किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद को नोटिस भेजकर कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना, चाका और कौंधियारा में पेय जलापूर्ति

63–श्री दीपक पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड करछना चाका और कौंधियारा में पेयजल की आपूर्ति हेतु कितनी पानी की टंकियों का निर्माण किया गया तथा उक्त विकास खण्डों के शेष बचे पानी की टंकी लगाने हेतु चिन्हित ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर पानी की टंकी का कार्य सरकार प्रारम्भ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद–इलाहाबाद में विकास खण्ड–करछना, चाका और कौंधियारा में पेयजल की आपूर्ति हेतु 11 पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है। उक्त तीनों विकास खण्डों के कुल 297 ग्रामों में से 79 ग्रामों हेतु 11 नग पाइप पेयजल योजनाएं बनाते हुए 11 नग पानी की टंकियों से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में पाइप पेयजल योजना हेतु निर्धारित निम्नवत् प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाता है :–

1–वर्ष 2001 की 10000 से अधिक जनसंख्या के ग्राम हेतु।

2–गुणता प्रभावित ग्राम हेतु।

3–सहभागिता आधारित ग्राम हेतु।

उपरोक्त तीनों विकास खण्ड के शेष 218 ग्राम निर्धारित प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं होने के कारण पानी की टंकी बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

जनपद इलाहाबाद में अवैध पशुपालकों के लिए कार्य योजना एवं विस्थापन की कार्रवाई

64–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद शहर के कीडगंज, सलोरी, राजापुर, गोबर रोड, करैली, अल्लापुर, गोविन्दपुर आदि इलाकों में अवैध रूप से पशुपालकों द्वारा घरेलू पशुओं को बांधने से गन्दगी फैल रही है तथा साथ में आने–जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशुपालकों के लिये कोई कार्य योजना तैयार करते हुए इन्हें विस्थापित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्रों में अवैध रूप से पशुपालन द्वारा घरेलू पशुओं को बांधकर गन्दगी फैलाने वाले पशुपालकों के विरुद्ध तीन चरणों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाती है।

प्रतिदिन शहर में आवारा घूम रहे जानवरों को एवं अवैध रूप से पाल रहे पशुपालकों के पशुओं को पकड़कर बाड़े में निरुद्ध किया जाता है तथा जुर्माना वसूल कर छोड़ा जाता है एवं पशुपालकों के विरुद्ध चालान/एफ0आई0आर0 की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सिविल जज स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना

65–श्री संजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर जो जनपद मुख्यालय से लगभग पचास किलोमीटर दूर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शासनादेश संख्या–25/2015–1462/सात–न्याय–2–2015–216जी/2007, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के माध्यम से जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर में कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

66–डा0 अरुण कुमार–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–2016 में बरेली महानगर में कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल निर्माण की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/378406, दिनांकित 19–11–2015 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांगी गयी जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बरेली के पत्र संख्या–2055/अ0स0क0/2015–16, दिनांक 30–12–2015 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की जानकारी

67–डा0 अरुण कुमार –

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–2016 में बरेली महानगर में समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/378404, दिनांकित 19–11–2015 नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को वर्ष 2014–15 में बरेली महानगर में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 23780 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सत्यापन के उपरान्त 11043 आवेदन पात्र एवं 12737 आवेदन अपात्र पाये गये। वर्ष 2015–16 के लक्ष्य के अन्तर्गत 3183 के सापेक्ष शत–प्रतिशत आवेदन चयनित किये गये। चयनित/पात्र आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बोदला रोड में ए0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत पार्क की बाउण्ड्रीवाल तथा पैदल पथ बनाए जाने विषयक

68–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के बोदला क्षेत्र में विनय नगर शाहगंज–बोदला रोड (मारुति स्टेट कालोनी) के पास स्थित ए0डी0ए0 आगरा द्वारा स्वीकृत पार्क की बाउन्ड्रीवाल, पैदलपथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण करने, बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पार्क के सौन्दर्यीकरण का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के दयालबाग क्षेत्र में टूटी सड़कों व नालियों की मरम्मत

69–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग क्षेत्र में अमिता विहार से बृजधाम फेस–2 कर्मयोगी तक की सड़क व नाली जर्जर व टूटी है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के बोदला रोड सेक्टर–7 में शिवालिक स्कूल तक टूटी सड़कों व नालियों की मरम्मत

70–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के बोदला क्षेत्र सेक्टर–7 में श्री मुकेश भारद्वाज की दुकान से लेकर शिवालिक स्कूल तक की सड़क व नाली जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के संबंध में आवास विकास परिषद् एवं भू–स्वामी के मध्य वाद मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण सड़क निर्माण का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अपेक्षित निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में मजरा पुरबिहन पुरवा ग्राम पंचायत हरदाही में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प रि–बोर कराये जाने के संबंध में

71–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत हरदाही के मजरा पुरबिहन पुरवा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रि–बोर कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10675944, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0–10675944/2015 दिनांक 21–08–2015 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ग्राम पंचायत हरदाही के मजरा पुरबिहन पुरवा में श्री राम आज्ञा पुत्र श्री राम सिंगार के घर के पास लगे इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प का रि–बोर कराकर क्रियाशील कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत हरदाही के मजरा साईं पुरवा में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की स्थापना की मांग

72–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत हरदाही के मजरा साईं पुरवा में एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10679276, पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0–10679276/2015, दिनांक 27–08–2015 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत–हरदाही के मजरा साईं पुरवा में निर्धारित मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त मजरा हैण्डपम्पों से संतृप्त होने के दृष्टिगत अतिरिक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

आगरा के लोहा मण्डी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों के निर्माण की मांग

73–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के लोहा मण्डी क्षेत्र में श्री लालू के मकान–68/269 से श्री गगन के मकान तक खड़ंजा, सड़क व नाली एवं कमला नगर क्षेत्र में गेट बन्द 32 कोठी काम्पलेक्स श्री गोपाल कुंज की 80 मीटर लम्बी व 20 मीटर चौड़ी सड़क व नाली विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़ंजा, सड़कों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लोहा मण्डी क्षेत्र में श्री लालू के मकान 68/269 से श्री गगन के मकान तक का स्थल चिन्हांकित नहीं हो सका है तथा इस संबंध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा भी असमर्थता व्यक्त की गयी है। कमला नगर क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त है।

कमला नगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली मरम्मत हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के हरी पर्वत क्षेत्र में फ्रीगंज के चिम्मनलाल का बाड़ा में स्थित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक शौचालय का पुनः निर्माण

74–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में फ्रीगंज के चिम्मन लाल का बाड़ा में स्थित शौचालय विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है

जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालय का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शौचालय क्षतिग्रस्त है।

शौचालय के पुनर्निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में वार्ड–53 में शिव मन्दिर तालाब तक सड़क निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

75–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र अंकित दिनांक 20–09–2013 पत्रांक सं0–ख–5 नं0–457524 जो जनपद कानपुर नगर में वार्ड 53 में हरिकरन चौहान के दरवाजे से शिव मंदिर तालाब तक सड़क निर्माण कराये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त क्षेत्र में विकास कार्य किये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के वार्ड–53 मे हरिकरन चौहान के मकान से शिव मन्दिर तालाब तथा हंस मन्दिर से आजाद नगर तक सड़क निर्माण कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 हरिकरन चौहान के दरवाजे से शिव मन्दिर तालाब एवं हंस मन्दिर से न्यू आजादनगर तक सड़क निर्माण किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2015 पत्रांक सं0–591813/96 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त क्षेत्र में विकास कार्य किये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

बरेली महानगर में अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

77–डा0 अरुण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने प्रवक्ता एवं अध्यापक संविदा पदों पर नियुक्त हैं ? क्या सरकार प्रवक्ता एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को शिक्षाहित में समयबद्ध तरीके से भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

बरेली महानगर के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 47 पद एवं सहायक अध्यापकों के 190 पद रिक्त हैं तथा संविदा पदों पर कोई प्रवक्ता व अध्यापक नियुक्त नहीं हैं।

उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा की जाती हैं, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद की गणेश नगर कालोनी में तीन माह पूर्व निर्मित सड़क खराब होने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

78–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत गणेश नगर कालोनी में लगभग तीन माह पूर्व हॉटमिक्स द्वारा बनाई गयी सड़कों की गिट्टी बुरी तरह से उखड़ रही हैं एवं नयी बनाई सड़कें बरसात से पूर्व ही खराब होने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0 452505 दिनांक 11–01–2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भगत पत्र नगर निगम, फिरोजाबाद में प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत सड़क तीन माह पूर्व बनायी गयी थी। क्षेत्रीय निवासियों द्वारा सड़क पर पानी फैलाने, गाड़ी धोने से सड़क खराब हुई है। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है एवं शीघ्र ही सड़क सुधार कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के कृष्णानगर भोलाखेड़ा मुहल्ले में अमृत योजनान्तर्गत सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में

79–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कृष्णानगर क्षेत्र के भोलाखेड़ा मुहल्ले में अभी तक सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भी सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद लखनऊ, आलमबाग क्षेत्र, जिसमें कृष्णानगर एवं भोलाखेड़ा भी सम्मिलित है, में सीवर की सुविधा हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज

डिस्ट्रिक्ट–2 पार्ट–1 के नाम से प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 306.07 करोड़ विरचित किया गया था, जिसकी अनुमोदित लागत रु0 283.70 करोड़ है। केन्द्र सरकार से प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति न मिल पाने के कारण कार्य नहीं कराये जा सके। वर्तमान में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के स्थान पर अमृत योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में सीवरेज की सुविधा हेतु प्राक्कलन विरचित किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति एवं धनावटंन के पश्चात् कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुपालन बीमा योजनान्तर्गत पशुपालकों को लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

80–श्री दीपक पटेल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में कितने पशुपालकों ने पशु बीमा करवाये तथा कितने पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ मिला ? क्या सरकार शेष पशुपालकों को उक्त लाभ दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जनपद इलाहाबाद में जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों द्वारा करवाये गये बीमा एवं प्राप्त लाभ की स्थिति निम्नवत् है :––

वित्तीय वर्ष	पशुपालकों द्वारा कराये गये बीमा	पशुपालकों की प्राप्त लाभ
2012–13	131	01
2013–14	495	09
2014–15	950	53

बीमित पशुओं की बीमित अवधि में मृत्यु की दशा में सम्बन्धित पशुपालकों को उक्त लाभ दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के अधिशासी अभियन्ता/अध्यक्ष द्वारा कतिपय कांस्ट्रक्शन कम्पनियों का नवीनीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

81–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद्–मुगलसराय के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से 20–20 हजार रुपये नवीकरण के नाम पर मांगे जाने की जांच करवाने के लिए तपेश्वरी कांसट्रक्शन, विनय कांसट्रक्शन, अजीत कांसट्रक्शन, केशव सिंह, बाजीलाल द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन–321897 दि0 18–8–14 जिलाधिकारी जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

ठेकेदारों के शपथ–पत्र के साथ जिलाधिकारी, चन्दौली के समक्ष दिनांक 09–07–2014 को शिकायत की गयी थी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा दिनांक 27–09–2014 को जांच की गयी थी। जांच के उपरान्त यह पाया गया कि नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय में कुल 75 ठेकेदार हैं, जिनमें से 59 ठेकेदारों द्वारा नवीनीकरण हो चुका था। 11 ठेकेदारों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख नहीं दिये गये, जिसके कारण उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सका। जिन 05 व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर ठेकेदारी नवीनीकरण हेतु सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया गया है, उनके नवीनीकरण नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकेवल सिंह, सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, रसिन, जनपद चित्रकूट का पेंशन प्रकरण

82–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री राम केवल सिंह सेवानिवृत्त, ग्राम विकास अधिकारी, रसिन, जनपद–चित्रकूट के पेंशन प्रकरण निस्तारण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14–9–12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट के कार्यालय आदेश संख्या–1422 दिनांक 09–09–2013 के द्वारा स्व0 रामकेवल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड रामनगर के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त स्व0 रामकेवल सिंह के पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान (ग्रेच्युटी) अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, संयुक्त कमिश्नरी कम्पाउण्ड झांसी, मण्डल झांसी के पत्र संख्या–1615/अ0नि0को0/एमआई–005/040/010005/सीआर–6916/दिनांक 29–11–2014 के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बनने वाली नई सड़कों का चयन

83–श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली नयी सड़कों का, वित्तीय वर्ष 2015–2016 में प्रस्ताव हुआ है ? यदि हां, तो किन–किन सड़कों का चयन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अन्तर्गत लालपुर कलवारी मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के उच्चीकरण हेतु मार्ग का अनुमोदन जिला पंचायत से प्राप्त करने एवं डी0पी0आर0 गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में मड़िहान क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पानी सप्लाई हेतु टैंकरों की व्यवस्था करने की मांग

84–श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र की भूमि पठारी होने व कई वर्षों से कम बारिश के कारण पीने के पानी का संकट हर वर्ष उत्पन्न होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पानी की सप्लाई टैंकर द्वारा करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

चिन्हित समस्याग्रस्त ग्रामों में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड सैंया के ग्राम रहलई में टी0टी0एस0पी0 टंकियों द्वारा पानी उपलब्ध कराने की मांग

85–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विकास खण्ड–सैंया के ग्राम रहलई में जल निगम द्वारा पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित पानी की टंकी काफी समय से बन्द पड़ी है जिससे गांव में जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल टंकी को सही कराकर जनता को पीने का पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद आगरा के विकास खण्ड सैंया के ग्राम रहलई में निर्मित 09 नग टी0टी0एस0पी0 योजनाओं में से वर्तमान में 03 नग टी0टी0एस0पी0 योजनाएं बन्द हैं तथा 06 नग टी0टी0एस0पी0 योजनओं से जलापूर्ति ग्रामवासियों को की जा रही है।

जी हां।

ग्रामीण पेयजल योजना एवं टी0टी0एस0पी0 टंकियों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड सैंया में पशु चिकित्सालय के पास ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत बन्द पड़ी पानी की टंकी की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने तथा टंकी चालू कराने के सम्बन्ध में

86–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड–सैंया में (पशु चिकित्सालय के पास) निर्मित पानी की टंकी बंद होने से ग्रामीणों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा उक्त जमीन पर अवैध तरीके से कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर पेयजल योजना के अन्तर्गत लगी टंकी को चालू कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। वर्तमान में योजना आंशिक रूप से संचालित है। योजना के जलकल परिसर की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के 135 विधान सभा क्षेत्र के भावलखेड़ा ब्लाक के कतिपय ग्रामों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग

87–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की 135 शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम हथोड़िया, जमालपुर, पिपरिया, टिकरा, तिउलक, कुरसडा, ददिचुरा, सल्लिया, मुकरमपुर, उदियापुर, जपनापुर जमुही रामापुर वरकतपुर, वैतापुर में खराब पड़े इण्डिया मार्का.प्प हैण्डपम्पों को क्या सरकार जनहित में रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत नलकूप/ट्यूबवेलों का अधिष्ठापन

88–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में उल्लिखित स्थानों पर नलकूप/ट्यूबवेल अधिष्ठापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10681380 पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10681380/2015, दिनांक 01–09–2015 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

उक्त पत्र नये नलकूप/ट्यूबवेल/परियोजना अधिष्ठापित करने विषयक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू परियोजनाओं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत नयी परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण नई परियोजना की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में ग्राम पं0 खजुरार के मजरा तेरे में कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराये जाने विषयक

89–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पं0 खजुरार के मजरा तेरे जनपद–बहराइच के कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10681950 पत्र–संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10681950 / 2015, दिनांक 02–09–2015 प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–सी0एम0–408 / 52–2–2015, दिनांक 18–11–2015 द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच को प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जलापूर्ति

90–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिन्हित स्थानों पर पेयजलापूर्ति हेतु नलकूप निर्माण कराये जाने विषयक नगर विकास मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30–04–2015 था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

समस्त क्षेत्रों में नलकूपों के स्थान पर वर्ष 2040 की परिकल्पित आबादी के अनुसार जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना फेज–2 में गंगा बैराज स्थित नवनिर्मित 400 एम0एल0डी0 क्षमता के दो नग जल शोधन संयंत्रों से जलापूर्ति की जानी प्रस्तावित है। उक्त योजना में स्वच्छ जल भण्डारण हेतु पानी की टंकियों एवं वितरण प्रणाली से कार्य कराये जा चुके है। इंगित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध हेतु छावनी क्षेत्र में 6.11 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रोड कटिंग की अनुमति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जानी अपेक्षित है। उक्त अनुमति प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। वांछित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् फीडरमेन एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कर लगभग 06 माह में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र में रामपुरम्, भवानी–नगर आदि इलाकों में प्रोजेक्ट मैनेजर बैराज इकाई, फजलगंज द्वारा बिछाई गई पाइप लाइनों की गुणवत्ता की जांच

91–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के रामपुरम्, भवानी नगर, देहली सुजानपुर आदि क्षेत्रों में प्रोजेक्ट मैनेजर बैराज इकाई, फजलगंज, कानपुर द्वारा बिछाई गई पाइप लाइनों के कार्य में मानक की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने विषयक नगर विकास मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 30–04–2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण में समयबद्ध रूप से अपेक्षित कार्यवाही हेतु कार्यवाही संस्था, उ0प्र0 जल निगम को आवश्यक निर्देश दे दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ में विकास खण्ड मेरठ के ग्राम गगौल, फफूडा व बहादुरपुर में इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

92–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड मेरठ के ग्राम फफूड़ा व ग्राम गगौल तथा ग्राम बहादुरपुर में इण्टर कालेज नहीं है ? इन तीनों गांवों तथा आस–पास के इलाके के छात्र–छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो गांवों की जनसंख्या को देखते हुए सरकार तीनों गांवों में अलग–अलग इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

1–**ग्राम फफूडा :–** 05 कि0मी0 के मानकानुसार ग्राम फफूडा पं0 बख्शीदास इण्टर कालेज, जाहिदपुर एवं सम्राट अशोक इण्टर कालेज चांदसारा से सेवित है।

2–**ग्राम गगोल :–** ग्राम गगोल तथा सम्राट अशोक इण्टर कालेज चांदसारा के बीच की दूरी (सड़क से) 06 कि0मी0 है। ग्राम गगोल एवं ग्राम चांदसारा के बीच की सीधे रास्ते से दूरी (कच्चा रास्ता) तथा जी0पी0एस0 मैपिंग के अनुसार लगभग 03 कि0मी0 है। इसलिये उक्त ग्राम माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सेवित है।

3–**बहादुरपुर :–** ग्राम बहादुरपुर विकास खण्ड, मेरठ जनपद मेरठ ग्राम मुहीउद्दीनपुर विकास खण्ड मेरठ से 03 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है तथा ग्राम मुहीउद्दीनपुर में किसान इण्टर कालेज मुहीउद्दीनपुर (अशासकीय सहायता प्राप्त) संचालित है। अतः ग्राम बहादुरपुर माध्यमिक शिक्षा में सेवित ग्राम है।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

नगर निगम फिरोजाबाद के टापाकला, देवकी नगर में क्षतिग्रस्त पानी टंकी व सी0डब्लू0आर0 को ठीक कराने तथा बाउण्ड्रीवाल व गेट बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

93–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला टापाकला, देवकी नगर, मायापुरी में निर्मित पानी की टंकी एवं सी0डब्लू0आर0 क्षतिग्रस्त है एवं बाउन्ड्री तथा गेट के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0–452528 दिनांक 11–01–2015 को तथा पत्र सं0 क–5 नं0 452527 दिनांक 11–01–2016 नगर आयुक्त को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्यों का आगणन तैयार किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला महादेव नगर, कुशवाह नगर आदि में कच्चे रास्ते को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

94–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला महादेव नगर, कुशवाह नगर, सविता नगर की घनी आबादी के मध्य महादेव नगर नाला की एक ओर की पटरी/रास्ता कच्चा एवं जल–भराव होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को आने–जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त कच्चे रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0–452535 दिनांक 11–01–2016 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र सं0 क–5 नं0 452534 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण पर लगभग रु0 95.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला हिमायूंपुर से इण्डस्ट्रियल एरिया तक कच्ची व क्षतिग्रस्त पटरी का निर्माण कराने विषयक पत्र

95–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला हिमायूंपुर में बड़े नाले के किनारे हिमायूंपुर सब्जी मण्डी से लेकर इण्डस्ट्रियल एरिया तक की कच्ची एवं क्षतिग्रस्त पटरी का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0–452543 दिनांक 11–01–2016 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र सं0 ख–5 नं0 452542 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य पर लगभग रु0 50.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। नगर निगम द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वरीयता निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला हिमायूंपुर में खसरा संख्या–389 पर शवदाह गृह की बाउण्ड्री गेट व टीन शेड का निर्माण

96–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला हिमायूंपुर में खसरा संख्या–389 पर स्थित शवदाह गृह की बाउन्ड्री न होने के कारण आवारा पशुओं की आवाजाही से क्षेत्रीय नागरिकों की धार्मिक भावना आहत होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शवदाह गृह की बाउन्ड्री गेट एवं टीन शेड के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या ख–5 नं0–823878 दिनांक 10–01–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शवदाह गृह पर बाउण्ड्री नहीं है तथा प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र नगर निगम, फिरोजाबाद में प्राप्त हुआ है। उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा बाउण्ड्री एवं टीन शेड का निर्माण अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वरीयता निर्धारित करते हुए कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण कराया जाना

97–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

परिषदीय विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ऊर्जा विभाग द्वारा की जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाता है। अब तक लगभग 93554 परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जा चुका है।

उक्तवत्।

आगरा के सिकन्दरा, दयालबाग व सुन्दरबाग क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें व नालियां ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

98–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सिकन्दरा क्षेत्र के सेंटमैरी इण्टर कालेज बाई का बाजार में श्री महेन्द्र सिंह के मकान से लेकर श्री लाखन सिंह यादव के मकान तक दयालबाग क्षेत्र में शहीद भगत सिंह स्कूल से लक्ष्मी मैरिज होम तक सुन्दरबाग की सड़कें व नालियां विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त है। प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के लोहा मण्डी क्षेत्र से देहली गेट तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की इण्टरलाकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

99–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के लोहा मण्डी क्षेत्र में सिद्धार्थ नर्सिंग होम के सामने बाबू गुलाव राय लेन दिल्ली गेट तक की सड़क विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की इण्टर लॉकिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत हेतु आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

135–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र के ददरौल के ग्राम–मधवा मई, लक्ष्मीपुर आदि में हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग

100–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135–शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र ददरौल के ग्राम–मधवा मई, रसूलापुर, भटेला, सिमरिया, लक्ष्मीपुर, रेभा टिकरी, कपेड़कटका, उदयपुर, कटैया, खिरिया शहवाजनगर, रोशननगर, रामखुर्द, निजामपुर, गौटिया में अधिष्ठापित खराब नालों को सरकार रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत अनुदान के पुनरीक्षण/वृद्धि का प्रस्ताव

101–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना में बोरिंग की लागत व प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरें बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना की धनराशि रु0 7 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रु0 करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत बोरिंग की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुमन्य अनुदान के पुनरीक्षण/वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद के रुदौली क्षेत्र में ग्राम पंचायत मवई के मजरे दिगम्बरपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

102–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवई के मजरे दिगम्बरपुर विकास खण्ड–मवई जिसकी आबादी लगभग 01 हजार है, में विद्यालय न होने के कारण छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के

समाधान हेतु उक्त क्षेत्र में प्रा0 विद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली की धारा–4.1 के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित है :–

''कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।''

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद की आख्यानुसार ग्राम पंचायत मवई के मजरे दिगम्बरपुर से प्राथमिक विद्यालय बठौली शिक्षा क्षेत्र बनी कोडर की दूरी 800 मीटर है। अतः प्राथमिक विद्यालय बठौली से दिगम्बरपुर मानकानुसार सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भवंरका में स्थित पशु सेवा केन्द्र का जीर्णोद्धार

103–श्री संजय कपूर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भवंरका में स्थित पशु चिकित्सालय का भवन बहुत पुराना एवं जीर्ण–शीर्ण हो गया है ? क्या सरकार इंसान व पशुओं की सुरक्षा के लिये पशु चिकित्सालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह–

जनपद–रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम भवंरका में पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं अपितु पशु सेवा केन्द्र संचालित है, जो मरम्मत योग्य है।

जी नहीं, वहां पर पशु सेवा केन्द्र पूर्व से स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम दिवदिवा जनसंख्या को मानक के अनुसार नगर पंचायत घोषित करना

104–श्री संजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम दिवदिवा की आबादी इस समय 30 हजार से भी अधिक हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में ग्राम दिवदिवा को जनसंख्या के दृष्टिगत टाउन एरिया बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम दिबदिबा की जनसंख्या 7553 हैं नगर पंचायत सृजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या का मानक पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद–रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम दिवदिवा व दनकरा के जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण

105–श्री संजय कपूर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम दिवदिवा व दनकरा के जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्कूलों को कब तक उच्चीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहां 05 कि0मी0 की परिधि में कोई राजकीय/अनुदानित हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज नहीं है, उन क्षेत्रों में जी0आई0एस0 (भौगोलिक सूचना तंत्र) मैपिंग के आधार पर भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की जाती है। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा 258 राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त 258 विद्यालयों की सूची में जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम दिवदिवा व दनकरा सम्मिलित नहीं हैं।

मथुरा के वृन्दावन में स्थित भजन कुटी को तोड़ने, मूर्तियां चुराने व मारने–पीटने का प्रकरण

106–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के वृन्दावन में स्थित भजन कुटी को दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को तोड़ने, मूर्तियां चुराने तथा साधु–संतों को मारने–पीटने की घटना का वृन्दावन थाने में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या–1070 दिनांक 06–11–15 के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वादी श्री रामेन्द्र पुत्र श्री कालीचरन शर्मा निवासी निर्मोही अखाड़ा, थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा मूल निवासी इनायतपुर थाना इरादतनगर जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त लड्डू पुत्र रामबाबू नाई निवासी खपरिया घेरा केसीघाट थाना वृन्दावन मथुरा द्वारा मन्दिर से चांदी का छत्र वजनी 270 ग्राम चोरी करते समय पकड़े जाने के सम्बन्ध में थाना वृन्दावन मथुरा पर मु0अ0सं0–1070/2015 धारा–379, 411 भा0द0वि0 बनाम लड्डू उपरोक्त के दिनांक 04–11–2015 को पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री राजवीर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनांक 04–11–2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी का छत्र बरामद किया जा

चुका है। वाद विवेचना आरोप प्रमाणित होने पर अभियुक्त का चालान द्वारा आरोप–पत्र 541 दिनांक 12–11–2015 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज नगर पंचायत से सटे नारकोटिक्स विभाग की खाली जमीन पर फायर स्टेशन का निर्माण

107–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10–10–2015 को प्रमुख सचिव गृह को गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज नगर पंचायत के सटे नारकोटिक्स विभाग की खाली पड़ी जमीन पर फायर स्टेशन निर्मित कराने हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उप जिलाधिकारी, गोला, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराया गया कि उक्त भू–खण्ड भारत सरकार का है तथा सरकारी अभिलेख में भारतीय सरकार का नाम अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर की गोला तहसील को पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्किल बनाया जाना

108–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10–10–2015 को प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर गोला तहसील को पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्किल बनाने हेतु पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त गोला तहसील को पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्किल बनाने के लिये क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय के आदेश संख्या–डी0जी0–दो/ब–28 (3)–2000, दिनांक 18–02–2016 द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी गोला सर्किल का गठन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–संत कबीरनगर के थाना खलीलाबाद में धारा–306 आई0पी0सी0 प्रकरण में दोषीजनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

109–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संत कबीरनगर के थाना खलीलाबाद में क्राइम नं0–717/15 धारा 306 आई0पी0सी0 प्रकरण में कौन–कौन लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रकरण में मृतक के पास से जो सामान बरामद हुआ है, को उसके घर वालों को कब तक सौंपा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–संत कबीरनगर के थाना कोतवाली में मु0अ0सं0–717/2015 धारा–306 भा0द0वि0 की विवेचना पूर्ण कर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16–08–2015 को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त अभियोग में कोई दोषी नहीं पाया गया है।

मृतक के पास से जो सामान बरामद हुआ है, वह मालखाना में दाखिल है, जिसे सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त कर वापस सौंप दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के कमलानगर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण

110–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमलानगर क्षेत्र में राधा विहार के म0नं0–68 व 73 के सामने से त्यागी आटा चक्की होते हुए अन्दर कालोनी की खड़ंजा सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़ंजा सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, सड़क एवं नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय हेतु वर्ष 2016–17 में नीति निर्धारण

111–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिये सरकार ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में नीति निर्धारण पर विचार किया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला झलकारी नगर से सटी क्षतिग्रस्त व कीचड़युक्त गलियों को ठीक कराने के सम्बन्ध में पत्र

112–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला झलकारी नगर की मेन रोड से लगी साइड की गलियां/रास्ता बेहद क्षतिग्रस्त एवं जल भराव/कीचड़ युक्त होने के कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0 452526 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को

प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0 452525 दिनांक 11–01–2016 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त गलियों/रास्ते के निर्माण पर लगभग रु0 42.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के शान्तिनगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में पत्र

113–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला शान्तिनगर की सैनिक परचून वाली गली एवं गली नं0–4 इन्द्रा नगर की गली नं0 3 (चर्च वाली गली) बेहद क्षतिग्रस्त एवं जल भराव/कीचड़ युक्त के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0 452517 एवं 452519 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0 452516 एवं 452518 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मोहल्ला शान्तिनगर की सैनिक परचून वाली गली एवं गली नं0–4 के निर्माण पर लगभग रु0 70.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला टापाकला में गली नं0 3, लिंक गली 1, 2, 3, 4 को ठीक कराने के सम्बन्ध में पत्र

114–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला टापाकला में निर्मोही राजकुमार की तरफ से चार गलियां, मो0–पू रामगढ़ की गली नं0 3, लिंक गली 1, 2, 3, 4 को जोड़ने वाली गली क्षतिग्रस्त एवं जल भराव/कीचड़ युक्त होने के कारण उक्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के जिलाधिकारी को क्रमशः प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0–452515 एवं 452523 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या क–5

नं0 452514 एवं 452523 दिनांक 11–01–2016 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना में मु0अ0सं0 218/15 धारा–302 आई0पी0सी0 के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

115–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–1 नं0–895847 दिनांक 31–12–2015 जो अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में मु0अ0सं0 218/15 के अन्तर्गत धारा–302 आई0पी0सी0 के मुकदमों में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

दिनांक 09–12–2015 को वादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी मडराक थाना मडराक द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त जीतू पुत्र राजपाल सिंह, 2–राजपाल सिंह पुत्र रामचरन सिंह, 3–श्रीमती अतुल प्यारी पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासीगण हुरसैना थाना गभाना द्वारा वादी की बहन श्रीमती निर्मला उम्र 26 वर्ष को तंग करना तथा गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना गभाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–218/15 मु0अ0सं0–353/15 धारा–302 भादवि बनाम अभियुक्त जीतू पुत्र राजपाल सिंह, 2–राजपाल सिंह पुत्र रामचरन सिंह, 3–श्रीमती अतुल प्यारी पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासीगण हुरसैना थाना गभाना के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष गभाना द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अभियोग के नामजद अभियुक्त राजपाल सिंह उपरोक्त द्वारा दिनांक 04–01–2016 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त जीतू, श्रीमती अतुल प्यारी की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को मिड–डे–मील योजना में पुष्टाहार के साथ दूध एवं फल का विवरण

116–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को मिड–डे–मील योजना में पुष्टाहार के साथ दूध भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो

क्या दूध की खराब गुणवत्ता के चलते कई जनपदों में बच्चों के बीमार होने का प्रकरण भी सरकार के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दूध के स्थान पर फलों के वितरण की योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत पुष्टाहार के साथ ही सप्ताह में एक दिन दूध भी दिया जा रहा है।

प्रदेश के एक मात्र जनपद आगरा के विकास खण्ड–खैरागढ़ के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंटगिरी में दिनांक 30–09–2015 को घटना संज्ञान में आयी।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत सरकार द्वारा सप्ताह में एक दिन दूध के साथ–साथ फल दिये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद चन्दौली के नगर पंचायत चन्दौली के वार्ड नं0–1 में दलित बस्ती के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में

117–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगर पंचायत चन्दौली के वार्ड नं0 1 में मुख्य रास्ता दलित बस्ती के क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में वार्ड वासियों के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख 5 एन0 321915, दिनांक 15–11–2015, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। धनाभाव होने के कारण उक्त कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उरूवा बाजार से धुरियापार कुरावल मार्ग को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

118–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत उरूवा बाजार से घुरियापार कुरावल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माणाधीन सड़क वर्ष 2013 से अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तीन वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की निर्माण लागत रु0 222.45 लाख है। भारत सरकार से विगत वर्षों में योजना हेतु अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो सकने के कारण कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। अभी तक उक्त मार्ग पर रु0 91.73 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण करने की अवधि भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई अन्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि उ0 प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाना

119–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद फैजाबाद विकास खण्ड मवई अन्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजना में भारत सरकार द्वारा आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु सितम्बर, 2015 में अपने हिस्से की 250 लाख की स्वीकृति उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जारी कर दी है ? यदि हां, तो तीन माह के बाद भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अपने हिस्से की धनराशि स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के कारणों की जांच कराकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आई0टी0आई0 की लागत रु0 500.00 लाख स्वीकृत की गयी है, परन्तु प्रश्नगत आई0टी0आई0 की लागत रु0 983.56 लाख इस शर्त के साथ अनुमोदित की गयी है कि रु0 500.00 लाख के अतिरिक्त धनराशि रु0 483.56 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि रु0 483.56 लाख के राज्यांश के रूप में स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश पुलिस सेवा में सेवारत मृतक निरीक्षकों, उप निरीक्षकों आदि के आश्रितों के सेवायोजित करने के सम्बन्ध में

120–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश पुलिस सेवा में सेवारत मृतक निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, हेड कान्स्टेबिलों तथा कान्स्टेबिलों के आश्रितों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में शासन ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

हां।

प्रदेश पुलिस सेवा में सेवारत मृतक निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, हेड कान्स्टेबिलों तथा कान्स्टेबिलों के आश्रितों को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में आश्रित की शैक्षिक/शारीरिक एवं अन्य अर्हताओं के दृष्टिगत उ0नि0ना0पु0, एस0आई0 (एम)/आशुलिपिक, आरक्षी तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही का प्राविधान है। जिसमें ''उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015'' तथा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार उ0नि0ना0पु0 तथा एस0आई0 (एम)/आशुलिपिक तथा ए0एस0आई0 (एम)/लिपिक के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष 05 प्रतिशत पद पर की जायेगी। वर्तमान में एस0आई0 (एम)/आशुलिपिक तथा ए0एस0आई0 (एम)/लिपिक पद की रिक्ति न होने के कारण इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला सत्य नगर में क्षतिग्रस्त सड़कों/गलियों की मरम्मत का कार्य

121–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला सत्य नगर में पप्पू चक्की वाले से लेकर मंदिर तक (तिराहे पर) सड़कें/गलियां क्षतिग्रस्त एवं जलभराव होने के कारण स्थानीय निवासियों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0 452530 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0 452529 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उन पत्रों पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

मोहल्ला सत्य नगर, फिरोजाबाद में विकास कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण फिरोजाबाद द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के श्याम नगर गड्डा में नीची एवं क्षतिग्रस्त गलियों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

122–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला श्याम नगर गड्डा में गलियां नीची होने से क्षतिग्रस्त एवं जल भराव,

कीचड़युक्त होने के कारण स्थानीय निवासियों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0 452531 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0–452520 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

उक्त गलियों के निर्माण पर लगभग रु0 25.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के बघेल कालोनी के पीछे के क्षतिग्रस्त रास्ते को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

123–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला बघेल कालोनी के पीछे का रास्ता क्षतिग्रस्त एवं जलभराव होने के कारण स्थानीय निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या क–5 नं0 452533 दिनांक 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र संख्या क–5 नं0 452532 दिनांक 11–01–2016 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

उक्त गलियों के निर्माण पर लगभग रु0 55.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला नगला विश्नू में राजवीर की चक्की वाली गली एवं महताब नगर क्षेत्र की गलियों का जलभराव/कीचड़ के सम्बन्ध में

124–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला नगला विश्नू में राजवीर की चक्की वाली गली एवं नगला विश्नू, महताब नगर, रामनगर क्षेत्र की गलियों जलभराव/कीचड़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित–पत्र क्रमशः क–5 नं0–452537 दि0 11–01–2015 एवं संख्या–क–5 नं0–452536 दिनांक 11–01–2016 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर छावनी क्षेत्र के वार्ड 77 रेलवे लाइन के किनारे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा सीवर लाइनों के कृत कार्यों की टी0ए0सी0 द्वारा जांच

125–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 गिरजा नगर के पीछे रेलवे लाइन किनारे जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा बिछवाई गई सीवर लाइनों के सम्पूर्ण कार्य में मानकों की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का नगर विकास मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 30–04–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच समय–समय पर भारत सरकार द्वारा नामित थर्ड पार्टी एजेन्सी इरमा तथा उ0 प्र0 जल निगम स्तर पर टी0ए0सी0 द्वारा भी की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये उल्लिखित कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्रकाश में नहीं लायी गई है। शिकायत का निराकरण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं जल निगम द्वारा नई सीवर लाइनों एवं जलापूर्ति लाइनों को बिछाने का कार्य

126–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जल निगम द्वारा नई सीवर लाइनों एवं जलापूर्ति लाइनों को बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उक्त लाइनों को सरकार कब तक चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 199 कि0मी0 सीवर लाइन के सापेक्ष कुल 181 किमी0 सीवर लाइन बिछायी गयी है, जिसमें से 25 कि0मी0 सीवर लाइन चालू की जा चुकी है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

कानपुर नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दो पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। कानपुर पेयजल योजना फेज–1 के अन्तर्गत प्रस्तावित 700 किमी0 जल वितरण प्रणाली के सापेक्ष 630 कि0मी0 बिछायी जा चुकी है। जिसमें 227 कि0मी0 की टेस्टिंग/कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। कानपुर पेयजल योजना फेज–2

के अन्तर्गत प्रस्तावित 1045 कि0मी0 के सापेक्ष 957 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है, जिसमें 207 कि0मी0 की टेस्टिंग/कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर में वार्ड सं0–5 और 24 के मध्य नाली, पटरी तथा सड़क निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर आयुक्त, गोरखपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख–5/671366, दिनांक 14 जनवरी, 2016 जो गोरखपुर महानगर के वार्ड सं0–5 और 24 के मध्य में स्थित नाली, पटरी और सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वार्ड संख्या–5 और 24 के सीमा विवाद के कारण अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फतेहपुर के सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ

128–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या शिक्षा मंत्री को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–53/ने0वि0द0/2016, दिनांक 12–01–2016 जो जिला फतेहपुर के सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिलाये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बहराइच के विकास खण्ड मिहीपुरवा में वर्ष 2005–06 में नियुक्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रकरण

129–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को सम्बोधित, मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या–550/ने0वि0द0/2015, दिनांक 22–05–2015, जो जिला बहराइच के विकास खण्ड मिहीपुरवा के अन्तर्गत ग्राम सभा मधवापुर में सत्र 2005–2006 में नियुक्त शिक्षामित्रों की नियुक्ति संबंधी प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में था,

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

कु0 गायत्री पुत्री श्री शिव भगत सिंह की जन्म तिथि के सम्बन्ध में जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी से करायी गयी। जन्म तिथि में परिवर्तन करके शिक्षा मित्र पद पर चयन कराने के कारण कु0 गायत्री को शिक्षा मित्र के पद से हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

130–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में बे0 शिक्षा परिषद् से संचालित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों नगर क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5एन0 321170 दि0 26–08–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

माननीय सदस्य द्वारा नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की गयी है। वर्तमान में नगर क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बस्ती में कानून–व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों के साथ प्रतिमाह बैठक कराये जाने विषयक

131–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद–बस्ती में कानून–व्यवस्था पर सुझाव एवं समीक्षा हेतु प्रतिमाह जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करायी जाने वाली बैठक कई माह से नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त बैठक न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कानून–व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु प्रत्येक जनपद में नियमित रूप से प्रतिमाह बैठकें करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनप्रतिनिधियों (मा0 सांसद/विधायकगण) के साथ मासिक गोष्ठी दिनांक 25–08–2015 को आयोजित की गयी थी।

क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य तथा त्रिस्तरीय पंचायत सदस्य का लगातार चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

उक्त बैठक यथाशीघ्र आयोजित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर के ग्राम पं0 तरहर में कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनाये जाने विषयक

132–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पं0 तरहर में कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10693550 पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10693550/2015, दिनांक 29–09–2015 प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–सी0एम0–453/52–2–2015 दिनांक 18–11–2015 द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच को प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के ग्राम पं0 रघुवरपुरवा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने विषयक

133–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पं0 रघुवरपुरवा में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10694156 पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10694156/2015, दिनांक 30–09–2015, जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत–रघुवरपुरवा में निर्धारित मानक के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। उक्त ग्राम पंचायत हैण्डपम्पों से संतृप्त होने के दृष्टिगत अतिरिक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में 2015–16 में पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति

134–श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015–16 में पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कितनी परियोजनायें चयनित हुई हैं ? क्या सरकार परियोजनाओं को पूर्ण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू परियोजनाओं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत नयी परियोजनाओं पर ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के कारण नई परियोजना की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में हाई स्कूल व इण्टर कालेजों की स्थापना

135–श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जिला मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अभाव में एवं नक्सली क्षेत्र होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में क्या सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कालेजों के खोलने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालेज इस नये वित्तीय वर्ष में खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में विकास खण्ड राजगढ़, पटेहरा कला, नरायनपुर व जमालपुर आते हैं। इन विकास खण्डों में राजकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों की संख्या–43 है तथा 01 माडल स्कूल निर्माणाधीन है, जिसमें इण्टर स्तर के 22 व हाई स्कूल स्तर के 21 विद्यालय हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

136–श्री नदीम जावेद–

ख्2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

गोण्डा–बहराइच मार्ग से कुष्ठ सेवा केन्द्र के पास लट्ठा नाले का निर्माण कार्य

137–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद गोण्डा शहर में गोण्डा–बहराइच मार्ग से कुष्ठ रोग सेवा केन्द्र के पीछे गाटा संख्या–752 मोहल्ला प्रजापतिपुरम् जानकी नगर में दो लट्ठा नाला जो राजस्व मानचित्र में दर्ज है, में जलभराव एवं संक्रामक रोगों के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का समाना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नाले का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भित क्षेत्र निकाय सीमा से बाहर का क्षेत्र है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा बहराइच मार्ग स्थित प्रजापतिपुरम् जानकी नगर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

138–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद गोण्डा के शहर गोण्डा मे कुष्ठ रोग सेवा केन्द्र के पास गोण्डा बहराइच मार्ग से मोहल्ला प्रजापतिपुरम् जानकी नगर को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संदर्भित क्षेत्र निकाय सीमा से बाहर का क्षेत्र है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद स्थित ए0के0 प्रशिक्षण संस्थान आदि गलियों की मरम्मत कराये जाने विषयक

139–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला रहना में ए0के0 शिक्षण संस्थान वाली दो गलियों एवं मोहल्ला महताब नगर में राठौर धर्मशाला दुर्गा भवन का रास्ता एवं रूपराम की चक्की से डा0 मुन्ना लाल के घर तक का रास्ता जल भराव कीचड़ युक्त होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गलियों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित–पत्र संख्या–ख–5 नं0–क्रमशः 823897, 452539 दिनांक 10–01–2015, 11–01–2015 एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को पत्र संख्या ख–5 नं0 क्रमशः 823896, 452538, दिनांक 10–01–2016, 11–01–2016 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत गलियों के निर्माण पर लगभग रु0 80.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धनराशि उपलब्ध होने पर वरीयता निर्धारित करते हुए कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला टापा पैंठ आदि में क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य विषयक

140–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि नगर निगम फिरोजाबाद के अन्तर्गत मोहल्ला टापा पैंठ में शंकर वाटिका के पास तारा चन्द्र के मकान से कमल सिंह के मकान तक तथा मोहल्ला पुराना रसूलपुर एवं असरफगंज रोड के रास्ते जल भराव/कीचड़ युक्त होने के कारण क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित क्रमशः पत्र संख्या–ख–5 नं0–823898 दिनांक 10–01–2015 एवं पत्र संख्या– ख–5 नं0–823667 दिनांक 6–01–2015 एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित क्रमशः पत्र संख्या ख–5 नं0 823894 दिनांक 10–01–2016 एवं पत्र संख्या ख–5 नं0– 623666 दिनांक 06–01–2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर में नगर निगम द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण

141–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि बरेली महानगर के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में सरकार द्वारा कौन–कौन से एवं कितने अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया है तथा अवशेष का कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार सभी प्रस्तावित अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम, बरेली महानगर के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण नहीं कराया गया है।

नगर निगम के चार स्थानों गुलाबबाड़ी, संजयनगर, बिहारमान, नगला, शिकारपुर में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास कार्य का प्रस्ताव/आगणन तैयार कराया गया है। धनराशि की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर जनपद के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 में चिन्हित कुल 8 सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2015 जो कि जनपद कानपुर नगर, छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53 में चिन्हित कुल 8 सड़कों के निर्माण किये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

संदर्भगत पत्र में उल्लिखित स्थल प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त क्षेत्र में विकास कार्य किये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी क्षेत्र में वंचित स्थानों पर सीवर लाइन बिछाये जाने विषयक

143–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27–08–2015 जो कि जनपद कानपुर नगर, छावनी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न वंचित स्थानों पर सीवर लाइन बिछाने हेतु 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रकरण में समयबद्ध रूप से अपेक्षित कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र में मंगला विहार प्रथम एवं द्वितीय आदि कतिपय स्थानों पर जल संग्रहण टंकी का निर्माण

144–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27–08–2015 जो कि जनपद कानपुर नगर, छावनी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिहिन्त स्थानों पर पेयजल समस्या के निदान हेतु जल संग्रहण टंकी बनाकर जलापूर्ति किये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 27–08–2015 में इंगित किये गये क्षेत्र यथा मंगला विहार प्रथम एवं द्वितीय, न्यू आजाद नगर एवं कोयला नगर, वार्ड–86 अन्तर्गत बुढ़िया घाट एवं चिश्तीनगर हेतु वर्ष 2040 की परिकल्पित आबादी के अनुसार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना फेज–2 में स्वच्छ जल भण्डारण हेतु पानी की टंकियों, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं। उक्त क्षेत्रों में बिछायी गयी पाइप लाइनों को चालू नहीं किया जा सका है, जिसका मुख्य कारण छावनी क्षेत्र में प्रस्तावित 6.11 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त न होना है। वांछित अनुमति हेतु वर्ष 2009 से प्रयास किये जा रहे हैं। अतः वांछित अनुमति प्राप्त होने के पश्चात फीडरमेन एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कर लगभग 06 माह में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र में कतिपय घाटों का सुन्दरीकरण

145–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27–08–2015 जो कि जनपद कानपुर नगर, छावनी विधान सभा क्षेत्र के गंगा किनारे विभिन्न चिहिन्त घाटों के सुन्दरीकरण कराये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

146–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

ख्2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0–44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र के रानीपुर आदि कतिपय वार्डों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति किये जाने विषयक

147–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि वाराणसी नगर के वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र के रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर, शिवाला आदि वार्डों में पेयजल की पाइप लाइनों में गन्दा व दुर्गन्धयुक्त पानी आने के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वार्डों में स्वच्छ पानी नागरिकों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वाराणसी नगर के कैंट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रानीपुर, तुलसीपुर, विनायका, विरदोपुर, शिवाला क्षेत्र की पाइप लाइन काफी पुरानी है जिसके कारण यदा–कदा लीकेज हो जाता है, जिसे तत्काल मरम्मत करा दिया जाता है। जलकल

विभाग, वाराणसी द्वारा नगर में शुद्ध क्लोरीन पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चिता हेतु नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त टीम द्वारा प्रतिदिन ओ0टी0 परीक्षण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ से भी जल के नमूनों का परीक्षण प्रतिमाह कराया जाता है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी नगर में पेयजल परियोजना का पुर्नरुद्धार कार्य उ0 प्र0 जल निगम, वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है जिसके तहत इन क्षेत्रों की पेयजल पाइप लाइन बदलने का कार्य भी सम्मिलित है। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर यदा–कदा गन्दे पानी की शिकायत का स्थायी निराकरण हो जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा में ग्राम पंचायत मटौंध तथा मोहनपुरवा में नलकूपों द्वारा पानी की व्यवस्था विषयक

148–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा में ग्राम पंचायत मटौंध तथा इसके मजरों में तथा मोहनपुरवा ग्राम पंचायत में पीने के पानी की अत्यन्त किल्लत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के तालाबों में नलकूप लगाकर ग्रामीणों तथा जानवरों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में मानक के अनुसार 150 की जनसंख्या पर 01 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापन का प्राविधान है। मटौंध ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 6281 है एवं वर्तमान में उक्त ग्राम की लगभग जनसंख्या 6910 है, जिसके सापेक्ष ग्राम में कुल 98 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, इसी प्रकार मोहनपुरवा ग्राम की वर्ष 2011 की जनसंख्या 3444 है एवं वर्तमान में उक्त ग्राम की लगभग जनसंख्या 3780 है, जिसके सापेक्ष ग्राम में कुल 38 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्राम मटौंध में 71 की जनसंख्या पर 01 नग हैण्डपम्प एवं ग्राम मोहनपुरवा में 99 की जनसंख्या पर 01 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार उक्त दोनों ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त हैं। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों ग्राम पाइप पेयजल योजना से भी लाभान्वित है। अतः उक्त ग्रामों में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

प्रदेश में ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ाये जाने विषयक

149–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे कार्यरत चौकीदारों को प्रतिमाह वेतन रु0 1500/– मंहगाई के दृष्टिगत अत्यन्त कम होने के कारण इसमें गुजारा कर पाना बहुत कठिन है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण चौकीदारों के वेतन बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को रु0 1500/– पारिश्रमिक के रूप में मानदेय दिया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मांग–पत्रों के क्रम में उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा ग्रामीण चौकीदारों को रु0 100/– प्रतिदिन मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुपूरक मांग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सम्प्रति विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में एल्डिको उद्यान–2 रायबरेली रोड से लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक रोड का डामरीकरण

150–श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद लखनऊ अन्तर्गत एल्डिको उद्यान–2 में रायबरेली रोड से शिव मन्दिर होते हुए लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक लगभग 100 मीटर रोड की मरम्मत/डामरीकरण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रस्तावित कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली शहर में वर्ष 2015–16 में नगर विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी

151–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद बरेली शहर में वर्ष 2015–16 में नगर विकास की विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/378422 दिनांकित 27–11–2015 नगर आयुक्त नगर निगम बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम, बरेली द्वारा मा0 सदस्य द्वारा चाही गयी सूचना पत्र दिनांक 11–02–2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य

152–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में 18–1–2016 तक बरेली महानगर की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण के कराये गये कार्यों पर कितना धन व्यय हुआ है तथा 31 मार्च, 2016 तक के लिये क्या–क्या कार्य प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार प्रस्तावित कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 में बरेली महानगर की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण के कराये गये कार्यों पर कुल रु0 620.45 लाख की धनराशि व्यय हुई है। बजट की धनराशि सीमित होने के कारण 31 मार्च, 2016 तक नये कार्य स्वीकृत किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हंसपुरा, जिला अम्बेडकरनगर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान विषयक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका का अनुपालन कराने विषयक–पत्र

153–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हंसपुरा, जिला अम्बेडकरनगर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान विषयक दायर रिट याचिका सं0–1623 एस0एस0/1993 में पारित आदेश दि0 18–02–1993 का अनुपालन कराये जाने हेतु तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री का आदेश दिनांक 27–07–2015 निदेशक, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ययी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

याचिका सं0–1623 (एस0एस0)/1993 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा इससे सम्बद्ध याचिका सं0–381/1995 श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी व अन्य बनाम शिक्षा निदेशक (बेसिक) व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 31–07–2015 द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक या उनके द्वारा नामित अधिकारी को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए याचीगणों की स्थिति एवं उनके वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जांच करने हेतु निर्देश दिया गया है और यदि जांच में द्वितीय याचिका (381/1995) के याचीगण को सही पाया जाता है और प्रथम याचिका

(1623/1993) के याचीगण की नियुक्ति व वेतन भुगतान को फर्जी पाया जाता है, तो उन्हें माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश (दिनांक 18–02–1993) के अनुपालन में दिये गये वेतन भुगतान की वसूली की जाय तथा यदि द्वितीय याचिका के याचीगण जिस अवधि के लिये वेतन पाने योग्य हैं, का भुगतान नहीं किया गया हो तो उन्हें अवशेष वेतन का भुगतान करने हेतु निर्देश दिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 31–07–2015 के अनुपालन में शिक्षा निदेशक, बेसिक के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 09–12–2015 द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रकरण के निस्तारण हेतु नामित किया गया है, जिसके क्रम में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 18–02–2016 को सुनवाई की गयी। प्रकरण में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 इलाहाबाद के स्तर से निर्णय लिये जाने के पश्चात उनकी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उक्तवत्।

मुगलसराय नगर पालिका परिषद् के वार्ड नं0 3 में जी0टी0 रोड चन्धासी पुलिस चौकी तक क्षतिग्रस्त नाला एवं मार्ग का निर्माण

154–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय न0पा0 परिषद् के वार्ड नं0–3, गिधौली में प्राथमिक पाठशाला चन्धासी के ठीक सामने से जी0टी0 रोड चन्धासी पुलिस चौकी तक नाला एवं मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नाला एवं मार्ग का निर्माण कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

संदर्भित कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे निकाय बोर्ड की आगामी बैठक में रखकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत चन्दौली में वार्ड नं0–एक के क्षतिग्रस्त मुख्य रास्ते को बनवाने के सम्बन्ध में

155–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत चन्दौली में वार्ड नं0 एक में मुख्य रास्ता दलित बस्ती से कन्हैया शिव प्रसाद के घर से होते हुए लालता प्रसाद किशुन के घर तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में वार्डवासियों के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एस0 एन0–321915, दिनांक 15–11–15 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत

चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। धनाभाव होने के कारण उक्त कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त छिवकी स्टेशन रोड का नवीनीकरण

156–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र स्थित मिर्जापुर रोड से छिवकी स्टेशन (2 किमी0) तक की रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण मुसाफिरों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मतीकरण/नवीनीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां कार्य कराने का दायित्व नगर निगम, इलाहाबाद का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर–डी में स्थित सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं सुलभ शौचालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में

157–श्री बृजेश कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् के सेक्टर–डी स्थित टेढ़ी पुलिया चौराहे के पीछे रिंग रोड एवं सब्जी मण्डी के बीच स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी के उत्तर दिशा में बने सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं पूर्व दिशा में स्थित नाले एवं सुलभ शौचालय से बरसात के दिनों में कालोनी के आवासों में सीवर का गन्दा पानी भर जाने एवं पूरे वर्ष भर दुर्गन्ध आने के कारण कालोनी के निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं सुलभ शौचालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने/बन्द करने तथा गन्दे नाले को जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत अण्डरग्राउण्ड करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद लखनऊ स्थित अलीगंज एवं जानकीपुरम् कालोनी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। क्षेत्र के सीवेज एवं प्रदूषित जल के निस्तारण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही टेढ़ी पुलिया के पीछे रिंग रोड एवं सब्जी मण्डी

के बीच सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र की जल निकासी पूर्व में पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से होती थी। वर्तमान में जल निगम द्वारा सीवर लाइन का कनेक्शन ट्रंक सीवर से कर दिया गया है।

सुलभ शौचालय का उपयोग सार्वजनिक रूप से नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम की मिशन अवधि समाप्त हो चुकी है तथा कालोनी के पूर्व दिशा में स्थित नाले को अण्डरग्राउण्ड किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में मौदहा के ग्राम इचौली में खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग

158–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम इचौली में 90 प्रतिशत इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्प खराब हैं जिससे नागरिकों को पेयजल की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक/रि–बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड–मौदहा के ग्राम–इचौली में कुल अधिष्ठापित 31 नग इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों में से 13 नग हैण्डपम्प खराब/रि–बोर योग्य हैं।

जी हां।

हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के कमला नगर क्षेत्र एवं बोदला क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों की मरम्मत

159–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कमला नगर क्षेत्र की राधा बिहार गेट बन्द कालोनी एवं बोदला क्षेत्र सेक्टर–8 के मकान नं0 461 से 589 तक की सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत क्षेत्र के सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में नवलगंज नुनिहाई स्थित इन्दू इंजीनियरिंग एण्ड टैक्सटाइल लि0 की मुख्य सड़क का पुनः निर्माण

160–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नवलगंज नुनिहाई में स्थित इन्दू इंजीनियरिंग एण्ड टैक्सटाइल्स लि0 तथा ऊषा मार्टिन लिमिटेड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के बोदला क्षेत्र सेक्टर–8 में जर्जर सड़कों व नालियों की मरम्मत

161–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बोदला क्षेत्र सेक्टर–8 के मकान नं0 547 से लेकर मोदी नर्सिंग होम तक तथा मायापुरी मऊ के मकान नं0–54 से मकान नं0–60 तक की सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क एवं नाली के मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के दयालबाग क्षेत्र में जर्जर सड़कों पर टाइल्स लगाए जाने के सम्बन्ध में

162–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दयालबाग क्षेत्र के सुरेश नगर लश्करपुर नयी आबादी में सड़क विगत कई वर्षो से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर टाइल्स लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग एवं नाली के मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के नगर पालिका परिषद् की सम्पत्ति के अवैध तरीके से व्यक्तिगत नाम से किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0 321863, दिनांक 16–8–14 के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की जानकारी

163–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0–2 गिधौली, न0पा0 परिषद् मुगलसराय की सार्वजनिक सम्पत्ति आ0न0 19 नाला व आ0न0 37 बांध तथा आ0न0 38 ताल के नाम रिकार्ड में दर्ज है, को अवैध तरीके से व्यक्तिगत नाम से दर्ज कराकर बेचने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5 नं0–321863, दिनांक 16–08–2014 जिलाधिकारी जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों के दिये जाने वाले विशेष भत्ते की विसंगति के दूर करने विषयक

164–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को विशेष भत्ते के रूप में रु0 900 प्रतिमाह तथा समीक्षा अधिकारियों को विशेष भत्ते के रूप में उनसे अधिक रु0 1000 प्रतिमाह मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 11–02–2009 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी के पदों पर दिनांक 01–12–2008 से सचिवालय विशेष भत्ता क्रमशः रु0 1500/– एवं रु0 1200/– स्वीकृत किया गया।

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार सचिवालय के अनुभाग अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी के पदों पर क्रमशः ग्रेड वेतन रु0 4800/– तथा ग्रेड वेतन रु0 4600/– स्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22–12–2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन में क्रमशः सचिवालय भत्ते के अंश रु0 600/– एवं रु0 200/– को सम्मिलित करते हुए अनुभाग अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन रु0 5400/–

एवं समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन रु0 4800/– अनुमन्य कराया गया है जिसके फलस्वरूप अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमशः रु0 900/– एवं रु0 1000/– दिया जा रहा है।

इस प्रकार उक्त पदों पर अनुमन्य सचिवालय भत्ते को कम नहीं किया गया है वरन् उसके कुछ अंश को ग्रेड वेतन में जोड़ा गया है जिसमें कोई विसंगति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के शहर खुर्जा को राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत स्लम मुक्त करने विषयक

165–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के शहर खुर्जा को राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत सरकार स्लम मुक्त बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत चयनित 16 शहरों में बुलन्दशहर का खुर्जा नगर सम्मिलित नहीं था। सम्प्रति राजीव गांधी आवास योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में डा0 राम मनोहर लाहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम नियार की पक्की नाली विषयक प्रश्नकर्त्ता के कतिपय पत्रों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की जानकारी

166–श्री त्रिभुवन राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड चोलापुर, जनपद वाराणसी में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम नियार में पक्की नाली के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमशः सं0–103/म0नि0म0वि0–4/2014, दिनांक 10–11–2014 तथा पत्र सं0–14/म0नि0म0वि0–4/2015, दिनांक 09–02–2015, जो जिलाधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां, जिलाधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुआ है।

विकास खण्ड चोलापुर जनपद वाराणसी में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम नियार में पक्की नाली के निर्माण हेतु रु0 21.77 लाख का आगणन जनपद स्तर पर तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना किये जाने विषयक

167–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र–रुधौली में एक राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज में दिनांक 19–09–2014 को बोलेरो चोरी की दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 पर की गई कार्रवाई की जानकारी

168–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना–हजरतगंज लखनऊ की सीमा अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 2014 की रात्रि बोलेरो गाड़ी यू0पी0 51 आर0 7301 तथा उसमें रखे रु0 4,72,000 के चोरी होने की एफ0आई0आर0 दिनांक 19 सितम्बर 2014 को थाना–हजरतगंज में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वादी श्री आर्दश कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री संकटा प्रसाद श्रीवास्तव निवासी–मोहल्ला मालीटोला गांधीनगर, थाना कोतवाली, जिला बस्ती द्वारा थाना हजरतगंज कोतवाली पर दिनांक 19–09–2014 को मु0अ0सं0–480/2014 धारा 379 भादंवि विरुद्ध अज्ञात अभियुक्तगण के पंजीकृत कराया गया है।

अभियोग की विवेचना श्री राजीव यादव, उ0नि0 थाना हजरतगंज को सुपुर्द की गयी थी। श्री राजीव यादव उ0नि0 द्वारा विवेचना ग्रहण करके सम्पादित की गयी, घटना के अनावरण के सार्थक प्रयास किये गये, जिसमें सफलता न मिलने के कारण विवेचना श्री जमील अहमद, निरीक्षक जघन्य अपराध इकाई लखनऊ को आवंटित की गयी। श्री जमील अहमद, निरीक्षक द्वारा अभियोग की विवेचना ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी, परन्तु

कोई सफलता नहीं मिल सकी। वर्तमान में अभियोग की विवेचना चौकी प्रभारी डालीबाग, थाना हजरतगंज, लखनऊ द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचक द्वारा घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है। पूर्व में इस प्रकार के अपराधों में प्रकाश में आये अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, गहन सुरागरसी व पतारसी जारी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की वित्तीय वर्ष 2015–2016 की द्वितीय किश्त की शेष राशि शीघ्र जारी किये जाने विषयक

169–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती में देय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की वित्तीय वर्ष 2015–2016 की द्वितीय किस्त की शेष धनराशि अभी तक लंबित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित के कार्यों के निष्पादनार्थ उक्त द्वितीय किस्त शीघ्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

जनपद बस्ती के 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' की वित्तीय वर्ष 2015–2016 की द्वितीय किश्त की शेष धनराशि शासनादेश संख्या–3/2016/69/अड़तीस–9–16–04(बजट)/2014, दिनांक 18–02–2016 द्वारा निर्गत कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षतिग्रस्त थाने के भवनों के स्थान पर नया भवन बनवाये जाने विषयक

170–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर, थाना दक्षिण का पुराना भवन, अनेक स्थानों पर स्टेशन रोड पुलिस चौकी तथा नालवंदान चौकी का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के स्थानों पर नया भवन बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

थाना दक्षिण का भवन पुराना है लेकिन समय–समय पर मरम्मत व देखरेख होने के कारण मजबूत स्थिति में है। रेलवे रोड पुलिस चौकी किराये के भवन में है और पुलिस चौकी नालबन्द पुलिस विभाग की भूमि पर है तथा क्षतिग्रस्त है।

उपर्युक्त दोनों चौकियों स्वीकृत न होने के कारण भवन निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने के सामने स्थापित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करवाने विषयक

171–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर के सामने स्थापित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के चारों तरफ की रेलिंग एवं पेडिस्टल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम द्वारा क्षतिग्रस्त रेलिंग एवं पेडिस्टल को ठीक करा दिया गया है। यातायात के कारण अज्ञात वाहनों द्वारा रेलिंग आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, जिसे नगर निगम द्वारा ठीक करा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के सेक्टर–7, आवास विकास कालोनी स्थित पार्क की क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल एवं पैदल पथ को ठीक करवाने विषयक

172–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में सैक्टर–7, आवास विकास कालोनी के स्थित पार्क की बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की बाउन्ड्रीवाल व पैदल पथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पार्क की बाउन्ड्रीवाल ठीक है। पार्क में पैदल पथ नहीं है।

पार्क में पाथे–वे निर्माण का आगणन तैयार किया गया है।

धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रधानाध्यापक के दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 01 दिसम्बर, 2008 के मध्य हुई पदोन्नति वेतनमान दिये जाने विषयक

173–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रधानाध्यापक प्रा0वि0/स0अ0उ0प्रा0वि0 को न्यूनतम वेतनमान रु0 17140 तथा प्र0अ0उ0प्रा0वि0 को न्यूनतम वेतनमान रु0 18150 निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 9 जून, 2014 को जारी किया गया है ? यदि हां, तो इस शासनादेश में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के मध्य हुई पदोन्नति अथवा स्वीकृत

हुए चयन/पदोन्नति वेतनमान ही दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद पदोन्नति अथवा स्वीकृत हुए चयन/पदोन्नति वेतनमान का लाभ शिक्षकों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के मध्य हुई पदोन्नति अथवा स्वीकृत हुए चयन/पदोन्नति वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना का विकल्प दिया जाता है तो दिनांक 01 जनवरी, 2006 से संशोधित विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने की तिथि के मध्य तक उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य नहीं रह जायेगी और इस अवधि में वे अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहेंगे।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद पदोन्नति अथवा स्वीकृत हुए चयन/पदोन्नति वेतनमान लाभ शिक्षकों को दिए जाने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत गरीब वर्ग के नागरिकों के लिए आवास बनवाये जाने विषयक

174–श्री अजय कपूर–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में राजीव गांधी आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर दक्षिण में स्थित मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीब वर्ग के नागरिकों के लिये आवास बनाये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किन–किन स्थलों पर कितने आवास बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

सम्प्रति राजीव गांधी आवास योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर के नगर निगम द्वारा व्यापारी बन्धु की नियमित बैठक आहूत करवाने की मांग

175–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कानपुर द्वारा व्यापार बन्धु की नियमित बैठक न बुलाने से व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम कानपुर द्वारा व्यापार बन्धु की

नियमित बैठक कराकर उनकी समस्याओं का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

जिला प्रशासन स्तर पर प्रत्येक माह उक्त बैठक आयोजित की जाती है। इसी प्रकार नगर निगम स्तर पर समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें नगर निगम से संबंधित व्यापारियों द्वारा इंगित समस्याओं का यथासम्भव निस्तारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के खरिका वार्ड मुहल्ला राजीवनगर से डेयरियां हटवाने की मांग

176–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के खरिका वार्ड मुहल्ला राजीव नगर में दुधारू पशुओं की डेयरियां जो कालोनी के बीच में संचालित है जिसके कारण मुहल्ले में गंदगी फैली रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डेयरियों को वहां से हटाकर शहर से बाहर स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

दिनांक 17–02–2016 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात डेरी संचालनकर्ता के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी तथा डेरी हटाये जाने हेतु नोटिस भेजी गयी, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित पुलिस अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पुनः दूध डेरी स्थापित पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित सेक्टर–एम, एल0डी0ए0 कालोनी (आशियाना) कानपुर रोड में सड़क एवं पार्कों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में

177–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर एम, एल0डी0ए0 कालोनी (आशियाना), कानपुर रोड में आवास संख्या ई0डब्लू0एस0–147, 146, 145 व अन्य आवासों के सामने सड़क पर व पार्कों में अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पार्क व सड़क पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों को

चिन्हित कर उक्त अनाधिकृत कब्जा हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी मै0 अंसल हाउसिंग द्वारा विकसित की गयी है एवं इसका हस्तान्तरण अभी नगर निगम को नहीं प्राप्त हुआ है। प्रकरण के संबंध में वांछित कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण/संबंधित कालोनाइजर द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम पंचायत खेड़ा कालोनी में आबादी के आधार पर नगर पालिका परिषद् बनाये जाने की मांग

178–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम पंचायत खेड़ा कालोनी की आबादी लगभग छः लाख है और मतदाता संख्या लगभग दो लाख तथा क्षेत्रफल लगभग दस किलोमीटर है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेड़ा कालोनी ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

ग्राम सभा खेड़ा मकनपुर जनपद गाजियाबाद को नगर पालिका परिषद् बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये जााने के पश्चात ही इसे नगर पालिका परिषद बनाया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के शिक्षा विभाग के भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कतिपय पत्रों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

179–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश कठेरिया, सदस्य विधान सभा, किशनी–मैनपुरी का पत्र दि0 10–10–2012 एवं 31–10–2012 बेसिक शिक्षा विभाग, मैनपुरी में भवन निर्माण हेतु प्राप्त धन की हेरा–फेरी एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में विभागीय जांच के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करने विषयक मुख्य मंत्री सचिवालय के कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10156868, पत्र सं0–सी0 एम0 वि0 को0/एम0 पी0 जी0 10156168/2012, दि0 31–10–2012 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के परसा अगलहवा गांव के पास निर्माणाधीन बड़हलगंज फायर स्टेशन को समय सीमा के अन्दर पूरा करवाने की मांग

180–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के परसा अगलहवा गांव के पास निर्माणाधीन बड़हलगंज फायर स्टेशन के निर्माण पूरा होने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

गोरखपुर जनपद के परसा अगिलहवा गांव के पास निर्माणाधीन फायर स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। हस्तान्तरण किये जाने हेतु कमेटी गठित की गयी है। कमेटी रिपोर्ट प्राप्त होते ही उक्त भवन को हस्तगत कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पांच महानगरों के जल संस्थान के नगर निगम में विलय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन दिलवाये जाने विषयक

181–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ सहित 5 महानगरों में जल संस्थानों का नगर निगमों में विलय कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि नगर निगमों में विलय किये गये जल संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर निगमों द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर निगम के मोहल्ला नींबू वाला बाग (डाक बंगला) की कतिपय सम्पर्क गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कतिपय पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

182–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नीबू वाला बाग (डाक बंगला) की गली नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं लिंक गलियों एवं नालियों के क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में हो रही असुविधा के निराकरण हेतु उक्त गलियों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या ख–5 नं0 823479, दिनांक 05–01–16 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या ख–5 नं0 823478, दिनांक 05–01–16 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित गली नम्बर–2, 3, 4, 5, 6 वर्तमान में चलायमान गलियां हैं। गली नम्बर–1 व लिंक गलियां तथा गली नम्बर–7 का निर्माण धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम के मोहल्ला द्वारिकापुरी की कतिपय सम्पर्क गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कतिपय पत्रों पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

183–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी, सविता नगर की घनी आबादी में स्थित गौरी शंकर इंटर कालेज वाली गली मो0 क्षारबाग की नटवाली गली, मो0 राम नगर की राजवीर चक्की वाली गली एवं पप्पू हलवाई के सामने एवं लिंक गलियां तथा मो0 हिमांयुपुर–गौतम नगर चौक के पास चूरन वाली गली क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद को क्रमशः प्रेषित पत्र संख्या ख–5 नं0–823676, दिनांक 06–01–16, ख–5 नं0 823095, दिनांक 11–01–16, ख–5 नं0 823481, दिनांक 05–01–16, ख–5 नं0–452545, दिनांक 11–01–16 एवं नगर आयुक्त नगर निगम फीरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या ख–5 नं0–823674, दिनांक 06–01–16, ख–5 नं0–823093, दिनांक 11–01–16, ख–5 नं0–823480, दिनांक 05–01–16, ख–5 नं0–452544, दिनांक 11–01–16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त गलियों के निर्माण पर लगभग रु0 60.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में जलकल विभाग में सफाई कर्मियों की भर्ती करवाने की मांग

184–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में जलकल विभाग में सफाई कर्मचारियों की भारी कमी के कारण सीवर सफाई का कार्य प्रभावित हो रहा है एवं अधिकांश क्षेत्रों में सीवर जाम की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों की भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर में सीवर व्यवस्था/रखरखाव एवं संचालन हेतु 448 सीवर सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग द्वारा 13 सीवर जेटिंग मशीनों एवं एक सुपर शकर मशीन का उपयोग कर सीवर सफाई का कार्य कराया जाता है। सीवर समस्या के निदान हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। तदनुसार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना/एन0जी0बी0आर0ए0 योजना के अन्तर्गत नई सीवर लाइन/जीर्णोद्धार योजनागत कार्यों को प्रस्तावित कर उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

जनपद कानपुर में टाट मिल से कतिपय सम्पर्क मार्गों के चौड़ीकरण करवाने विषयक

185–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में टाट मिल से किदवई नगर चौराहा होते हुये यशोदानगर मछरिया तक जाने वाली सड़क मास्टर प्लान में 250 फिट रोड (75 मीटर) है, परन्तु यातायात संचालन के लिये मात्र 50 फिट रोड ही उपलब्ध है जिससे जाम की स्थिति से परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके चौड़ीकरण की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सड़क लोक निर्माण विभाग, कानपुर की है। सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में नगर निगम, कानपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सन्तकबीर नगर के थाना खलीलाबाद के अन्तर्गत क्राइम नं0–717/15, धारा–306/ आई0पी0सी0 के मुकदमें के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई की जानकारी

186–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्राइम नं0–717/15 धारा 306/आई0पी0सी0 के अन्तर्गत थाना खलीलाबाद, जनपद सन्तकबीर नगर में पंजीकृत मुकदमें में अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद सन्तकबीरनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद के अन्तर्गत क्राइम नं0–717/15, धारा–306/आई0पी0सी0 प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 78 दिनांक 16–08–2015 को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त अभियोग में कोई दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में नया सवेरा नगर विकास योजना खुर्जा विधान सभा को आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने विषयक

187–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत खुर्जा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पलडाझाल के पास निर्माणाधीन आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना में शहर खुर्जा को भी सरकार पेयजल मुहैया करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

टिहरी बांध निर्माण के फलस्वरूप एकत्र जलराशि में से 200 क्यूसेक जल प्रदेश के लिये आरक्षित किया गया था। आगरा नगर, मथुरा–वृन्दावन नगरों एवं नोयडा–गाजियाबाद नगरों हेतु भू–गर्भ जल के खारे होने के दृष्टिगत क्रमशः 140 क्यूसेक, 10 क्यूसेक एवं 50 क्यूसेक जल वर्ष 2005 में आवंटित किया गया था। आवंटित जल को आगरा व मथुरा नगरों में पहुंचाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः इस योजना से खुर्जा नगर हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में प्रदेश में लागू वीमेन पावर लाइन–1090 की शुरुआत किये जाने विषयक

188–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लागू वीमेन पावर लाइन–1090 की शुरूआत जनपद बुलन्दशहर में भी सरकार द्वारा प्रारम्भ करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश में महिलाओं/लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा वूमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गयी है। उल्लेखनीय है कि यह सेवा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रदेश के किसी भी जनपद से कोई भी महिला वूमेन पावर लाइन 1090 पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकती है।

जनपद बुलन्दशहर से वूमेन पावर लाइन–1090 में दिनांक 15–11–2012 से 31–01–2016 तक दर्ज/निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कुल दर्ज शिकायतों की संख्या	पूर्णतया निस्तारित शिकायतों की संख्या
1	दिनांक 15–11–2012 से 31–01–2016 तक	5,048	4,981

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में सुअर को कानपुर से बाहर करने विषयक योजना बनाये जाने की मांग

189–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में स्वाइन फ्लू फैलाने का प्रमुख कारण बड़ी संख्या में खुलेआम घूमने वाले सुअर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सुअरों को कानपुर से बाहर करने की किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्वाइन फ्लू एच0–1 एन0–1 इंफ्लूएन्जा वाइरस से फैलता है, जिसका वाहक इंफ्लूएन्जा वाइरस ग्रासित जीव हो सकता है। जनपद–कानपुर में अप्रैल, 2015 से जनवरी, 2016 तक सुअर से स्वाइन फ्लू फैलने का कोई प्रकरण नहीं आया है।

नगर निगम द्वारा समय–समय पर अभियान चलाकर सुअर पकड़े जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ख12.20, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह का 20 दिसम्बर, 1978 को निधन हो गया। श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र कांठ, जिला मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उदयवीर सिंह का 26 जून, 1991 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री उदयवीर सिंह का जन्म 2 अगस्त, 1937 को चंदौसी, जिला मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री उदयवीर सिंह वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री उदयवीर सिंह क्षेत्र विकास समिति, जलालाबाद के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा डी0सी0डी0एफ0, शाहजहाँपुर के संचालक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री उदयवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नारायण सिंह का 1 मई, 1996 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री नारायण सिंह का जन्म 15 अगस्त, 1917 को हुआ था। श्री नारायण सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नकुड़, जिला सहारनपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नारायण सिंह न्याय पंचायत के सरपंच रहे थे। वे ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के सदस्य तथा जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर भी रहे थे। पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु उन्होंने सक्रिय कार्य किया था। श्री नारायण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विजय सिंह का 15 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री विजय सिंह का जन्म वर्ष 1923 में ग्राम भेड़, जिला जालौन में

हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विजय सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र कोंच, जिला जालौन से स्वतन्त्र पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री विजय सिंह जिला बोर्ड की शिक्षा समिति के चेयरमैन, तहसील कांग्रेस कमेटी, कोंच के अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र पार्टी जालौन के सहायक मन्त्री रहे थे। उन्होंने अपने गांव में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना भी की थी। अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री विजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव नारायण मिश्र का 1 मई, 2015 को निधन हो गया। श्री शिव नारायण मिश्र का जन्म ग्राम अदलाबाद, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिव नारायण वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शिव नारायण मिश्र विकास क्षेत्र कालाकांकर, प्रतापगढ़ के ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष तथा जनता इण्टर कालेज, कुसुआपुर, प्रतापगढ़ के प्रबन्धक भी रहे थे। श्री शिव नारायण मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अख्तर अली खां का 2 जुलाई, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री अख्तर अली खां का जन्म 30 मार्च, 1930 को रामपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अख्तर अली खां वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र रामपुर, जिला रामपुर से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अख्तर अली खां नगर पालिका, रामपुर के चेयरमैन तथा रोटरी क्लब, रामपुर के उपाध्यक्ष रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। श्री खां अनेक शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। टेनिस तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री अख्तर अली खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगाराम का 5 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री गंगाराम का जन्म 5 जुलाई, 1942 को बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गंगाराम वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर (अ0जा0), जिला बुलन्दशहर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गंगाराम राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बुलन्दशहर कारागार में बन्दी रहे थे। वे भारतीय बौद्ध महासभा, बुलन्दशहर तथा अंधविश्वास उन्मूलन समिति बुलन्दशहर के अध्यक्ष रहे थे। वे डा0 अम्बेदकर स्मारक समिति के मंत्री भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गंगाराम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रूद्र प्रताप सिंह का 07/08 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री रूद्र प्रताप सिंह का जन्म 12 मई, 1936 को जामो, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं

पी0एच0डी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रूद्र प्रताप सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र गौरा जामो, जिला सुल्तानपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री रूद्र प्रताप सिंह सामूहिक सहकारी कृषि समिति, मसियांव के सरपंच तथा उमा रमण हायर सेकेन्डरी स्कूल, जामो के प्रबन्धक रहे थे। वे अनेक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के सदस्य भी रहे थे। साहित्य, संगीत, चित्रकला तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रूद्र प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सुमन लता दीक्षित का 16 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष की थीं। श्रीमती सुमन लता दीक्षित का जन्म वर्ष 1955 में जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एम0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती सुमन लता दीक्षित वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र जनरलगंज़, जिला कानपुर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती सुमन लता दीक्षित राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रही थीं। वे महिला जागृति समिति की अध्यक्ष तथा युवक कांग्रेस (आई0) की महामन्त्री रही थीं। वे छात्र संघ तथा राष्ट्रीय छात्र संगठन, कानपुर इकाई की अध्यक्ष भी रही थीं। अध्ययन तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती सुमन लता दीक्षित के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री योगेन्द्र कुमार का 22 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री योगेन्द्र कुमार का जन्म 29 दिसम्बर, 1948 को बिसौली, जिला बदायूँ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री योगेन्द्र कुमार वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा वर्ष 1996 एवं 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बिसौली, जिला बदायूँ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री योगेन्द्र कुमार श्री मुन्ना लाल इंटर कालेज, वजीरगंज, बदायूँ की प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्य तथा चौधरी बदन सिंह स्मारक विद्यालय के अध्यक्ष रहे थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी तथा भ्रमण व जनसेवा उन्हें प्रिय था। श्री योगेन्द्र कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चन्द्र मौर्य का 24 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री राम चन्द्र मौर्य का जन्म 16 जनवरी, 1950 को मिर्जापुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम चन्द्र मौर्य वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र मझवां, जिला मिर्जापुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम चन्द्र मौर्य एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे रगमार्क फाउन्डेशन के डायरेक्टर रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री राम चन्द्र मौर्य के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तुलाराम सैनी का 26 अक्टूबर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री तुलाराम सैनी का जन्म 1 मार्च, 1939 को हसनपुर, मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं बी0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तुलाराम सैनी वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र हसनपुर, जिला मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री तुलाराम सैनी ने राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे बन्दी रहे थे। वे अमन कमेटी, हसनपुर के महामंत्री तथा जिला सैनी सभा के अध्यक्ष रहे थे। कृषि एवं समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा पत्रिकायें पढ़ना उन्हें प्रिय था। श्री तुलाराम सैनी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती किश्वर आरा बेगम का 15 नवम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष की थीं। श्रीमती किश्वर आरा बेगम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र रामपुर सिटी, जिला रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती किश्वर आरा बेगम एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ती थीं तथा वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहती थीं। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्रीमती किश्वर आरा बेगम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम बचन का 2 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री राम बचन का जन्म वर्ष 1936 में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम बचन वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र रानी की सराय, जिला आजमगढ़ से जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जिला आजमगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम बचन श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री राम बचन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री यशपाल सिंह चौधरी का 12 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 93 वर्ष के थे। श्री यशपाल सिंह चौधरी का जन्म 22 दिसम्बर, 1922 को ग्राम तीतरों, जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री यशपाल सिंह चौधरी सर्वप्रथम वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र नकुड़, जिला सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 व 1977 में कांग्रेस, वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1993 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर इसी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री यशपाल सिंह चौधरी मण्डल कांग्रेस कमेटी के प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा कोआपरेटिव संघ के डायरेक्टर रहे थे। वे श्री नारायण दत्त

तिवारी मंत्रिमण्डल, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल तथा श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं के निर्माण में आर्थिक योगदान भी दिया था। जनसेवा एवं कृषि में उनकी विशेष रूचि थी। श्री यशपाल सिंह चौधरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबूराम एम0काम0 का 16 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री बाबूराम का जन्म 6 अक्टूबर, 1934 को उरई में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बाबूराम वर्ष 1991, 1996 तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र उरई, जिला जालौन से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री बाबूराम विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप कई बार जेल गये थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमण्डल, श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमण्डल तथा सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। वे उरई नगरपालिका के अध्यक्ष रहे तथा कई शिक्षण संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बाबूराम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नाजिर अली का 19 दिसम्बर, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री नाजिर अली का जन्म जून, 1933 में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नाजिर अली वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र ददरौल, जिला शाहजहाँपुर से जनता (एस0) चरण सिंह के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नाजिर अली मीसा के अन्तर्गत बन्दी रहे थे। वे रावतपुर, शाहजहाँपुर की ग्राम सभा के प्रधान भी रहे थे। अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री नाजिर अली के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का 3 जनवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का जन्म 9 अगस्त, 1932 को वाराणसी में हुआ था। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी (उत्तरी) से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल भारतीय जनसंघ, वाराणसी के सचिव तथा संयोजक रहे थे। वे विधान सभा में सचेतक, भारतीय जनसंघ के पद पर भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवता दीन का 10 जनवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री देवता दीन का जन्म दिसम्बर, 1940 में करीम गांव, बहराइच में हुआ था। श्री देवता दीन वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष

1990 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र नानपारा, जिला बहराइच से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री देवता दीन राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष तथा मण्डल कांग्रेस, बाबागंज व बाबागंज ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। वे विकास खंड, बाबागंज के ब्लाक प्रमुख भी रहे थे। समाज सेवा एवं कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री देवता दीन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवेन्द्र प्रताप का 28 जनवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री शिवेन्द्र प्रताप का जन्म वर्ष 1936 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवेन्द्र प्रताप वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र महमूदाबाद, जिला सीतापुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शिवेन्द्र प्रताप ला–सोसाइटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी, रामपुर–मथुरा ब्लाक के उप प्रमुख तथा रामपुर–मथुरा यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। वे भारतीय जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। अध्ययन तथा संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शिवेन्द्र प्रताप के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गरीबदास का 6 फरवरी, 2016 को निधन हो गया । वे लगभग 91 वर्ष के थे। श्री गरीबदास का जन्म 2 नवम्बर, 1925 को ग्राम मानपुरा, जिला जालौन में हुआ था। श्री गरीबदास वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र कालपी, जिला जालौन से प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गरीबदास ग्राम सभा, मानपुरा के सभापति रहे थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। पिछड़ी जातियों के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गरीबदास के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती शान्ती देवी यादव का 15 फरवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 86 वर्ष की थीं। श्रीमती शान्ती देवी यादव का जन्म 30 जनवरी, 1930 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती शान्ती देवी यादव वर्ष 1969 तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र सहसवान, जिला बदायूं से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा लोकसभा की सदस्य भी रही थीं। श्रीमती शान्ती देवी यादव एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी थीं। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहती थीं। कृषि सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्रीमती शान्ती देवी यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

इन माननीय पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन

दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

ख12.37, बीकापुर, फैजाबाद से उप चुनाव में निर्वाचित श्री आनन्द सेन द्वारा शपथ–ग्रहण

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। एक माननीय सदस्य को सदन की शपथ दिलानी है।

(श्री आनन्द सेन, सदस्य, विधान सभा को सदन की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी)

श्री अध्यक्ष–

यह मिल्कीपुर से चुनकर आये हैं श्री आनन्द सेन जी। अब आप बैठिये।

(मेजों की थपथपाहट)

ख12.38, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गयी।

पहली सूचना श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' की लखनऊ में फैजाबाद रोड से हाईकोर्ट परिसर में आने वाले वाहनों के प्रवेश हेतु एक भूमिगत मार्ग (अण्डर पास) का अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की कतिपय कालोनियों में सीवर लाइन डलवाये जाने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की नदियों पर पत्थर लगाकर घाट बनाये जाने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बल्दीराय में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के जाने के संबंध में है।

छठीं सूचना डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना डॉ0 मो0 मुस्लिम की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

आठवी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा ब्लाक शिवपुर श्री जंगलीनाथ बाबा प्राचीन मंदिर का सौन्दर्यीकरण विकास तथा पर्यटन स्थल में शामिल किये जाने के संबंध में है।

नौवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भानपुर एवं रुधौली तहसील के किसानों को आपदा राहत दिलाये जाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में गम्भीर पेयजल की समस्या को देखते हुए मीठा पेयजल उपलब्ध कराने, जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने एवं पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के संबंध में है।

ग्यारहवी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में बलदेव विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय मार्गो की मरम्मत, नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में है।

बारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में असमानता के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उ0प्र0 के राजकीय विभागों में शासनादेश सं0–वे0आ0–2–2063/दस–54(एस), 2008 दिनॉक 08 सितम्बर 2010 का अनुपालन वन निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की प्रदेश की मण्डी में गुड़ एवं शक्कर पर मण्डी शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी गई।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आप लोग शान्त हो जाइये। तीन मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं मैं उनकी सूचना के स्थान पर आपकी एक–एक सूचना ले लेता हूं। अस्वीकृत सूचनाओं में से पहली सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की, दूसरी सूचना श्री मोहम्मद इरफान की तथा तीसरी सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की स्वीकृत की जाती है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सूचना को पढ़ना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी सूचना पढ़ दीजिए।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा अपनी सूचना पढ़ी गयी।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मनीष असीजा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्रीमती बिमला बाथम, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्रीमती

कृष्णा पासवान, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री सुरेश बंसल, श्री ममतेश शाक्य, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री काली चरन सुमन, श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, डॉ0 धर्मपाल सिंह, डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री प्रदीप चौधरी एवं श्री सतीश महाना।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

लखनऊ में फैजाबाद रोड से हाईकोर्ट परिसर में आने वाले वाहनों के प्रवेश हेतु एक भूमिगत मार्ग अण्डर पास का अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

ख्मान्यवर, राजधानी लखनऊ में फैजाबाद रोड गोमती नगर में माननीय उच्च न्यायालय के नवीन परिसर का निर्माण हुआ है जिसमें शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय शिफ्ट होने की सम्भावना है। जैसे ही उक्त भवन में कार्य आरम्भ होगा, प्रतिदिन हजारों वाहन का आवागमन वहां पर होगा जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या की आशंका है। इस समस्या के निदान हेतु फैजाबाद रोड से हाई कोर्ट परिसर में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के प्रवेश हेतु एक भूमिगत मार्ग (अण्डर पास) का अतिशीघ्र निर्माण आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त भूमिगत मार्ग (अण्डर पास) के अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की कतिपय कालोनियों में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

ख्मान्यवर, आगरा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में कई कालोनियों एवं बस्तियां ऐसी हैं जहां आज तक सीवर लाइन नहीं डाली हैं तथा कई ऐसी हैं जहां कि डाली गयी सीवर लाइनें इतनी ध्वस्त और जर्जर हो गयी हैं कि वह अब किसी काम की नहीं रहीं। अतः यहां नई सीवर लाइनें बिछाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए–कुएं वाली गली शाहगंज भोगीपुराप, हनुमान नगर (मारुति स्टेट), शिवनगर (रुई की मंडी), जनता क्वार्टर्स (नार्थ ईदगाह), कीर्तिनगर (कोजा हवेली सदर भट्टी), आलोक नगर बी ब्लाक से बैंक कालोनी बी ब्लाक ताल मंलेश्वर, कंसगेट व बड़ा चरन सिंह (गोकुलपुरा), पटेलनगर (बेलनगंज) छपेटी व अहीरपाड़ा (राजामंडी), कटघर (लोहामंडी), प्रजापति बस्ती (डेरा सरस नाई की मंडी), महादेव गली मोतीकटरा, सिन्धी कालोनी अशोगनगर, बालाजीपुरम, पॅकुईयां बस्ती, बाल्मीकि बस्ती बाग मुजफ्फर खां, पुष्पांजली धाम कालोनी, सुभाष कुंज सोरों कटरा, शंकर पुरी कालोनी, आदि उपरोक्त कालोनियों और बस्तियों में सीवर लाइन डाला जाना आवश्यक है।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सीवर लाइन डालने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की नदियों पर पत्थर लगाकर घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय पर ले जाना चाहता हूं।

हमारा विधान सभा क्षेत्र–374 सैदपुर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत गंगा, गोमती, गांगी, एकौझी आदि नदियां बहती हैं, जिनके तट पर विधान सभा के बहुत से गांव बसे हुए हैं। बरसात के मौसम में गांव के अन्दर तक पानी चला जाता है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब गांवों के बाहर और नदी के तट पर पत्थर लगाकर यदि घाट बना दिया जाय तो हिन्दू धर्म की परम्परागत त्योहार छठ पूजा व तमाम विकास का कार्य हो सकेगा।

अतः लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर सरकार के संज्ञान में लाते हुए वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।,

जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बल्दीराय में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद–

ख्मान्यवर, आपका ध्यान मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र इसौली सुलतानपुर के विकास खण्ड बल्दीराय सुलतानपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिस कारण आजादी के बाद से आज तक हमारे विधान सभा क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा होती है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में तत्काल राजकीय डिग्री कालेज खोलकर, इसी सत्र में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने हेतु शासन द्वारा धन की व्यवस्था करने तथा डिग्री कालेज में कक्षाएं चलाये जाने हेतु व्यवस्था कर उत्तर दिलाने का कष्ट करें।,

जनपद हाथरस विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव अजमतपुर अजगरा तक की जर्जर सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर उपाध्याय–

ख्मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला–हाथरस के मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत कस्बा पुरदिल नगर से लोहिया गांव

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अजमतपुर अजगरा तक सड़क अत्यधिक जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उ0प्र0 सरकार की लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत आने पर भी इस गांव की सड़क जर्जर/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पड़ी है। क्षतिग्रसत सड़क होने से आये दिन राहगीरों के साथ मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह मुख्य मार्ग गांव के लोगों को स्वास्थ्य केन्द्र से जोड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं भी कई बार सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के नानपारा विधान सभा क्षेत्र ब्लाक शिवपुर श्री जंगलीनाथ बाबा प्राचीन मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, विकास तथा पर्यटन स्थल में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद–बहराइच के मेरे विधान सभा क्षेत्र 283–नानपारा के ब्लाक–शिवपुर के अन्तर्गत बहुत ही प्राचीन श्री जंगलीनाथ बाबा का प्राचीन मन्दिर है जो पूर्व में पर्यटन स्थली में सम्मिलित था यहां प्रति वर्ष मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, का सर्वांगीण विकास कराने हेतु उसके विकास हेतु धन आवंटित कराया जाना आवश्यक है, उक्त धर्म स्थल पर पेयजल, आगन्तुकों को रुकने हेतु शेड तथा अन्य सुविधाओं का विकास न होने से करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस लगती है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर उक्त धर्मस्थान का सौंदर्यीकरण/विकास कराये जाने हेतु धनावंटन कराकर पर्यटन स्थली में पुनः शामिल कर विकास कार्य कराये जाने एवं यात्रियों को ठहरने हेतु एक धर्मशाला का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भानुपुर एवं रुधौली तहसील के किसानों को आपदा राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली, जनपद–बस्ती के तहसील भानपुर एवं रुधौली तहसील में आपदा राहत के लिए किसान जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट का चक्कर लगा–लगाकर थक हार गया है। ओलावृष्टि व बेमौसम बरसात के चलते रबी की फसल जहां किसानों की बर्बाद हो गयी वहीं खेतों में खड़ी

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खरीफ की फसल किसान आर्थिक तंगी के चलते नहीं उपजा पा रहा है। सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली धनराशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। यहां का किसान खेती पर ही निर्भर है। बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो गयी है। किसानों के घाव पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने अहेतुक सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया था। आपदा राहत के लिए तहसील प्रशासन के द्वारा भानपुर तहसील के लिए लगभग 34 करोड़ 84 लाख रुपये की मांग की गयी थी। जिसमें अभी तक 7 करोड़ 20 लाख रुपये ही प्राप्त हुए हैं, उसी क्रम में रुधौली तहसील के लिए 18 करोड़ 89 लाख रुपये की मांग की गयी थी, जिसके सापेक्ष 3 करोड़ 25 लाख रुपये ही प्राप्त हुए हैं। शेष राशि अविलम्ब किसानों के हित में शीघ्रातिशीघ्र दिये जाने की आवश्यकता है। यहां के किसानों में काफी आक्रोश व्याप्त है। यह प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा में गम्भीर पेयजल की समस्या को देखते हुए मीठा पेयजल उपलब्ध कराने, जले हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने एवं पानी की टंकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्मान्यवर, जनपद–मथुरा में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, मथुरा–वृन्दावन, जनपद–मथुरा के मथुरा ब्लाक (ग्रामीण क्षेत्र) की निम्नलिखित ग्रामसभाओं 1–महोली, 2–थानगांव, 3–पालीखेड़ा, 4–गणेशरा, 5–मुड़ेसी, 6–छरौरा, 7–नवादा, 8–नरहौली, 9–अडुकी–मोहनपुर, 10–विर्जापुर, 11–गिरधरपुर, 12–नौगांव, 13–बाकलपुर, 14–तन्तूरा, 15–राजपुर बांगर एवं 16–बाबूगढ़ सकराया आदि गांवों में ज्यादातर स्थानों पर खारे पानी तथा आर्सेनिक युक्त पानी की बहुलता के कारण शासन द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित पानी की टंकियों से समुचित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्र के महोली गांव में स्थापित पानी की टंकी से लोगों के घर–घर तक पहुंचाने के लिए बिछायी गयी पाइप–लाइन बार–बार फट जा रही है। नरहौली में ट्यूबवेल चलाने के लिये अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है तथा अधूरी पाइप–लाइन बिछाई गयी है। धनगांव में पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अडुकी गांव के ऊंचे स्थान पर बसी बस्तियों में पानी नहीं चढ़ता है तथा जो पाइप–लाइन यहां बिछाई गयी है उसकी गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। बार–बार जगह–जगह से पाइप लाइन टूट रही है। नवादा गांव में पानी पूरे गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। वर्तमान में महीनों से ट्यूबवेल की मोटर खराब है। मोहनपुर–अडुकी में पाइप–लाइन फट रही है। गांव के सभी लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यहां बोरिंग भी समुचित ढंग से नहीं की गयी है। बाबूगढ़ सकराया में जिस दिन पानी की

टंकी से जलापूर्ति शुरू हुई उसी दिन कई जगह पाइप फट गयी। इस समय ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर फुंका पड़ा है। बाकलपुर गांव में स्थापित पानी की टंकी से अपेक्षित पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहां मीठे पानी वाले स्थान पर वॉटर ए0टी0एम0 स्थापित किया जाय। बाकलपुर विस्तार में पानी की टंकी की स्थापना की लगातार मांग ग्रामीण कर रहे हैं। गिरधरपुर गांव में पाइप लाइन खेत में बिछा दी गयी है। नौगांव में ग्रामीणों को पाइप लाइन फटने से अपेक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां मीठे पानी वाले स्थान पर वॉटर ए0टी0एम0 स्थापित किया जाय। पालीखेड़ा गांव में पानी खारा है, जिस स्थान पर बोरिंग है, वह कामयाब नहीं है, मीठे जल की उपलब्धता वाले स्थान पर बोरिंग आवश्यक है। वीर्जापुर गांव में पानी की पाइप लाइन पूरे गांव में नहीं डाली गयी है, आये दिन पाइप लाइन फट रही है, जिससे इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तंतूरा गांव तथा तंतूरा विस्तार में अभी तक पानी की टंकी स्थापित नहीं की गयी है। इसी तरह दामोदर पुरा एवं औरंगाबाद क्षेत्र जहां के ग्रामीणों की जमीन गोकुल बैराज के लिए सरकार ने लिया किन्तु उन्हें भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ है। इसलिए यहां मीठे पानी वाले स्थान पर पानी की टंकी स्थापित कर जलापूर्ति आवश्यक है। तंतूरा गांव के विस्तार में बहुत बड़ी कॉलोनी विकसित हो गयी है, जिसमें पानी की बड़ी टंकी स्थापित कर समुचित जलापूर्ति हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। यहां पर जो जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, उनकी पर्याप्त रुचि नहीं है। यहां से जल निगम निर्माण खण्ड इकाई हटा दी गयी है तथा उसका सारा बोझ बारहवां डिवीजन के अधिकारियों को दिया गया है, जिनसे सुधार की उम्मीद नहीं है। करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित इन टंकियों से समुचित जलापूर्ति न होना सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहां की जनता समुचित पेयजल न मिल पाने के कारण त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रही है। स्थानीय अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कई बार शिकायत की जा चुकी है। इसलिए शासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त सभी गांवों में स्थापित पानी की टंकियों से गुणवत्ता वाली पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति करने तथा खारे पानी वाले स्थल पर की गयी बोरिंग के स्थान पर नई बोरिंग/रि–बोर कराते हुए जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने, जिन स्थानों पर विद्युत ट्रांसफार्मर जले हैं, उन्हें शीघ्र बदले जाने तथा विद्युत कनेक्शन कराने, जिन गांवों में पानी की टंकी स्थापित किया जाना है, उसे शीघ्र स्थापित कराये जाने हेतु सरकार द्वारा उचित धनराशि आवंटित करते हुए उक्त सभी कार्य कराया जाना अति–आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा में बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत, नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्मान्यवर, जनपद–मथुरा में हमारे बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक–फरह एवं ब्लाक बल्देव के निम्न गांवों जोकि लोक निर्माण विभाग–सी0डी0–1 मथुरा तथा लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड मथुरा के अन्तर्गत आती है। मरम्मत/नवनिर्माण के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी अन्य निम्न ग्रामों का सम्पर्क मार्ग नहीं है। इन सड़कों के विशेष मरम्मत/नव निर्माण के अभाव में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बरसात के समय में निम्न मार्ग बन्द हो जाते हैं। जनता को आने जाने में काफी परेशानी होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1–अवैरनी से पचावर मार्ग।

2–बल्देव से बरौली मार्ग।

3–बरौली से कंजौली घाट पुल मार्ग।

4–बल्देव कंजौली घाट पुल मार्ग में से नगला राधे से नगला बेर तक नवनिर्माण मार्ग ल0–3 किमी0 लगभग।

5–फरह ओल मार्ग में से धाना जीवन मार्ग तक, नवनिर्माण मार्ग, ल0–1.5 किमी0 लगभग।

6–फरह ओल मुख्य मार्ग में से भदेरुआ–बिरोना मार्ग तक, नवनिर्माण।

7–बेरी से ओल मार्ग।

8–गौशाला (गोकुल बैराज) से झरौठा तक नवनिर्माण।

9–ओल फरह मार्ग में से गढ़ी रामबल मार्ग ल0–लगभग 1 किमी0।

10–नगला चन्द्रभान से अछनेरा मार्ग।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के वेतन में असमानता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0, बीसलपुर वर्ष 2014–15 से पूर्व तीन अरब के घाटे में थी तत्पश्चात एक ही वर्ष में 2014–15 में साठ करोड़ का घाटा हुआ इस प्रकार तीन अरब साठ करोड़ के घाटे में उक्त चीनी मिल है। वर्ष 2015–16 में विगत वर्षों से भी अत्यधिक घाटा होना सम्भावित है जिसका प्रमुख कारण अनावश्यक श्रमिकों को सेवायोजित करना और अपेक्षित श्रमिकों को सेवा मुक्त करना भी है। चीनी मिल समिति पदोन्नति निति 1995 यथा संशोधित 1998, 2006 एवं 2008 में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन एवं नियमानुसार विवरण के अन्तर्गत निःसम्वर्ग शीर्षक के अनुसार चिकित्साधिकारी के पद समाप्त किये जा चुके हैं। उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ के पत्रांक सं0

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

898/यूपीएफ/12/स्थापना/ कैंप/2014–15 दिनांक 18 नवम्बर 2015 के अन्तर्गत शासनादेश सं0 744/एस0सी0/18–2–2014– 77/12 दिनांक 6 नवम्बर 2014 यथा संशोधित शासनादेश सं0 754/एस0सी0/18–2–2014– 77/12 दिनांक 6 नवम्बर 2014 के क्रम में सहकारी चीनी मिलों में चिकित्साधिकारी का पद समाप्त किये जाने का उल्लेख है। शासन स्तर से सहकारी चीनी मिलों में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है लेकिन बीसलपुर सहकारी ची0मि0लि0 बीसलपुर एक शाहिद हुसैन कादरी को चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त किया है जो कि निजी चिकित्सालय का संचालन भी करता है उक्त चीनी मिल में भी किसी कर्मचारी का चिकित्सीय परीक्षण अथवा चिकित्सा व्यवस्था नहीं करता है जिसके चिकित्सीय प्रमाण–पत्र भी फर्जी होना चर्चित है। जिलाधिकारी पीलीभीत श्री मासूम अली सरवर ने भी उक्त चिकित्सक की स्थायी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की है। इस चिकित्सक को 22000/– एवं एक चपरासी रखने की अनिवार्यता के क्रम में 20000/– रुपया चपरासी प्राप्त करता है। जबकि विगत वर्षों में मात्र 6000/– रुपया के मानदेय पर एक कम्पाउण्डर नियुक्त रह संतोषजनक कार्य करता रहा है।

अशोक कुमार (स्टोर में), इजहार (स्टोर में), सुमित (टाइपिस्ट) एवं इमरान (लिपिक) अपात्रों को संविदा पर रखा गया है। अजय पाल, तिलक राम, अशोक कुमार, शान्ति स्वरूप, राम सिंह, अरुण, श्री कृष्ण एवं गजेन्द्र आदि को सिविल मजदूरी पर अनुभवी श्रमिकों को निकाल कर रखा है इस प्रकार उक्त चीनी मिल घाटे की ओर अग्रसर है। पर्याप्त पेराई क्षमता एवं चीनी निकासी अपेक्षा से कम ही है। जबकि गन्ने के वजन में भारी कटौती की जा रही है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा कराये जाने की कृपा की जाये साथ ही साथ कार्यवाही हेतु मांग करता हूं।,

उ0 प्र0 के राजकीय विभागों में शासनादेश संख्या–वे0–आ0–2–2063/दस–54 (एस) 2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 का अनुपालन वन निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय विभागों, नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक 29 जून, 1991 तक नियुक्त/कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु शासनादेश सं0–वे0–आ0–2–2063/दस–54 (एस), 2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के बावजूद उ0प्र0 वन निगम में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि शासनादेश सं0–वे0–आ0–2–2063/ दस–54 (एस), 2008 टी0सी0 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 का अनुपालन उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।,

प्रदेश की मण्डी में गुड़ एवं शक्कर पर मण्डी शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज मलिक–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि उ0प्र0 में वर्तमान में गुड़ एवं शक्कर पर ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क लिया जा रहा है, जिसे 1 प्रतिशत किया जाना व्यापारी एवं किसान हित में अति–आवश्यक है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों में यह शुल्क कम है। जहां हरियाणा में यह शुल्क एक प्रतिशत है वहीं पंजाब में शून्य। ऐसे में गुड़ एवं शक्कर व्यापारी अपना माल दूसरे पड़ोसी राज्यों में जाकर बेंच रहे हैं। इससे यहां के किसानों एवं व्यापारियों को काफी हानि हो रही है तथा सरकार को भी राजस्व क्षति हो रही है। इसलिए जनहित में यहां पर गुड़ एवं शक्कर पर मण्डी शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाना किसान एवं व्यापारी हित में अति–आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश के मण्डी में गुड़ एवं शक्कर पर मण्डी शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में बैठने से प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को विरत करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

ख्मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षा वर्ष 2016 के आयोजन के लिए शासनादेश सं0 313/71–2–16–103–2001, दिनांक 27 जनवरी, 2016 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

अधिकरण आदेश के साथ जो प्रवेश हेतु शर्तें लगायी हैं उसकी अर्हता बिन्दु–4 के अनुसार प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेज तथा डेंटल कालेज, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के स्नातक छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे।

महोदय, इस अर्हता आदेश के अन्तर्गत उत्तर पदेश के निवासी उन छात्रों को जिन्होंने अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों से एम0बी0बी0एस0 की डिग्री हासिल की है उन्हें इस प्रवेश परीक्षा में बैठने से डीबार कर दिया गया है जबकि वह मूलतः इसी प्रदेश के निवासी हैं

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और दूसरी ओर प्रदेश में चल रहे निजी मेडिकल कालेजों के उन छात्रों को भी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। जिन्होंने अध्ययन तो प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों में किया है लेकिन मूलतः वे इस प्रदेश के निवासी नहीं हैं और दूसरे प्रदेशों से आकर उन्होंने डोनेशन के आधार पर इन निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश ले लिया और इस प्रकार से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर परीक्षाओं में बैठने के अर्ह घोषित कर दिये गये।

यह एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसे तुरन्त दूर किया जाना आवश्यक है अन्यथा 2016 की प्रवेश परीक्षा में वह सारे बच्चे जो इस प्रदेश के निवासी हैं अत्यधिक योग्य होने के नाते अखित भारतीय प्रवेश परीक्षा के द्वारा राष्ट्र स्तरीय प्रदेश बाह्य चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की डिग्री प्राप्त करते हैं वे स्नातकोत्तर परीक्षा नहीं दे पायेंगे। यह एक प्रकार का ब्रेन–डेन होगा।

अतः निवेदन है कि लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद की ईसापुर से इमरतपुर सिरसी सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद इरफान–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद की ईसापुर से इमरतपुर सिरसी सड़क का निर्माण कार्य मण्डी परिषद से कराये जाने का सन्दर्भ वर्ष 2013 में मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद/मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। परन्तु धरातल पर मिट्टी कार्य पूर्ण न होने की वजह से उक्त सड़क नहीं बन पायी थी, क्षेत्र के किसानों द्वारा श्रम दान करके कच्ची सड़क बनाये जाने के उपरान्त एस्टीमेट मण्डी परिषद, उ0प्र0 में विचाराधीन है। परन्तु मण्डी परिषद की वर्तमान योजना में नया निर्माण हेतु बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिए उक्त सड़क जो अत्यधिक जरूरी है, तथा नवनिर्मित बिलारी मण्डी को जाती है जिसको बनवाये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 30–06–2015 को निदेशक मण्डी परिषद, उ0प्र0 के द्वारा लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है। जिसका निर्माण जनहित में कराया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का है तत्काल लोक निर्माण विभाग से किये जाने की मांग सरकार से करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज की कतिपय ग्राम सभाओं में गिरते भू–जल स्तर से पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु पाइप पेयजल परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0के0 वर्मा–

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में 7 नदी और नाले हैं जिससे सतही जल ठहराव न हो पाने से भूगर्भ जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, निम्नलिखित ग्राम सभाओं में घोर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है :–

1–ग्राम–पेरे खुसई, विकास खण्ड–सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

2–ग्राम–बनबीरकास, विकास खण्ड–सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

3–ग्राम–बरापुर भीख, विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

4–ग्राम–साधोपुर, विकास खण्ड–सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

5–ग्राम–सराय हरिनारायण, विकास खण्ड–मान्धाता, जनपद–प्रतापगढ़।

6–ग्राम–बेलखरी, विकास खण्ड–मान्धाता, जनपद–प्रतापगढ़।

7–ग्राम–रायपुरकला, विकास खण्ड–मान्धाता, जनपद–प्रतापगढ़।

8–ग्राम–धनीपुर, विकास खण्ड–मान्धाता, जनपद–प्रतापगढ़।

9–ग्राम–गजेहणा, विकास खण्ड–मान्धाता, जनपद–प्रतापगढ़।

10–ग्राम–दौलतपुर, विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

11–ग्राम–हदिराही, विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

12–ग्राम–सरूआ, विकास खण्ड–सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

13–ग्राम–बासुपुर, विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

14–ग्राम–रसूलपुर गुलरहा, विकास खण्ड–सण्डवा चन्द्रिका, जनपद–प्रतापगढ़।

15–ग्राम–गारापुर, विकास खण्ड–लालगंज, जनपद–प्रतापगढ़।

अतः मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि उपरोक्त ग्रामवासियों की इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या के निस्तारण हेतु पाइप पेयजल परियोजना स्थापित करने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।,

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत श्री अगयश राम सरन वर्मा की सूचना प्राप्त हुई है। वर्मा जी, यह प्रोटोकाल से संबंधित है। यह उसमें नहीं आता है। आप लिख करके संसदीय कार्यमंत्री जी को दे देंगे तो वह इसको दिखवा लेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा

धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 फरवरी, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

[12.45, सदस्यों की गिरफतारी, निरोध व रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की कोई सूचना नहीं है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, बैठिये, बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। खन्ना साहब आप इनको समझाते क्यों नहीं, इनको भी कोई ऐसा विभाग बता दीजिए, सबको तो आप राय देते हैं विभाग का। अब बैठिये। जब कोई प्रश्न उपस्थित होता है तब उससे संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है।

[12.47, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2009–2010) में उल्लिखित श्रम विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् कानपुर तथा प्रतिवेदन वर्ष (2002–2003) में वर्णित खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन गुरूगोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटीज, लखनऊ एवं प्रतिवेदन वर्ष (2004–2005) में वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्रस कालेज, गोरखपुर से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2009–2010) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन

४ छापा नहीं गया।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद तथा कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2004–2005) एवं (2007–2008) में उल्लिखित हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन क्रमशः उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, लि0 कानपुर, यूपिका सर्वोदयनगर, कानपुर एवं उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम, कबीर भवन, कानपुर की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की विशेष सम्परीक्षा से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का बीसवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश विधान सभा उक्त समिति (2015–2016) का बीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2005–2006) एवं (2006–2007) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

ख12.50, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन४

श्री शौकत अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दिलीप सोनी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में फिरोजाबाद रोड मण्डी समिति के पास चर्चित वाटिका से ब्रम्हनगरी (बसेरा कालोनी) तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

४ छापा नहीं गया।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में फिरोजाबाद रोड मण्डी समिति के पास चर्चित वाटिका से ब्रम्हनगरी (बसेरा कालोनी) तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिलीप सोनी व श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

ख्12.51, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के प्रकाश नगर में पातीराम कुशवाह की मार्केट से विजय सिंह चक्की वाले के मकान से होते हुए शमशान घाट तक नई सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम कुशवाह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के प्रकाश नगर में पातीराम कुशवाह की मार्केट से विजय सिंह चक्की वाले के मकान से होते हुए शमशान घाट तक नई सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम कुशवाह व श्री चन्द्रभान सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की मांट ब्रांच से निकलने वाली नहरे धगैंटा, कुरसण्डा व सैमरा एवं सहपऊ रजवाह, बरहन रजवाह, फिरोजाबाद रजवाह की सफाई कराकर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री वेद प्रकाश त्यागी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की मांट ब्रांच से निकलने वाली नहरे धगैंटा, कुरसण्डा व सैमरा एवं सहपऊ रजवाह, बरहन रजवाह, फिरोजाबाद रजवाह की सफाई कराकर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री वेद प्रकाश त्यागी व श्री पप्पू त्यागी निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में हाथरस रोड स्थित चन्द्र नगर चौराहे से के0एस0 पब्लिक स्कूल वाली पुलिया तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय चौहान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र में हाथरस रोड स्थित चन्द्र नगर चौराहे से के0एस0 पब्लिक स्कूल वाली पुलिया तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय चौहान व श्री दिलीप शर्मा निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई कराकर किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री कोलम सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई कराकर किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री कोलम सिंह व श्री जोगेन्द्र सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अकोला विकास खण्ड को तहसील बनाये जाने विषयक श्री राजवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अकोला विकास खण्ड को तहसील बनाये जाने विषयक श्री राजवीर सिंह व श्री गम्भीर सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में नगर पंचायत किरावली को नगरपालिका बनाये जाने विषयक श्री मनोज आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में नगर पंचायत किरावली को नगरपालिका बनाये जाने विषयक श्री मनोज व श्री ओमकार निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में अवस्थापना निधि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा अकबरा, मांगरौल, खड़वाई, लोहकरेरा रुनकता एवं पनवारी क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सूरजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में अवस्थापना निधि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा अकबरा, मांगरौल, खड़वाई, लोहकरेरा रुनकता एवं पनवारी क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने विषयक श्री भगवान सिंह व श्री रवि धाकरे निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम बस्तोई से ग्राम बसई बावस होते हुए जनपद हाथरस के बार्डर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में

निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम बस्तोई से ग्राम बसई बावस होते हुए जनपद हाथरस के बार्डर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–अलीगढ़ मार्ग से ग्राम मीरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनवीर शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–अलीगढ़ मार्ग से ग्राम मीरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनवीर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–हाथरस मार्ग से ग्राम मनोरा होते हुए ग्राम–गिरधरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनीष नायक आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ–हाथरस मार्ग से ग्राम–गिरधरपुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मनीष नायक व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर स्थित गर्रा नदी पर पुल एवं क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के तिलहर अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर स्थित गर्रा नदी पर पुल एवं क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के पटल पर उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–15 और मद संख्या–16, 17 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–18।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के उपखण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु भी अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि–''यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 23 फरवरी, 2016 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की

परिषद में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 23 फरवरी, 2016 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[01.00, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23–02–2016 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की है और उनके पार्टी के सदस्यों के साथ है, श्री अजय राय, विधायक कांग्रेस एवं वाराणसी जनपद के अन्य कांग्रेसियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है। खन्ना जी, आप तो बहुत विद्वान सदस्य हैं आपको हम बता नहीं सकते हैं आपने एक तीन आदमियों के साथ हस्ताक्षर करके मेरे यहां भेजा था और एक अकेले भेजा था। एक राधा मोहन दास जी का था और एक आपने अलग से भेजा था जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवांया के ग्राम मजीदापुर के श्री पप्पू श्रीवास्तव को दिनांक 18–12–2015 को हत्या किये जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तो वह तो खारिज हो गया क्योंकि वह तीनों का था। इसलिए मैंने उसको नहीं लिया इसको ले लिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उसको कल ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

वह नहीं लिया है क्योंकि तीन नाम एक साथ थे।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना पर आपके हस्ताक्षर हैं डा0 राधामोहन दास के हैं एक और सदस्य के हस्ताक्षर हैं। एक आपने अलग से सूचना दी है एक व्यक्ति दो सूचनाओं पर एक साथ हस्ताक्षर नहीं कर सकता है इसलिए एक सूचना आपकी रिजक्ट हो गई।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष महोदय अभी तक तो आपने सुना होगा कि पुलिस किस तरह से आम लोगों को निर्दोष लोगों को डिफरेंट केसेज में निरुद्ध करती है प्रशासन किस तरह से एक आम आदमी को एन0एस0ए0 में निरुद्ध कर देता है। परन्तु यह पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस के विधायक अजय राय जो कि पिंडरा से विधायक हैं और वाराणसी से विधायक हैं उनको विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत और रासुका में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको निरुद्ध कर दिया गया और उनको फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया। आज लगभग चार महीने होने को आ गए हैं उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको घटना के बारे में बताना चाहता हूं एक छोटी सी शुरुआत होती है जिसमें अजय राय का कुछ लेना देना नहीं है। वाराणसी में 21–22 सितम्बर को गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी और हिन्दू वाहिनी और बजरंग दल ने नंगा नाच किया था जिस तरह से वहॉ पर दंगे कराए थे स्थानीय पुलिस ने वहॉ पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया था।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप इसकी ग्राह्यता पर बोलिए।

श्री प्रदीप माथुर–

इसके विरोध में 5 अक्टूबर को प्रतिकार यात्रा...

(शोरगुल जारी)

श्री प्रदीप माथुर–

मोदी जी के यह दूत हैं। पांच अक्टूबर को गेदालिया चौराहे से टाउन हाल तक एक न्याय प्रतिकार यात्रा निकाली जाती है। उसमें हजारों संत हजारों नागरिक हिस्सा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इनको अपनी बात कह लेने दें उसके बाद कहिएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

नेता कांग्रेस गलत बातें रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जो गलत बात होगी उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी यह सदन है लेकिन ऐसा लगता है जैसे नेता कांग्रेस सड़क पर भाषण दे रहे हों।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब आप ग्राह्यता पर बोलिए।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जैसे पब्लिक मीटिंग में यह बोलते हैं वैसे यहां बोल रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर–

यह लोग हमें यह नहीं बता सकते हैं कि कैसे बोला जाता है। यह दंगा कराने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब संक्षिप्त विवरण देकर ग्राह्यता पर बोलिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, 21–22 सितम्बर की घटना के विरोध में न्याय प्रतिकार यात्रा निकाली जाती है, जिसमें वाराणसी के तमाम आम आदमी और लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। टाउन एरिया से लेकर गोदोलिया चौराहे तक एक जुलूस चल रहा होता है। अजय राय उन संतों के पीछे जिनमें स्वामी अविमुक्तेश्वारानंद जी थे और तमाम संत थे, उनके पीछे चल रहे थे और उसमें तमाम कांग्रेसी भी शामिल थे, सभी दलों के लोग शामिल थे। विरोध यह था कि गणेश प्रतिमा विसर्जन पर रोक का विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। उसी में भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक भी थे, साध्वी प्राची भी थीं। अचानक पता चलता है कि गोदोलिया चौराहे पर तमाम वाहनों में आग लगा दी जाती है, उपद्रव शुरू हो जाता है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी खड़ी है, उसे आग नहीं लगाई जाती। स्थिति यह है कि गोदोलिया चौराहे के पास ही आर0एस0एस0 का दफ्तर है।

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलिये, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा होगी तब बोलियेगा।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, हम कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, हमने यह कहा कि आर0एस0एस0 का दफ्तर पास ही में था।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर 'अजय राय को रिहा करो, रिहा करने सम्बन्धी नारे लिखी तख्तियां दिखाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थानों पर चलिये। आपको जवाब देने का मौका मिल जाता, यहां आने की क्या जरूरत थी, चर्चा में आप जवाब दे देते। जब चर्चा होती तब आप अपनी पूरी बात रखते। आप लोग अपने स्थान पर जाईये, जब इस पर चर्चा होगी तो सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप इनको ग्राह्यता पर बोल लेने दीजिये, जब चर्चा की जायेगी तो आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रहेगा।

माथुर साहब, आप ग्राह्यता तक संक्षिप्त कर लें। इस पर अगर चर्चा स्वीकार हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। खन्ना जी, माथुर साहब ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, इस पर अगर चर्चा स्वीकार होती है तो आप अपनी पूरी बात कह लीजियेगा।

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य (कांग्रेस पार्टी को इंगित करते हुए) नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलें। आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, [ग ग ग , जे0एन0यू0 जाते हैं और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

01 बजकर 27 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 42 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अभी माथुर साहब अपने नियम–56 की सूचना पर जो कह रहे थे, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपनी बात कह रहे थे सरकार से, और हमको अनायास बिला वजह घसीट रहे थे। क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या मतलब है बजरंग दल से, क्या मतलब है आर0एस0एस0 से। मान्यवर, जबरदस्ती

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लांछित करना, यह उचित नहीं है। श्री माथुर साहब को अपने कहे का खेद सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी किस बात का खेद व्यक्त करें। हम फाइंडिंग कमेटी के मेम्बर थे हमारी पार्टी ने भेजा था। आज जनता ने जो बताया, वह हमने बताया। सच्ची और सही बातों को बताया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नहीं, यह जबरदस्ती लांछित करना है और यह किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, हमने किसी को लांछित नहीं किया है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य वेल में आ कर माफी मांगें, माफी मांगें के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री अध्यक्ष–

अरे, अभी तो रहे अब फिर आ गए आप लोग। अभी यहां बात हुई थी। अब चलाना नहीं है ?

(श्री प्रदीप माथुर, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं अन्य सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयत्न करते हुई एवं अजय राय की रिहाई सम्बन्धी लिखा पोस्टर दिखाने पर)

अरे माथुर साहब, आप अब बैठ जाओ, आपने तो पूरी बात कह ली अब संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर तो आ जाने दो। बैठिए। यह प्रदर्शन मत करिए उसको नीचे रखिए। बहुत हो गया। आप लोग बैठिए। माथुर साहब आप धैर्य रखिए। आप लोग बैठ जाएं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब सुन लिया है, उत्तर सुन लीजिए। अरे, माननीय खन्ना जी, बैठिए अब आप सुनो आपने अपनी बात कह ली। आपने अपना जवाब दे दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जवाब नहीं है। यह अनायास, अनर्गल जिसका कोई औचित्य नहीं था।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य वेल से लगातार नारे लगाते रहे तथा अनेक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे और कांग्रेस पार्टी के कुछ माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर के पोस्टर दिखाते रहे'')

श्री अध्यक्ष–

उसमें जो भी असंसदीय होगा, हमने पहले ही कह दिया है कि निकाल देंगे। पहले ही इस बात को कहा था। अब ये प्रदर्शन आप लोग मत करिए, चलिए वहां बैठिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए। माथुर साहब, अब आप सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता कांग्रेस ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, उनके बारे में बताएं। भाजपा के नेता की भी दाढ़ी है, बी0एस0पी0 के नेता की भी दाढ़ी है, तो यह बात साफ कर दें कि असल में तिनका किसकी दाढ़ी में है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। पंकज मलिक जी, अब बैठें। अब आप लोग बैठ जाइये अब संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आ जाने दीजिए।

(कई सदस्यों के सदन में बोलने के प्रयास पर)

अब जबरदस्ती बोलेंगे, कुछ भी लिखा नहीं जायेगा और न ही यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा। अब आप सरकार से बात आने दीजिए, आपको जितना बोलना था बोल चुके हैं, अब उसमें बाकी कुछ बचा नहीं है। अब सारी बातें आपने कह दीं और संसदीय कार्य मंत्री ने सुन लिया है, अब आप लोग चलिए संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहें तो उसको भी सुनिये। अब आप चलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह विषयान्तर कर रहे हैं, यह सही बात को घुमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सरकार का भी कुछ सुनेंगे, जो आपका उद्देश्य है। सरकार को भी सुन लीजिए कि सरकार क्या कह रही है या अपना ही सुनाते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला है, केवल आपके सुनाने से। बात नहीं सुनते हैं आप लोग। आप सुनिये संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बतायेंगे। अब आपने बता दिया उनका जवाब सुन लीजिए। इनका तो इतना आरोप है कि आपने उस दंगे का आरोप, उस घटना का आरोप इनके ऊपर मढ़ दिया, इसलिए यह अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।

आगे चलने दीजिए अभी बहुत काम है। अब आप खत्म करें अब लिखा नहीं जा रहा है। चाहे जो बोलें अब न तो लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग बनेगा और न वह प्रेस में जायेगा। अब आप बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ये जो भाषा प्रयोग करते हैं, वह कतई बर्दाश्त नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। कोई आवश्यता नहीं है इस भाषा की। कोई औचित्य नहीं है उस भाषा का।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जाएं आपने अपनी बात कह दी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी कहें, सुनो, आपने अपनी बात कह दी, बार–बार वही बात कहने से क्या फायदा। अब आप अपने मूल उद्देश्य से भटक रहे हो, जिसके लिए इतना बड़ा आन्दोलन कर रहे हो, उसका कुछ आने दो। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(अनेक मा0 सदस्यों द्वारा लगातार अपनी बात कहने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खन्ना जी, जो इसमें असंसदीय बात होगी उसे मै निकाल दूंगा। अब आप बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरा सिर्फ यह कहना है कि ख ग ग ग , पर आरोप लगाये गये हैं, मान्यवर, आप उसे निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

हम उसको दिखवा लेंगे।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

माथुर साहब, संसदीय कार्य मंत्री का जवाब तो आने दें। आप जो मांग कर रहे हैं उनकी बात तो सुनें कि वे उस पर क्या कह रहे हैं ? आप भी नहीं मानते हैं ये भी नहीं मानते हैं। देखिये जो भी असंसदीय होगा, उसको हम दिखवा देंगे। यह विधान सभा का अखिरी बजट सत्र है, क्या इसमें बवाल कर रहे हैं, अपने–अपने क्षेत्र मे जायें खन्ना जी इन लोगों को बुलायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, रासुका सरकार ने लगाया, कोई दिल्ली से, हमारी पार्टी से या हमारे प्रधानमंत्री से मतलब नहीं और उनका नाम बार–बार ले रहे हैं।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्य लगातार नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब आप सबसे निवेदन है आप चलें, आपको अपना जितना विरोध प्रदर्शन करना था, हो गया, बातें आ गईं, सबने सुन लिया कि इन्होंने जो कहा उसका आपने विरोध किया, अब आप बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह अनर्गल आरोप है।

श्री अध्यक्ष–

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अब आप लोग चलें, आगे बढ़ा जाये। देखिये माथुर साहब, आपने अपनी बात कह दी, अब सरकार की तरफ से इसका जवाब सुन लीजिये। जो बात कहना है वह आप कहते नहीं हैं, इधर–उधर का बवाल, बात कहने लगते हैं अनावश्यक बातें जोड़ देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। आप नियम–56 का जानते हैं, दो मिनट ग्राह्यता पर बोला जाता है।

(सदन के वेल में आये हुए मा0 सदस्य ''माफी मांगें, माफी मांगें'' के नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो–जो भाषा इन्होंने बोली है वह लांछित करने वाली भाषा है या तो यह खेद व्यक्त करें या यह भाषा निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप चलो, मैं उसको दिखवा लूंगा अगर वह असंसदीय है तो मैं निकाल दूंगा। चलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जबरदस्ती लांछित करने की बात है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब, आप तो पढ़े लिखे डाक्टर हो, आपकी दुकान में मरीज नारा लगायें तो कैसा लगेगा, बताओ। आप चलो, हो गयी बात, उसमें अगर कोई ऐसी बात है, असंसदीय आया है तो हम उसको दिखवा लेंगे, निकाल देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लांछन, जिसका कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग काहे इसको अखाड़ा बना रहे हैं। बैठिये न, माथुर साहब, अब चलो आप लोग नहीं चलने देना चाहते हैं तो हम निपटा के चलें।

आप चलिये, चलिये, असीजा जी, आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। मन से तो लगता नहीं होगा लेकिन क्या करो, सब पार्टी का यह है। चलिये अब हो गया, बहुत हो गया। इतना देर तक यही चलता रहा उतनी देर बन्द रहा इसीलिये। चले जाओ, मथुरा वहीं लड़ो वहीं वृन्दावन में जूझो उसे यहां क्यों लड़ रहे हैं।

मेरा अनुरोध है आप लोग चलें। आप चलिये अब तो हो गयी बात।

(वेल में आये हुए सदस्यों द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाने पर)

आप चलिये नारा मत लगाइये, यह कोई कार्यवाही का अंग नहीं, न यह प्रेस में जायेगा इस सब पर मैं रोक लगा देता हूं अब चिल्लाओं जितना चिल्लाना हो।

आप लोग चलिये, यह स्टिंग आपरेशन पर चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं। स्टिंग आपरेशन पर अभी चर्चा होनी है जिस पर आप लोगों को बोलना है उस पर नहीं करना है चर्चा क्या ?

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य वेल से तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान से नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

आप लोग यहां से बाहर निकलकर लड़ लेते तो अच्छा होता, क्योंकि फिर हम लोग यहां पर काम तो निपटा लेते। क्या आप दोनों दल के लोग आगे कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं। राना साहब, इसको चौराहा मत बनाइये, यह चौराहा नहीं है। कुछ तो अपनी और यहां की गरिमा का ध्यान रखिये।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य वेल से नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

अरे, अब आप लोग चलिये और संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे एक अनुरोध है कि कांग्रेस के लोग माफी मांग लें।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यगण वेल से तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान से नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

चलिये आप लोग अब। मैं इसको दिखवा लेता हूं। जो वैसी बातें होंगी, उसे हम निकाल देंगे। आप चलिये अपने स्थान पर। नहीं तो, अगर आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, तो शाम तक हम भी बैठे रहेंगे। आप लोग वेल से क्यों चिल्ला रहे हैं, वहीं पर जाकर लड़ते क्यों नहीं हैं। अच्छा होगा कि आप लोग अपने स्थान पर जाकर अपनी बात शालीन तरीके से कहिये।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य वेल से नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं। मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य 02 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 02 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जितनी भी आरोपात्मक बातें हैं, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उसे हम दिखवा लेंगे।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नियम–56 की सूचना पर आप कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक की रिहाई के मामले को लेकर नेता कांग्रेस ने यहां अपनी बात रखी थी लेकिन वह बात कुछ इस अंदाज से हुयी कि उससे सदन काफी अव्यवस्थित हुआ। यूं तो यह बात खुद में काफी नामुनासिब है कि दोनों एक दूसरे की पोल खोलते हैं, हालांकि सच कहते हैं। लेकिन जो माहौल बना, उसने अकारण ही वक्त खराब किया। जहां तक माननीय विधायक की रिहाई का सवाल है उसमें बहुत से पहलू हैं और यूं ही किसी माननीय सदस्य को ऐसी धाराओं के तहत जेल भेजना किसी भी सरकार को अच्छा नहीं लगता। जाहिर है बहुत संगीन हालात हो गये थे और अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाती तो बनारस में अनर्थ के हालात थे और अनर्थ हो जाता और अगर बनारस में ऐसा होता तो पूरा प्रदेश उससे प्रभावित होता। आपको इस बात से खुश होना चाहिये कि अगर आपके किसी सदस्य ने कोई गलती की थी, दूसरों ने की थी, वह अपनी जगह है, बिल्कुल सही है लेकिन हम दूसरों की गलती में उनसे आगे निकल जाये अपने आपको हाईलाइट करने के लिये, उससे कानून–व्यवस्था का बड़ा नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि नेता कांग्रेस की तरफ से ऐसी ख्वाहिश जाहिर की गयी है उनके परिवारजनों ने भी, उनके शुभचिन्तकों ने भी चाहा है कि सरकार इस पर विचार करे तो मैं समझता हूं कि नेता सदन बैठे हुये हैं, वह सब सुन भी रहे हैं और उन्होंने अभी आपके कक्ष में ऐसा कहा भी था कि वह इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन मेरिट और डिमेरिट को बहरहाल फिलहाल सामने जरूर रखा जायेगा। इसके साथ ही उनके परिवारजनों और खुद आपकी इस ख्वाहिश का एहतेराम सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय खन्ना जी की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 की इस सूचना की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 18 दिसम्बर, 2015 को सायंकाल 7.00 बजे जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवांया क्षेत्र के ग्राम मजीदापुर वहां का रहने वाला पप्पू श्रीवास्तव, मान्यवर, यह लिखता तो श्रीवास्तव था लेकिन यह नाई बिरादरी का था, यह थाना पुवांया क्षेत्र में ही मजीदापुर के पास एक बड़ा गांव है वहां पर इसकी बारबर की शाप थी और वहीं पर यह लोगों के बाल और दाढ़ी बनाता था। मान्यवर, 18 दिसम्बर शाम को 7.00 बजे यह अपनी दुकान बन्द करके मोटरसाइकिल से अपने गांव मजीदापुर

जा रहा था। रास्ते में बड़े गांव के पास इसकी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मान्यवर, जिन लोगों के नाम इसके परिवार ने दिये थे उन लोगों से गहराई से पूछतांछ नहीं की गयी अगर उनसे गहनता से पूछतांछ की गयी होती तो इस हत्या का राज खुल जाता। चूंकि शाम का वक्त था और जब तक इनके घर वाले वहां पर पहुंचते, तब तक यह वहां पर गिर चुके थे और जिस समय यह गिरे, उसी समय पप्पू श्रीवास्तव की आन दि स्पॉट डेथ हो गयी। लेकिन परिवार वालों ने जिन लोगों के ऊपर शक जाहिर किया उसमें इनके करीब के रिश्तेदार भी हैं अभी दो महीने से अधिक का समय हो गया, मान्यवर, इस केस का खुलासा नहीं हुआ। इनके पीछे इनकी पत्नी है, बहुत कम उम्र की है और दो छोटे–छोटे नाबालिग बच्चे हैं। पूरा परिवार बेसहारा हो गया, अनाथ हो गया, उसके जीवन–यापन के लिये कोई सहारा नहीं है। चूंकि वह खुद हाथ का कारीगर था, रोज पैदा करता था, रोज खाता था उसके पास ऐसी कोई सम्पत्ति भी नहीं है जिसके आधार पर उनका जीवन–यापन हो। तो इस नियम–56 की सूचना के माध्यम से हम विशेष रूप से दो बांतें कहना चाहते हैं, एक तो उस केस का खुलासा होना चाहिये। उनके परिवार ने जिन लोगों का नाम इंगित किया है उनसे गहराई से पूछतांछ हो तो निश्चित रूप से केस खुल जायेगा। मैं उनके परिवार वालों से मिला भी था और उनके भाई, पिता वगैरह से भी मिला था। उन्होंने जिन लोगों पर शक जाहिर किया अगर उनसे गहनता से पूछतांछ होगी तो केस खुल जायेगा। दूसरी बात मान्यवर, चूंकि इनके परिवार का और कोई सहारा नहीं है नाबालिग दो छोटे–छोटे बच्चे हैं, 3 साल और 2 साल के और अभी पत्नी के लिये भी पूरा जीवन पड़ा है। इसलिये हम चाहते हैं कि कुछ आर्थिक सहायता उनको मिल जाये और हर प्रकार से मान्यवर, कोई रोजी–रोटी का सहारा मिल जाये तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात मान्यवर, केस का खुलासा जरूर होना चाहिये। मान्यवर, केस की ग्राह्यता पर मैंने अपनी बात रखी मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय, आपने अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो बातें आपने रखी हैं एक तो मानवीय आधार पर सहायता करना और दूसरा कानूनी कार्यवाही। सही मुजिल्म पकड़े जायें और न्याय मिले। मान्यवर, इसमें कभी सरकार पीछे नहीं है कि सही लोग पकड़े जायें और न्याय मिले। लेकिन दूसरी बात पर आप लिखकर दे दें जरूर, अगर आपराधिक मामलों में यह नहीं मालूम कि किस मामले को लेकर हत्या हुयी है, पूरी बात सामने आना चाहिये। प्रदेश में बहुत से आपराधिक मामले होते हैं, लोग रोज मारे जाते हैं और अगर सरकार से एक बार भी ऐसी कोई मिसाल कायम हो जायेगी कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता दे तो यह मेरे खयाल से गलत पहल होगी। इस पर आप विचार कर लीजिए, आप अपने स्थानीय तौर पर उनकी जो मदद करना चाहें वह कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर यदि कोई नौकरी दिलवाने की बात हो तो उसमें भी सरकार सहायता कर सकती है लेकिन आर्थिक सहायता में थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपराधिक मामलों में यदि कोई हत्या होती है तो उसे कानून से इन्साफ मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक मामलों में थोड़ा विचार करने की बात है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं इसके पक्ष में हूं, बिल्कुल पक्ष में हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश हों, यह बिजनेस राइवलरी की वजह से मारा गया, इसके फूफा की भी दुकान वहीं पर थी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कोई भी कारण हो, 302 सबसे बड़ी धारा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उनके परिवार वालों ने लिख कर दिया है, उनसे पूछतांछ नहीं हुई।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं, ऐसा नहीं है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछतांछ भी हुई है, जिन लोगों को बुलाया गया था उनसे पूछतांछ करके उन्हें छोड़ा भी गया है और पूछतांछ बराबर जारी है। ऐसा नहीं है, 302 में कभी–कभी ऐसा होता है कि पुलिस मामलात को इस तरह से हैंडिल करती है कि यह एहसास रहे कि अब पुलिस ने इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है लेकिन पुलिस सक्रिय रहती है, इंटेलीजेंस सक्रिय रहता है जो भी हमारा इंटेलीजेंस का सिस्टम है वह सक्रिय रहता है। तो उसमें ही लोग पकड़े जाते हैं जो अपने आपको बेफिक्र समझ लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मुझे स्पेसिफिक जानकारी है अभी तक उन्होंने कहा था कि उसका नाम बता दो, फिर उन्होंने परसों लिख करके मांग लिया, जब लिख कर मांग लिया तो कहा कि साहब अब तीन दिन के बाद देखेंगे। जब वह बिल्कुल बता रहे हैं, जिन लोगों से पता चला कि किसने मारा तो उसके बाद क्या–क्या घटनाक्रम हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये, इस तरह का प्रोसीजर नहीं होता कि केवल कह देने पर किसी को मुल्जिम बना दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

केवल कहा नहीं, लिख करके भी दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लिख करके देने पर भी नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस जांच नहीं कर लेती।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आई एम एग्रीड, हम यह मान ले रहे हैं लेकिन दो महीने के बाद जो तथ्य सामने आये कि किसके द्वारा किस प्रकार से यहां पर स्थिति पैदा हुई, उसके बाद यह हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कोई भी अगर मुल्जिम है तो उसको बचाने या छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन कोई बेगुनाह ना आ जाए, किसी को बता देने या लिख देने से कोई मुजरिम नहीं होता, ऐसा कानून है ही नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह मैं मान रहा हूं लेकिन मैंने तो यही कहा कि उनसे गहनता से पूछतांछ होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं तो आपसे बार–बार कह रहा हूं कि बिल्कुल आपकी बात पर सरकार और गम्भीरता से कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माथुर साहब और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना था, उसके बाद खन्ना साहब और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह दोनों सूचनाएं नियम–56 में नहीं आतीं इसलिए मैं इन दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(मा0 सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के हाथ खड़ा करने पर)

आप उंगली मत दिखाइये, आप बैठिये।

(मा0 सदस्य श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

अब नहीं सुनेंगे, कल सुनाना, आप बैठ जाएं। बहुत जिद मत कीजिए, अब आज किसी का नहीं लिया गया है, जब लिया जायेगा तभी तो आप सुनायेंगे। कुछ तो हमारी भी मर्यादा का ध्यान रखें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य डा0 धर्मपाल सिंह जी इस सूचना को तीन बार से लगातार लगा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उसे लें नहीं, आप केवल उस पर वक्तव्य की मांग कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अब देखिये, आगे बढ़ गये हैं, कल दे देंगे हम स्वीकार कर लेंगे।

ख2.37, मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में गठित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतन्त्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन स्तम्भ हैं और चौथे स्तम्भ का दर्जा मीडिया को दिया गया और यह उम्मीद की गई कि मीडिया भी उसी तरह का रोल निभायेगी जैसे कि दूसरे स्तम्भों का अपना रोल है। सभी स्तम्भों का अपना एक दायरा है, सबका एक तरीका है, सभी अपने–अपने दायरे में काम करते हैं। मीडिया को भी स्वतन्त्रता उसी तरीके से दी गई संविधान के अनुच्छेद–19 की धारा–1 के अन्तर्गत अपनी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो आम आदमी को है वही स्वतन्त्रता उसी के तहत मीडिया को भी दी गई लेकिन मीडिया अगर उसका दुरूपयोग करे तो निश्चित रूप से सोचने का विषय हो जाता है। ऐसा पहले नहीं था। सन् 1780 में जब पहला हिन्दुस्तान का अखबार 'दि बंगला गजट' छपा तो मीडिया पर पाबन्दियां थीं। वारेन हेस्टिंग्ज जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनकी बीबी पर एक आलोचनात्मक एक टिप्पणी लिखी जेम्स आगस्टस ने जो उस अखबार के मालिक थे, उनको 04 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना उस वक्त हुआ था। आज मीडिया को इसलिए फ्री छोड़ा गया, उन्हें वो अधिकार दिये गये ताकि लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए मीडिया भी उसी तरीके से काम कर सके जिस तरीके से दूसरे स्तम्भ काम करते हैं। लोकतंत्र में मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि सरकार की उपलब्धियां, सरकार की कमजोरियां और जनता की समस्यायें, आमजन और सरकार तक पहुंचायें और जब कहीं दर्द हो, कहीं पीड़ा हो, तो वो दर्द सरकार के कानों तक लेकर जायें जहां तक सरकार न देख पा रही हो उस चीज को सरकार तक लेकर जायें, सरकार की बुराईयों को भी और सरकार की अच्छाईयों को भी लोगों के सामने रखे ताकि आम आदमी, जिस तक इंसाफ नहीं पहुंचता उसे इंसाफ मिले। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि मीडिया जब आमदनी का साधन बना लिया जाये, मीडिया यह मानने लग जाये कि हम तीनों स्तम्भों पर भारी हैं, हमारी जो मर्जी हो, हम चाहे विधायिका के खिलाफ लिख दें, हम चाहे न्यायपालिका पर कमेंट करें। हालांकि न्यायपालिका पर कमेंट करने के पहले सोचते हैं कि कहीं अवमानना का शिकार होकर जेल न जाना पड़े। लेकिन यह सही है कि विधायिका के खिलाफ कमेंट करने में कोई कोताही और कमी कभी नहीं बरती जाती, यही हाल कार्यपालिका के ऊपर होता है तो हम यही कहना चाहते हैं कि यह सीमित होना चाहिए। हम सब जो भी हैं, जिम्मेदार अपने–अपने ओहदों पर हैं और हर ओहदे के साथ एक जिम्मेदारी होती है, हमारे इस सदन में आप बैठे हैं अध्यक्ष के रूप में, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, हमारे तमाम आदरणीय मंत्रिगण बैठे हैं, हम सभी लोग विधायक और सदस्य की हैसियत से यहां पर बैठे हैं तो हमारे पदों के साथ एक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इन पदों के पहले हम क्या हैं ? इन पदों के पहले हम इंसान भी हैं। जब भी मीडिया लिखे तो यह सोचना चाहिए, मीडिया का यह कर्तव्य होता है कि मीडिया सोचे की जो कुछ भी हम लिखने जा रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पहले, इसका प्रतिफल क्या निकलेगा ? जो मर्जी में आया, लिख दिया, जो मर्जी आयी कमेण्ट कर दिया। मुजफ्फरनगर दंगों के इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच के दौरान ऐसे न जाने कितने तथ्य हमारे सामने आये जहां यह लगा कि मीडिया ने अपनी

जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सारे मेम्बरान का, जिन लोगों ने हमें जांच में बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रमुख सचिव साहब और इनके अधीनस्थ अधिकारियों का जिन्होंने हमें सहयोग दिया और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारे सभी साथियों ने मदद की। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि एक शख्स जिसका किरदार साफ–सुथरा हो उसका नाम किसी न किसी साजिश के तहत लिया गया। हमारी जांच का दायरा सीमित था अगर शायद जांच का दायरा और बड़ा होता तो बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते थे, जो इस साजिश के पीछे खड़े थे। इस जांच के दौरान हमने पाया कि कतई इस बात पर ख्याल नहीं किया गया कि हम जो कुछ यहां पर कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, एंकर की जो मर्जी आयी कह दिया उस दिन का तो मैं भी देखने वाला था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुजफ्फरनगर में सरकार नहीं है। हमारी वो सरकार जिसने आम इंसान को मोहब्बत से जोड़ने का काम किया, हमारी सरकार जिसने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने करके दिखाया है इन चार सालों में दूसरी अब से पहले किसी सरकार ने उतना बेहतर काम नहीं किया है। हर क्षेत्र में विकास के लिए हमने काम किया और जब भी हमारी सरकार ने काम किया, जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर काम किया। कोई कभी इस तरीके की बंदिश नहीं लगी कि ये काम हमें इनके लिए करना है, ये काम इनके लिए नहीं करना है ऐसी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गयी। जब मुजफ्फरनगर में माननीय मंत्री जी आदरणीय आजम खां साहब का नाम आया, कहीं भी कोई जो नियम कायदे थे उस तरीके का, उन नियम कायदे का पालन नहीं किया गया। एन0बी0ए0 की गाइड लाइन्स का भी पालन नहीं किया गया। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस वक्त ये बात मीडिया के माध्यम से कही गयी, जिस दिन दंगा हो रहा था ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, मुजफ्फरनगर में कोई सरकार नहीं है। सरकार पर यह आरोप लगाये गये कि सरकार में बैठे मंत्री जी ने फोन करके अपराधियों को छुड़वा दिया। यह कहा गया कि मंत्री जी ने एफ0आई0आर0 बदला दी। यह बिल्कुल निराधार और गलत इसलिये थी कि एफ0आई0आर0 हमेशा लिखी जाती है और चूंकि हम एडवोकेट भी हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे बहुत से सदस्य वकील साथी भी होंगे और जो नहीं भी हैं तो भी जानते हैं कि एफ0आई0आर0 जब लिखी जाती है तो केवल जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी एप्लीकेशन पर लिखी जाती है। उसे कोई भी हिन्दुस्तान का कितना ही बड़ा राजनेता उसको बदल नहीं सकता है। साथ ही साथ यह भी बात उसमें कही गई कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। जिसका नाम ही एफ0आई0आर0 में नहीं है, जो वांछित ही नहीं है, उसको डिटेन करके भी नहीं रखा जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स हैं। उसको डिटेन करके आप थाने के अन्दर नहीं रख सकते। जो भी आरोप लगाये गये, जो कुछ भी कहा गया वह बिल्कुल झूठ और निराधार इसलिये था कि उसमें कहीं भी सत्यता नहीं थी। न कहीं कोई टेलीफोन, न किसी का बयान। हम लोगों ने सारे अधिकारियों के बयान सुने।

हमारी पूरी कमेटी ने सुने। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि कहीं किसी का फोन आया था। निश्चित रूप से मीडिया जो मर्जी आ रही थी बेपरवाह, बेबाक जो मर्जी आई जो कह दिया और जो भी बात निकली एंकर के माध्यम से बिल्कुल झूठी और मनगढ़न्त थी और इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते थे इस पर भी विचार नहीं किया गया। यह विचारने का सवाल था। मीडिया केवल टी0आर0पी0 बढ़ाने का साधन नहीं हो सकती। मीडिया खाली कारोबारी संस्था नहीं हो सकती। मीडिया की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जितनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। मीडिया ने उसमें पूरी तरीके से धोखा दिया है पूरे प्रदेश की जनता के साथ। न जाने कितने घर जले इससे। इन भ्रामक सूचनाओं की वजह से न जाने कितनों के घर जले, न जाने कितने मासूमों का नुकसान हुआ, उनके परिवार के लोगों के साथ ज्यादतियां हो गईं। मैं यह कहना चाहता हूं लोगों के दिल टूटे। यह दिल तोड़ने वाली जो घटनाएं हुईं, समाज को जलाने वाली जो घटनाएं हुईं और हमारे संविधान में जो अनेकता में एकता की बात कही गई उस मूल भावना का ह्रास हुआ। उस मूल भावना के खिलाफ जो आचरण हुआ मीडिया का, मीडिया उसके लिये दोषी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। अगर दंड नहीं मिलेगा तो यह तरीका कभी नहीं बदलेगा। हर आदमी को अपनी सीमा तय करनी होती है। हम लोग इन्सान हैं कोई सर्कस के जानवर नहीं हैं जिसे अपनी सीमाएं तय करने के लिये रिंग मास्टर की जरूरत है। इंसान होने के नाते यह हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी सीमा तय करें कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। हम तय करें कि हम जिस देश में पैदा हुए उस देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। जिस देश में हम पैदा हुए, जिस देश की मिट्टी से निकले अनाज को हमने खाया अपने शरीर को मजबूत बनाया, सीना फाड़ कर धरती से निकले पानी से हमने अपने आप में जीवन संचरित किया। जिन हवाओं से हमने अपने आपको जीवन दिया उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

अपनी संस्तुतियों के बारे में कहिये।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

यह देश के प्रति गुनाह है, मानवता के प्रति गुनाह है और साथ ही साथ यह इस देश की एकता और अखण्डता के लिये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिये हम आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमने जो संस्तुतियां अपने माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं उसमें हम यह कहना चाहते हैं कि इन गुनहगारों को कुछ न कुछ दंडित किया जाना चाहिए यह मेरी सदन से भी अपील है और आपसे अपील है कि जैसा संस्तुति में मैंने कहा मीडिया द्वारा तथ्यों को छिपाया गया। जब मांगा गया कि हमको रॉ फुटेज दे दीजिये जो मैटीरियल हमको रॉ फुटेज के नाम पर दिया गया वह रॉ फुटेज नहीं था। बाद में दोबारा हम लोगों ने मांग की। हम लोगों ने जांच कराई। कैमरा मांगा कि जिस कैमरे से शूट हुआ वह कैमरा दे दीजिये, वह कैमरा भी नहीं निकला जिससे

शूट किया गया था तो निश्चित रूप से यह सारी घटना इस बात का प्रतीक है कि मीडिया कहीं न कहीं इसके लिये गुनहगार थी और मीडिया को मालूम था कि हमारा गुनाह पकड़ा जायेगा मीडिया ने ईमानदारी से काम नहीं किया और जो तथ्य उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे वह तथ्य उपलब्ध नहीं कराये। लेकिन उसके बाद जांच से बहुत सी बातें सिद्ध हो गईं कि यह लोग गुनहगार हैं दोषी हैं और मैंने इसमें जिन लोगों को दोषी बनाया है उनके खिलाफ हमने यह भी कहा है कि टी0वी0टी0एन0 के ''आज तक'' एवं ''हेडलाइन्स टुडे'' चैनलों के मैनेजिंग एडिटर श्री सुप्रिय प्रसाद एवं श्री राहुल कंवल, स्टिंग ऑपरेशन टीम के सभी सदस्य श्री दीपक शर्मा, श्री अरुण सिंह एवं श्री हरीश शर्मा ''आज तक'' के आउटपुट हेड श्री मनीष कुमार एवं इन चैनलों के एंकर श्री राहुल कंवल, श्री पुण्य प्रसून बाजपेयी, श्री गौरव सावंत एवं सुश्री पद्मजा जोशी के विरुद्ध, क्योंकि यह मैंने देखा, जांच के दौरान मैंने और मेरे सारे मा0 सदस्यों ने देखा कि यह पूरी तरह से गुनहगार थे और इनकी वजह से ही हमारी सरकार के चेहरे पर कालिख मलने का प्रयास किया गया, इससे हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के ऊपर एक दंगे का कलंक मढ़ा गया और साथ ही साथ चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की बातें और फैलाईं। अपनी संस्तुति में मैंने आगे कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धर्म एवं विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द बनाए रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य जो किया गया है इसके लिए 153 ए और ऐसे विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म का अपमान करके भावनाओं को आहत करने हेतु धारा–295 ए, ऐसी घोषणा जो मिथ्या होते हुए भी सच्ची के रूप में जान बूझकर प्रस्तुत करने हेतु धारा–200, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना हेतु धारा–463, मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचने हेतु धारा–464, धारा–465, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना हेतु धारा–469 एवं कूटरचित इलेक्ट्रानिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाने हेतु धारा–471 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इन सभी पदाधिकारीगण द्वारा प्रथम दृष्टया इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन भी किया गया है। अतः हम लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता एवं इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी एक्ट के अन्तर्गत उक्त आपराधिक मामलों के विषय में शासन के गृह विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश प्रेषित किये जाने की संस्तुति की है और हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह इस तरह की भ्रामक सूचनायें इस तरह के भ्रामक वक्तव्य, हो सकता है कोई और बहुत बड़ी घटना श्री आजम साहब जो हमारे इस सदन के वरिष्ठ मंत्री भी हैं उनके साथ भी हो सकती थी, हो सकता है कि समाज उनको इसका गुनहगार मानता, अगर वह कहीं ऐसी जगह पर होते जहां उन पर हमला हो सकता था, यह संभव था कि उनके परिवार के लोगों पर हमला हो सकता था निश्चित रूप से जिस आदमी की साख एक ईमानदार आदमी के रूप में हो, जिस आदमी की साख एक अच्छे किरदार के रूप में हो, अभी मुझे एक घटना याद आती है उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कानपुर आए थे, गंगाजी पर कार्यक्रम था, उसके बाद जब गंगा दर्शन के लिए नीचे

गये, तो जो लोग ठेकेदार हैं गंगाजी के, वह लोग चप्पल पहनकर गंगाजी के जल का आचमन कर रहे थे लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने जूते उतारकर गंगाजल का आचमन किया।

(मेजें थपथपाई गईं)

इस किरदार के शख्स पर अगर आरोप लगाया जाए तो मेरा मानना है कि इनकी बहुत बड़ी अवमानना की गई है, इनके मान के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा बनता है मैं इसके लिए उन लोगों को दोषी मानता हूं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मीडिया को हिन्दुस्तान का अतीत भी याद रखना चाहिए चाहे 1971, चाहे 1965 का पाकिस्तान का युद्ध हो, 1962 का चीन का युद्ध हो, मीडिया का क्या रोल था, उसने हिन्दुस्तान के लोगों को जोड़ने का काम किया चाहे इमरजेन्सी लगी हो, इमरजेन्सी में बेनकाब कर दिया लोगों को, जो इमरजेन्सी के खतावार थे, इमरजेन्सी के गुनहगार थे, उसका परिणाम यह हुआ कि देश में सत्ता पलट गई। वह मीडिया का रोल था मीडिया ने देशहित में काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया, आज मीडिया से वही उम्मीद की जाती है लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं, लेकिन छतरी कहां है, आज तो छत की भी जरूरत है, स्तम्भ के ऊपर छत की जरूरत है। मीडिया को अपना रोल बड़ा करना चाहिए। मीडिया को तो इन चारों स्तम्भों पर छत का रोल करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र जीवित रह सके, समाज की समरसता कायम रह सके, और समाज और देश को भलाई की ओर कैसे ले जाए इसके लिए काम कर सके। मीडिया से उम्मीद बहुत हैं मैं यह महसूस करता हूं कि आज जब ऐसे दोषी लोगों को दंड मिलेगा तो संदेश जायेगा की कुछ भी हो पहले देश का ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से इसका सबक दूसरे लोग जरूर लेंगे कि आगे हमें देश की भलाई के लिए काम करना है, आम आदमी की भलाई के लिए अपने संविधान की रक्षा के लिए और आपको भी बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस गुरुतर जिम्मेदारी को आपने मेरे कंधों पर डाला था हम लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ इस काम को करने का काम किया है और अन्त में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिना किसी राग–द्वेष के निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत प्रतिवेदन सदन के समक्ष हमने प्रस्तुत किया है प्रतिवेदन में जो संस्तुतियां की गई हैं उनके विषय में समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श के उपरान्त साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात् मत स्थिर किया गया है समिति इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत एवं भिज्ञ है कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और इसमें मीडिया की भूमिका के विषय में प्रश्न उठाए गए हैं समिति इस बिन्दु के विषय में सर्वथा संवेदनशील थी कि मीडिया की भूमिका के विषय में अत्यंत विस्तृत एवं गहन परीक्षण किया जाना चाहिए साथ ही साथ समिति का सर्वसम्मति से यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में टी0वी0 टुडे नेटवर्क के सम्बंधित चैनलों द्वारा अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया गया है जिसके कारण राजनैतिक एवं सामाजिक हानि हुई है तथा इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं अतः समिति के सभापति के रूप में समिति की ओर से मेरा सदन से यह आग्रह है कि समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात् जो

संस्तुतियां की गई हैं उसके सम्बंध में माननीय सदन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए दोषी व्यक्तियों के सम्बंध में यथोचित दण्ड निर्धारित किया जाय। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

इस समिति के और कोई सदस्य अपनी बात रखेंगे।

श्री मो0 इरफान–

बहुत ही काबिले एहतराम। अध्यक्ष महोदय आज आपने मुझे इतने गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया जिस कमेटी को इस बहुत ही काबिले ताजीम सदन ने हमें जो यह जिम्मेदारी सौंपी थी उस जिम्मेदारी को यह जो मुजफ्फरनगर स्टिंग आपरेशन कमेटी जिसका मैं भी एक सदस्य था जिसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। 17–9–13 को मीडिया द्वारा जो दुनियां को दिखाया गया उसकी सत्यता की जांच के लिए जो काम सौंपा गया वह पूरी ईमानदारी के साथ पूरी दयानतदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने पूरा किया अपने कार्यकाल में हम जितने सदस्य थे उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी से इसे निभाने की कोशिश की हमारे वकील साथी कमेटी में थे मैं खुद 34 साल का अनुभवी वकील जिसने हर स्तर पर वकालत की उस पूरे अपने अनुभव में मैंने वहां जो महसूस किया, देखा मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं। ''बस इतनी बात कि सच कहते हैं सरे महफिल, इसी कुसूर पर वह आंख में खटकते हैं।'' हमारे माननीय मोहम्मद आजम खां साहब इनका और कोई कुसूर नहीं हो सकता है सिर्फ इसी बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि आपकी जात, आपकी शख्सियत, आपके किरदार आपके काम करने के तरीके से कौन वाकिफ नहीं है उस शख्सियत पर उंगली उठाई गई उसको उस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई उतना नुकसान उनको पहुंचाया गया एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष, एक व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की गई, उसको नंगा किया गया है उसको पूरी तौर पर उजागर किया गया है कि सच क्या था ''मेरा कुसूर क्या है पहले यह बता देना फिर उसके बाद मुझे चाहे जो सजा देना मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी लेशमात्र भी जो मीडिया ने दिखाया उसका कोई ताल्लुक, उसका कोई वास्ता सच्चाई से नहीं था मीडिया ने प्री प्लान तरीके से विशेष तौर पर आज तक ने और इंडिया टुडे ने जो कुछ परोसा जो दुनियां को एयर किया वह किसी कीमत पर एयर करने लायक नहीं था यह बात मैं नहीं कह रहा हूं कि उसी मीडिया के जो प्रभारी थे, उसी चैनल के जो प्रभारी थे, जो उसमें नौकरी करते थे, जो वहां सर्विस करते थे, उन्होंने आकर कमेटी के सामने यह बयान दिया और यह कहा कि अगर हमें यह दिखाया गया होता तो यह मैटर इस लायक ही नहीं था कि इसको परोसा जाता, इसको एयर किया जाता। उन्होंने यह कहा कि हमको खुद गुमराह किया गया। जो एंकर और उस समय के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने पूरी तौर पर मीडिया को, उसी महकमें को और जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। ''उन्होंने झूठ के परदे में जिस सच को छिपाया था, सदन की इस

कमेटी ने उन्हें शीशा दिखाया है।'' मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इस तरह की हरकत अगर किसी भी स्तर से की जायेगी तो समाज को एक ऐसा पैगाम चला जायेगा जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं है। जब दुनिया को यह दिखा दिया गया तो किस तरह के खराब कमेंट इज्जतमान आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब जो इतने बड़े–बड़े ओहदों पर रहे, इतने दिन से राजनीति में हैं, उनकी शख्सियत पर किस तरह से कीचड़ उछाला गया, इसकी कल्पना करना भी आज सोच से परे है। कमेंट्स में कितनी गंदी–गंदी गालियों से नवाजा गया, कितनी बुरी तरह से सोचा गया, कितनी बुरी तरह से कहा गया, वह सोचकर भी कलेजा कांप उठता है। मा0 अध्यक्ष जी, किस तरह से मीडिया का रोल रहा है, क्या उन पर कोई लगाम नहीं कसी जा सकती थी ? क्या उन्होंने यह दिखाने से पहले अपने बारे में नहीं सोचा था कि हम क्या करने जा रहे हैं ? वही जवाब देने वाले, वही सवाल पूछने वाले, वही जो चाहे कहने वाले, उनको लीडिंग क्वेश्चन पूछने की हरगिज इजाजत नहीं है। सवाल भी वही कर रहे हैं और जवाब भी वही दे रहे हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कह रहा है और उसको यह कहा जा रहा है कि सनसनी, आज ऐसा दिखाया जायेगा, आज आपको ऐसा बताया जायेगा, आज आपके सामने यह किया जायेगा। झूठ के पुलिन्दे के साथ ऐसा काम किया है, इतना घिनौना काम किया है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाये कम है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। जब कमेटी ने हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी तो एक बार तो उन्होंने इस सदन के अधिकारों को ही ऐसा हवा में उड़ा दिया, ऐसी चिट्ठी भेज दी कि सदन हमसे पूछ ही नहीं सकता, सदन हमारे बारे में कोई जानकारी कर ही नहीं सकता, सदन हमको बुला ही नहीं सकता। ताज्जुब है कि वह अपने आपको क्या समझते हैं, मीडिया वालों ने अपने आपको क्या समझा, हमारे अधिकारों को चैलेन्ज किया, सदन के अधिकारों को चैलेन्ज किया, इस कमेटी के अधिकारों को चैलेन्ज किया। खैर, जब बीच में उन्हें यहां बुलाया गया और जो हालात पैदा हुये तो जो उनसे मांगा गया था वह उन्होंने नहीं दिया। जैसाकि कमेटी के अध्यक्ष जी ने बताया मैं उससे अपने आपको पूरी तौर से सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ हमको दिखाया और जो कुछ हमको दिया, वह सत्यता से बिल्कुल परे था, उसको कट–पेस्ट किया गया था, उसको हटाया गया था, उसको जिस कैमरे से शूट किया गया था, वह हमको नहीं दिया गया। हमने जब भी उनसे यह मांगा तो वह बहाना बनाकर हमेशा समिति को गुमराह करते रहे, इस पूरे सदन को गुमराह करते रहे। उन्होंने अपने कार्य–कलापों से सदन की अवमानना की है और मा0 मोहम्मद आजम खां साहब पर ऐसा घिनौना आरोप लगा दिया, उनकी जात के बारे में ऐसा घिनौना आरोप लगा दिया। उनके सामने कम से कम अगर एक बार कहीं से कोई बात आई थी तो एक बार तो कोशिश की गई होती, दो बार कोशिश की गई होती, आपका पक्ष जाना गया होता। क्या मीडिया सबसे ऊपर हो गया कि वह कानून का अनुपालन नहीं करेगी ? किसी पर आरोप लगाने से पहले

क्या उसका पक्ष नहीं जाना जायेगा ? इस पूरे मामले में कहीं भी किसी भी तरह से मा0 मंत्री जी का पक्ष नहीं जाना गया। मा0 मंत्री जी को जब कमेटी के सामने बुलाया गया तो मा0 मंत्री जी ने पूरी बेबाकी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन लम्हात को हमारे साथ शेयर किया जो उन पर गुजरे थे। उस वक्त हमारी आंखों में आंसू आ गये थे कि हमने फेसबुक पर, मोबाइल पर जो देखा था, किस तरह से कमेंट किये गये थे जो कभी जिन्दगी में सुनने को नहीं मिले थे। यह किस हरकत की वजह से हुआ था, यह सीधे–सीधे मीडिया की हरकत थी। मीडिया ने वह काम किया जिसकी कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ऐसा काम जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, ऐसा कृत्य, ऐसा कुकृत्य जो मीडिया ने करके दिखाया है, वह शायद सारे सदन के लिए और सारी दुनिया के लिए, यह विधान सभा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा नमूना बना दे, एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि कानून से कोई ऊपर न हो और हर एक को लगाम कसी जानी चाहिए।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह मुल्क, यह देश, यह हमारा प्रदेश, यह सारी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, 125 करोड़ का यह देश, यह दिल है हिन्दुस्तान का उत्तर प्रदेश, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई यहां यह कह दे कि किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी वर्ग के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर किसी के साथ बेइन्साफी हो, यह हमारा संविधान कहीं इजाजत नहीं देता। 'दिल्ली, कोई प्रदेश, कोई गांव, कोई शहर, यह मुल्क है, साझे का जागीर नहीं है, यह सबका वतन, सबकी जमीं, सबका आसमां, यह मुल्क किसी एक से आबाद नहीं है।' अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस–जिस ने भी इसमें, जिस–जिस तरह का रोल किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट सदन के सामने पेश कर दी गयी है। पूरी तौर पर ईमानदारी से जांच कर, ईमानदारी की परख करने के बाद आपको पेश कर दी गयी है। इस सदन की गरिमा का सवाल है, यह हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है, यह हर व्यक्ति की इज्जत का सवाल, यह पूरे सदन की उस इज्जत का सवाल है, यह मा0 मंत्री जी की इज्जत का सवाल है, जिसको उन्होंने तार–तार करने की कोशिश की है। अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया, उनके ग्रुप जो इसमें दोषी हैं, उन पर कार्यवाई नहीं की गयी तो दुनिया में इसका सन्देशा खराब चला जायेगा। मैं चाहता हूं, हमारी कमेटी चाहती है, यह सदन चाहता है कि हमने जो संस्तुतियां आपको पेश की हैं, उन पर पूरी तौर पर अमल किया जाना चाहिए और उस सब कुछ को लेकर जो कुछ हमारी तरफ से सदन में आया है, उस बेइज्जती का तो अब कोई बदला नहीं हो सकता है, लेकिन हां, इतना जरूर हो सकता है कि 'जिन्होंने झूठ के पर्दे में सच्चाई छिपाई है, कमेटी ने यही सब बात दुनिया को बताई है', धन्यवाद।

श्री सुदेश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर दंगे के सम्बन्ध में जो आज जो कमेटी द्वारा रिपोर्ट रखी गयी है, उसमें मुझे भी आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं सदन के सामने कहना चाहूंगा कि मीडिया को

अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और होनी भी चाहिए। यदि मीडिया को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो इतने बड़े भारत वर्ष में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अन्दर जनहित के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती और मीडिया को इसीलिए स्वतंत्रता है भी कि वह सच्चाई को उजागर करे, समाज के सामने रखे, जिस पर निर्णय लिए जा सकें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस कमेटी का सदस्य रहा हूं, मैंने भी जो कुछ वहां पर साक्ष्यों सहित देखा है। मैं जरूर सदन के सामने उसमें से कुछ कहना चाहूंगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो आज का मामला है, यह जो मामला रखा जा रहा है, यह सम्पूर्ण मीडिया का मामला नहीं है। इसमें जो मीडिया का कुछ अंश जो अपभ्रंश तरीके से, जो समाज के सामने कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहा है, यह मात्र उनके विषय में चर्चा है, यह पूरे मीडिया के बारे में चर्चा नहीं है। इसलिए हमें शायद पूरी मीडिया के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस सच्चाई को दिखलाने वाला, उसकी शुरुआत करने वाला मीडिया ही था, जो सच्चाई को दूसरे चैनल पर दिखलाया गया समाज के सामने और वहां से भी काफी कुछ अंश इस कमेटी ने लिये। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात नहीं है कि माननीय आजम खां, समाजवादी पार्टी के दमदार मंत्री हैं या एक ऐसी शख्सियत हैं, बात यह नहीं है कि उनके विरोध या उनके खिलाफ इस तरीके का मामला किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें न समाजवादी पार्टी की बात है, न भारतीय जनता पार्टी की, न बहुजन समाज पार्टी की बात है, न राष्ट्रीय लोकदल की बात है, यह इस सम्मानित सदन के एक सदस्य का अपमान करने का प्रयास किया गया है, यह सदन को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। जोकि बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं भी मोहम्मद आजम खां साहब को जो संसदीय कार्य मंत्री है मैं उनको बहुत समय से जानता हूं और उनके विषय में मेरी एक धारणा थी कि एक काम करने वाले इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, बोलने वाले अच्छे वक्ता हैं। लेकिन जब मैंने उस चैनल पर उनके बारे में सुना, देखा, मैसेजेस पढ़े, एस0एम0एस0 आये तो मैं आपको और पूरे सदन को कहना चाहता हूं पूरे यकीन के साथ कि मेरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बारे में एक मंत्री के बारे में ही नहीं एक अच्छा इंसान होने के बारे में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से शक होने लगा और मेरी भी उनके प्रति धारणा बदल गयी। फिर सौभाग्य से मुझे इस समिति का सदस्य होने का मौका मिल गया। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, जो कुछ हमने वहां पर साक्ष्य देखे। चाहे वह मौखिक रूप से हों चाहे वह साक्ष्यों सहित हो वह निश्चित रूप से अचम्भित करने वाले थे। मा0 अध्यक्ष जी, यह बात ठीक है कि मीडिया को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन यह भी अधिकार नहीं हो जाता है कि न्यूज भी हमारा व्यूज भी हमारा और फैसला भी हमारा। मैं समझता हूं कि किसी भी चैनल पर आज दो मिनट के अंदर न्यूज दी जाती है फिर एंकर उसमें अपना व्यूज देता है और वहीं हाथ के हाथ फैसला भी सुना देता है। यानी कि तीनों का काम वहीं का वहीं काम तमाम और समाज और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं वह भी अपनी एक धारणा बना लेते हैं और जब बाद में उसकी सच्चाई उजागर होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और न जाने समाज के अंदर उस समय तक कितनी

बुराइयां पैदा हो गयी होती हैं और समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। मा0 अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति को राजनीति में किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए उसके अंदर बहुत त्याग, तपस्या और उसको बहुत कुछ बलिदान देना होता है। कोई भी व्यक्ति इस शख्सियत का मालिक ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो जाता। कोई भी व्यक्ति चाहे वह मोहम्मद आजम खां हो, चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों। बहुत से हमारे अनेकों विद्वान सदस्य ऐसे विपक्ष में भी बैठे हुए हैं जो कई–कई बार के विधायक हैं और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम सदन में चुपचाप बैठकर उनको सुनने का प्रयास करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, लेकिन जिस तरीके से दिनांक–27–09–2013 को जो कुछ दिखाया गया और जब मीडिया से जो भी हमने जांच करने के लिए साक्ष्य मांगे तो उनको तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया। जब हमने अपनी आंखों के सामने उसकी फुटेज चलवायी और देखा और उन सरकारी अधिकारियों के बारे में भी जो सुना तो मैं समझता हूं कि उनके मुंह में अपने शब्दों को डालकर जबरन उनसे कहलवाने का प्रयास करना किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत समाज के अंदर जो यह विषमता फैलाने का प्रयास किया गया है, मा0 अध्यक्ष जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो समिति की रिपोर्ट है वह हमारे अध्यक्ष जी निगम साहब जी ने आपके सामने प्रस्तुत की है और उस पर जो संस्तुति की है मैं भी उस पर ही बल देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो मीडिया की जिम्मेदारी थी जो उस चैनल की जिम्मेदारी थी वह उसको ठीक प्रकार से नहीं निभा पाये और उन्होंने वास्तव में एक सदन के सम्मानित सदस्य को जहां अपमानित करने का काम किया है वहीं इस पूरे सदन को भी नीचा दिखाने का काम किया है। धता बताने का काम किया है। तो ऐसे चैनल के विरुद्ध निश्चित से जो समिति की रिपोर्ट है उसमें कार्रवाई की मैं भी मांग करता हूं और बल देता हूं। यह कोई मीडिया के खिलाफ नहीं है। मैं समझता हूं कि यह मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा उनके उस बदलाव के लिए यदि उनको यह सदन नहीं बतलायेगा तो इसी तरीके से और भी लोग इस रास्ते पर यदि चलते जायेंगे तो अंकुश नहीं लगेगा और वह समाज के लिए घातक होगा और आज मीडिया को जिंदा रखना, मीडिया को स्वतंत्र रखना वह बहुत आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ यह भी सबक मिलना चाहिए कि अंकुश आप पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल निरंकुश हैं। विधायिका भी अपने अंकुश में काम करती है, अपने दायरे में काम करती है। न्यायपालिका भी अपने दायरे में काम करती है। यह सभी लोकतंत्र के मजबूत स्तम्भ हैं। यदि इनमें से कोई भी एक स्तम्भ कमजोर होगा। तो निश्चित रूप से यह समाज का जो ढांचा है वह चरमरा जायेगा, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं भी उसी पर बल देते हुए यही कहना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के मुताबिक उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो, उसमें से कुछ अधिकारी भी दोषी हैं, जिन्होंने इस तरीके की, हालांकि उनकी बातों को तोड़–मरोड़ कर के पेश किया गया, लेकिन इस तरीके के कुछ लचर अधिकारी भी उसमें सामने आये हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस चैनल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, आप बालेंगे ?

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, इस पर बोलने के लिए एक मेम्बर और हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह बाद में बोल लेंगे, पहले नेता विरोधी दल बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में गठित स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो चुका है और स्वाभाविक रूप से बहुत ही गम्भीर विषय है। जिसमें आपकी अनुमति से चर्चा चल रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि अभी समिति के मा0 सभापति जी और उसके मा0 सदस्यगणों में से मौहम्मद इरफान जी तथा सुदेश शर्मा जी ने अपनी बातें, इस प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों के सम्बन्ध में रखते हुए रखी है, वह और भी चिन्तनीय है। मान्यवर, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है और विशेष रूप से समय–समय पर मीडिया की भूमिका भी राष्ट्र, समाज, धर्म, अर्थ सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है और सामान्य जन–मानस को इस पर बहुत बड़ा भरोसा भी होता है, लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही चाय की चुस्कियों के साथ लोग या तो अखबार पढ़ते हैं या टी0वी0 खोल करके देश–विदेश की तमाम सूचनाओं को, समाचारों को देखने का काम करते हैं। मान्यवर, ऐसे समय पर जिस समय मुजफ्फरनगर और शामली दंगे की आग में जल रहा था, जिस समय मीडिया की और भी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी, ऐसे समय में कुछ मीडिया वह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेष रूप से जैसा कि समिति की संस्तुति की रिपोर्ट के मुताबिक टी0वी0 टुडे नेटवर्क, आज तक और हेड लाइन्स टुडे जिसका नाम बाद में इण्डिया टुडे कर दिया गया, इसके दर्जनों सम्पादक, पदाधिकारी, रिपोर्टर जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की घटना पर स्टिंग आपरेशन के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी को देश की जनता के सामने कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था, स्वाभाविक रूप से वह एक ऐसा अवसर था जिस पर इस समाचार से पूरे देश में आग लग सकती थी। शामली और मुजफ्फरनगर का इतिहास पूरे देश में दोहराया जा सकता था, आपसी सौहार्द तार–तार हो सकता था। देश का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता था। ऐसे हालात में मीडिया ने अपनी जवाबदेही ईमानदारी से न करके तोड़–मरोड़ करके समाचार प्रस्तुत कर, पूरे देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि इस रिपोर्ट की प्रति को देखने से अवगत हुआ है कि इस तोड़–मरोड़ करके समाचार परोसने वालों में टी0वी0 इण्डिया टुडे नेटवर्क के आज तक और एस0आई0टी0 तथा हेड लाइन्स टुडे जिसको आज इण्डिया टुडे बोलते हैं इनके तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पत्रकार जिसमें सुप्रिय प्रसाद जी, मनीष कुमार जी, दीपक शर्मा जी, अरूण सिंह जी, हरीश शर्मा जी, राहुल कॅवल जी, पुण्य प्रसून बाजपेयी जी,

गौरव सावंत और पद्मा जोशी, इन सारे लोगों ने मिल करके एक साजिश के तहत न केवल संसदीय कार्य मंत्री श्री आजम खां जी का व्यक्तित्व हनन करने का प्रयास किया बल्कि देश की अस्मिता के साथ भी एक घिनौना मजाक किया। हम समझते हैं, यह तो जांच समिति ने जो रिपोर्ट नहीं दी उससे भी बड़े यह दोष के पापी हैं, आरोप के पापी हैं। ऐसे लोग जो अपने समाचार के माध्यम से पूरे राष्ट्र को खतरे में खड़ा करना चाहते हों, राष्ट्र के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हों, राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ करके भारतीय संविधान की मंशा पर कुठाराघात करना चाहते हों, ऐसे लोग तो राष्ट्रद्रोह की परिधि में आते हैं। ऐसे लोग न केवल संसदीय कार्य मंत्री जी के व्यक्तित्व पर हनन करने के आरोपी हैं बल्कि वह तो राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में आते हैं। यह तो बहुत गंभीर मामला है। यद्यपि कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का मीडिया से बहुत अंतरंग लगाव भी है। लेकिन शायद सार्वजनिक जीवन का दर्द, पीड़ा, त्याग, घर में बैठने वाले लोग, होटल में दावत खाने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कोई भी कार्यकर्ता किसी भी राजनैतिक मंच से जब अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करता है तो उसे एक लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे भी बहुत दौर आते हैं जब उसे भूखे–प्यासे सोना पड़ता है और तमाम जलालत भी झेलनी पड़ती है। यहां तक कि उसे लोगों के द्वारा तमाम ताने भी सुनने पड़ते हैं और राजनीति से निकले हुए किसी भी व्यक्ति ने खुद भी इस बात का अनुभव किया होगा कि जब वह सार्वजनिक जीवन जीने की पहल करता है तो सबसे पहले उसके परिवार के लोग उससे नाता तोड़ते हैं। उसकी पूरी जिन्दगी संघर्ष करते हुए व्यतीत हो जाती है और कभी–कभी तो लोग पूरी जिन्दगी संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसने संघर्ष करते हुए जिन्दगी शुरू की और वे संघर्ष करते–करते अन्तिम सांस भी लेते हैं लेकिन कुछ लोग ब्लैक मेल करने की नीयत से, किसी की छवि को बिगाड़ने की नीयत से, आपने मजाक–मजाक में उसकी पूरी जिन्दगी चौपट करने के लिए अगर वे इस प्रकार की गन्दी हरकत करते हैं तो मान्यवर, यह निन्दनीय ही नहीं बल्कि सभी दृष्टिकोण से दण्डनीय भी है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अगर यह जांच समिति कहीं आज संसदीय कार्य मंत्री जी के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध कर दी होती तो शायद संसदीय कार्य मंत्री जी को अपने राजनैतिक जीवन से हमेशा–हमेशा के लिए सन्यास लेने की घोषणा आज यहीं पर करनी पड़ती। इसकी कीमत क्या होती है, शायद ये लोग नहीं समझते हैं। किसी के पूरे जीवन के संघर्ष और तपस्या को एक क्षण में एक घटिया स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से चौपट कर सकते हैं। जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ पारदर्शी तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ जो अतीत की इसकी भूमिकाएं रही हैं, हम सभी उसको नमन करते हैं, गुणगान करते हैं। जिस समय देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था, जब अंग्रेजी हुकूमत लोगों को उनके घरों में नजरबन्द करके रखती थी और लोगों की बाहर निकलने में रूह कांपा करती थी, उस समय भी आन्दोलन की कड़ी को अगर किसी ने बढ़ाया तो मीडिया के लोगों ने बढ़ाया। यही समाचार–पत्र यद्यपि कि

उसका व्यापक रूप आज जैसा नहीं था लेकिन जो भी था उसमें उनकी बहुत भूमिका रही है। जहां तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका इस देश की आजादी में रही है वहीं पर मीडिया के लोगों का भी इस आजादी की लड़ाई को लड़ने में एक महान योगदान रहा है। हम उसको झुठला नहीं सकते लेकिन वह मीडिया जो लोगों के द्वारा सम्मान की नजर से देखा जाता है। हम मीडिया में रहने वाले लोगों को चौथा स्तम्भ कह करके सम्मान देते हैं और कभी उन पर किसी प्रकार के खतरे की बात आती है तो इसी सदन में हम उस चौथे स्तम्भ की रक्षा के लिए पुरजोर वकालत भी करते हैं। ऐसे हालात में अगर वह किसी का व्यक्तित्व हनन, चरित्र हनन करता है तो न केवल यह विश्वासघात है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने देखा कि कभी–कभी एक साजिश के तहत कुछ प्रीतिकारिता करने वाले लोग, चाटुकारिता करने वाले लोग, कुछ पैसों पर बिकने वाले लोग इस प्रकार का घटिया मजाक करने के लिए मीडिया का दुरुपयोग करते रहते हैं। अगर सही मायने में वह आदर्श मीडिया कर्मी है, आदर्श पत्रकार है तो इस प्रकार का घटिया और घिनौना खेल कभी नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बात दीगर है कि हम विभिन्न पार्टियों में बंटे हैं, लेकिन सार्वजनिक जिन्दगी जीने वाले किसी भी नेता की जो आमचर्या रही है, कहीं न कहीं संघर्ष की रही है। तमाम आंदोलन, संघर्ष, जलालत, भूख, प्यास के बाद कहीं अगर वह अपने को स्थापित कर पाता है, तो एक सेकेण्ड के अंदर ऐसे ही प्रीतिकारिता में विश्वास करने वाले पत्रकार उसकी पूरे के पूरे किये कराये पर पानी फेरने का काम करते हैं और मान्यवर, यद्यपि मीडिया से सम्बन्धित जिन लोगों का इसमें उद्धरण किया गया और इसमें बहुत सी सिफारिशें भी आईं। मैं उन सिफारिशों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आज भी हमारे देश की 75 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। आज हलवाहा, चरवाहा, काम करने वाला मजदूर और किसान जब भी घर जाता है, अगर घर में टी0वी0 है तो टी0वी0 खोलता है। टी0वी0 नहीं है तो अखबार पढ़ता है, इसी भरोसे के साथ कि हम अपने घर और आंगन में बैठकर पूरे देश और प्रदेश के हालात को जानेंगे। अगर कोई भी लोकतंत्र के यह पहरुवे, चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी संभालने वाले, लोकतंत्र के मजबूत पायदान अगर कहीं इस तरीके से लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो जो एक विश्वास बना है मीडिया पर, वह हमेशा–हमेशा के लिए उठ जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि आज भी तमाम ऐसे मीडिया कर्मी हैं पत्रकार हैं, जो भूखे प्यासे रह करके, अभाव की जिन्दगी जीकर भी ईमानदारी से अपनी कलम चलाते हैं और ऐसे ईमानदारी से कलम चलाने वाले पत्रकार आज भी भले ही कितनी दयनीय हालत में क्यों न हों, सम्मान एवं आदर के भाव से देखे जाते हैं। आज भी उनका सम्मान है, प्रतिष्ठा है। जब कभी कुछ लेखनी के धनी विद्वानों का नाम लिया जाता है तब उसमें भी वह शुमार होते हैं, लेकिन जल्दी ऊंचाइयों को छूने वाले चटपटी खबरों से अपना धन्धा बढ़ाने वाले, हम समझते हैं मीडिया पर कलंक है, अभिशाप हैं और ऐसे दागदार चेहरों को मीडिया से जुडे लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और जब कभी उनकी जमात बैठे तो

उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। चाहे हमारे राजनीति करने वाले नेता हों या अधिकारी, अगर कहीं किसी अधिकारी की गल्तियां आती हैं तो पूरे अधिकारियों पर उंगली उठती है। किसी एक नेता की गड़बड़ी से सारे नेताओं पर उंगली उठती है। उसी प्रकार से अगर किसी मीडिया कर्मी ने गोरखधन्धे के माध्यम से कोई गलत खेल खेला है तो इससे ईमानदार मीडिया कर्मियों पर भी कहीं न कहीं शक की सुई घूमेगी, उंगली उठेगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वह दौर ऐसा था जिस समय का वह स्टिंग आपरेशन कुछ भी कर सकता था। जहां पूरी की पूरी मुजफ्फरनगर और शामली अराजकता की भेंट चढ़ चुका हो, बड़े पैमाने पर अफरा–तफरी रही हो, शामली मुजफ्फरनगर मे जहां हम सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि वहां शान्ति स्थापित हो, हिन्दू–मुस्लिम भाईचारा फिर से स्थापित हो, अमन चैन बहाल हो, कानून का राज्य बहाल हो, वहां पर इस घटिया स्टिंग आपरेशन के माध्यम से ऐसी गन्दी मानसिकता के लोग न केवल आग मे घी डालने का काम कर रहे थे, बल्कि मान्यवर लोक सभा चुनाव में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को पर्दे के पीछे से फायदा भी पहुंचाने की उनकी घटिया सोच थी। ऐसे लोग आखिर देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम सभी अपेक्षा करते हैं कि मीडिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और कभी–कभी यदि किसी ऐसी खबर से यहां बात बिगड़ती नजर आ रही हो, समाज को चोट पहुंच रही हो, राष्ट्र को चोट पहुंच रही हो तो ऐसी खबर को खबर बनते भी हम दिखाने से बाज आते हैं, मात्र समाज हित मे, राष्ट्र हित में। यहां तक की यह हमारी संस्कृति रही है हमें पढ़ाया गया था कि 'सत्यम ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियं' लेकिन यह तो न सत्य था न प्रिय था कुछ भी नहीं था पूरी–पूरी झूठी खबर बनाकर तथ्यहीन बे सिर पैर की बात को मोड़ कर कट एण्ड पेस्ट के माध्यम से जिस तरीके से भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की गयी वह न केवल पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा करती है बल्कि लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ भी शर्मशार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग यानि सार्वजनिक जीवन में जीने वाले कोई भी हों, हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे किसी कार्य से समाज में कोई गलत दिशा नहीं जानी चाहिए तो सकारात्मक खबर देने में ऐसे हमारे पत्रकार दायें–बायें झांकते हैं लेकिन नकारात्मक कोई समाचार हो और न भी हो तो बनाने में उनको देर नहीं लगती है और यह उसी नकारात्मक पत्रकारिता का दिन था कि कुछ मीडिया कर्मियों ने स्टिंग आपरेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश ओर देश में एक गलत संदेश देने का प्रयास किया था। यह तो गनीमत है कि मान्यवर, उसी दौर में जिस समय स्टिंग आपरेशन हुआ था विधान सभा चल रही थी यहां पर बात आई यह बात प्रस्तुत हुई और आपने तत्काल लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और स्टिंग आपरेशन की सत्यता भी जनता के बीच में आये इस बात का संज्ञान लेते हुए आपने समिति का गठन कर दिया। समिति का गठन नहीं होता तो आज संसदीय कार्य मंत्री कटघरे में खड़े दिखाई पड़ते। यह तो मान्यवर, आपने उस मुजफ्फरनगर पर आये स्टिंग आपरेशन पर जो समिति का गठन करके पर्दाफास कर

दिया उससे इनकी कलई खुली अन्यथा यह तो आज भी अपनी गाल बजाते फिरते। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और हम अपेक्षा करते हैं हम तो वैसे भी लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के पक्षकार है। जब भी उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम तो सदन मे भी उसकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं और मान्यवर, हम उम्मीद करते हैं कि सामान्य तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ शब्द ऐसे ही नहीं कह दिया गया उसकी भूमिकाओं को देख करके इस प्रतिष्ठित शब्द से उसको नवाजा गया है और बड़े फख्र और गर्व के साथ हम उसको लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में सबसे बड़ा पहरुआ देश का मानते हैं तो इसी हालात में यदि पहरुआ ही धोखा देगा तो देश को लुटने से कोई बचा नहीं सकता, देश को लुटने से कोई बचा नहीं सकेगा, देश को जलने से कोई बचा नहीं सकेगा, देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि कहीं न कहीं इनको इस बात का आत्मबोध होना चाहिए कि हमारी गल्तियों को भी कोई इंगित कर सकता है, हमारी गल्तियों पर भी चर्चा हो सकती है हम अपनी गल्तियों के नाते कटघरे में खड़े हो सकते हैं और इस प्रकार के गलत समाचार देने पर हमें भी सजा मिल सकती है। ''बिन भय होय न प्रीति'' जब तक कानून संविधान और इस सदन की गरिमा का ख्याल लोगों को नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यह लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे मीडिया बंधु समाचार को बड़ी इमानदारी से छापेंगे, बड़े विश्वास, भरोसे के साथ उसको परोसेंगे क्योंकि यह समाचार जनता में एक विश्वास ले करके जाता है। अगर कहीं भी तथ्यहीन, झूठे, गलत समाचार परोसे जायेंगे तो मीडिया पर जो एक अतिविश्वास सामान्य जनता का है, वह कहीं न कहीं हटेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह वही सदन है, पूर्व में यहां जब श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री के रूप में वहां पर बैठा करते थे, ऐसे ही कुछ एक–आध मीडिया के लोगों ने 11 विधायकों पर तथ्यहीन झूठे आरोप लगा करके, उनके जिले में उनकी जनता के सामने उनको नंगा कर दिया था, वह विधायक मुंह दिखाने लायक नहीं थे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सभी के विधायकों को, किसी को छोड़ा नहीं था और जब उसकी जांच पड़ताल हुयी तो पता लगा कि वह भी स्टिंग आपरेशन झूठा था, बनावटी था। उस समय भी इस मामले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया गया था उसके भी प्रधान सम्पादक को कठघरे में खड़ा किया गया था। 9–9 महीना, 10–10 महीना उनको मैंने यहां गिड़गिड़ाते देखा, शायद उनको उस समय जेल हो गयी होती, सजा हो गयी होती तो आज इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। हमारे ही राजनीति में रहने वाले, जैसा कि मैंने कहा मीडिया का राजनीति करने वालों का बहुत गहरा संबंध है, यूं कह लिया जाय कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सप्लीमेंटरी हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी और इसी में जब प्रधान सम्पादक को भागे–भागे कहीं पानी नहीं मिल रहा था तो हमारे ही इसी सदन के कुछ नेताओं ने अनुरोध करके मान्यवर उनको जीवनदान दिलाया था, आप भी उसके गवाह हैं और उस समय आप ही अध्यक्ष भी थे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी,

इस प्रकार की खबरों से आप अपनी टी0आर0पी0 तो बढ़ा सकते हो लेकिन अगर आपकी कलई खुल गयी, जनता के बीच में बेनकाब हो गये तो आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। आपकी दुकान बंद हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है जब हम कभी लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर बहस करते हैं तो मन में पीड़ा भी होती है कि जिसका हम सार्वजनिक रूप से सम्मान करते हैं आज उस पर हमको बहस करनी पड़ रही है। ऐसी घटिया मानसिकता के चलते, 24 घन्टे पत्रकार यहां बैठकर के सदन की एक–एक कार्यवाही को अपनी लेखनी और बांतों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता के बीच में ले जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा उनका संबंध गहरा और अटूट बना रहे लेकिन ऐसे ही कुछ चंद मीडियाकर्मी न केवल इस संबंध को तार–तार करते है बल्कि मीडिया में ईमानदारी से अपने जीवन को खपा कर देने वाले लोगों को भी कठघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसीलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी खबर को तो पूरे प्रदेश और देश ने देखा था लेकिन जब आज इनकी कलई खुली है तो इनका चेहरा भी प्रदेश और देश के सामने जाना चाहिये क्योंकि सही बात है कि अगर मीडिया की वो बात सही होती, तथ्यपरक होती, तो न केवल श्री आजम खां जी को यहां इस्तीफा देना पड़ता, बल्कि यह किसी और भी सदस्य, मंत्री, विधायक या नेता पर लगा होता, तो उनको भी अपने सार्वजनिक जीवन से बाहर का रास्ता देखना पड़ता और अपने सार्वजनिक जीवन से सन्यास लेना पड़ता। इसलिये इस प्रकार का घटिया मजाक हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है। हत्या में तो आदमी एक बार मरता है, लेकिन मीडिया कर्मियों की किसी गलत सूचना से वह आदमी रोज–रोज मरता है, हर क्षण मरता है, हर व्यक्ति के सामने मरता है, उसका व्यक्तित्व गिरता है, इसलिये यह तो हत्या से भी बड़ा अपराध है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रकार का द्वेषपूर्ण प्रसारण बंद होना चाहिये। आगे कभी इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, किसी और पर इस प्रकार के इल्जाम न लगे, इस प्रकार के मनबढ़े पत्रकार जो अपने आपको खुदा मान लेते हैं, जो अपने को सबसे ऊपर मानकर के हमारे नियन्ता बन जाते हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिये कि हम पर भी कहीं अंकुश लग सकता है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जब अति संवेदनशील और अति गंभीर मीडिया कर्मियों का व्यक्तित्व होता है तो उनकी संवेदनशीलता पूरे देश और समाज को कहीं न कहीं एकता के सूत्र में बांधने में सहयोग करती है, लेकिन उनकी संवेदनहीनता भी देश को खतरे में खड़ा करने का काम करती है। इसलिये हम अपेक्षा करते हैं कि अपनी संवेदनशीलता से, सहनशीलता से, सहिष्णुता से जो लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में आपका सम्मान है, वो जीवन्त रहे, जीवित रहे, सदैव उसी सम्मान से लोगों को देखा जाये, मीडिया का सम्मान वही रहे, तो स्वाभाविक रूप से मीडिया को भी उस सम्मान को अपने पक्ष में सदैव बनाये रखने के लिये भी सजग रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा, संवेदनशील भी रहना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मीडिया का यह धर्म नहीं है

कि किसी व्यक्ति विशेष के महिमामण्डन के लिए कार्य किया जाये। मीडिया का यह धर्म नहीं है कि किसी राजनीतिक विशेष को महिमामण्डित किया जाये, बल्कि उसका धर्म है कि पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष समाचार जो आप खोज सकते हैं, उसको अपने माध्यम से जनता के बीच में ले जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से मीडिया किसी व्यक्ति विशेष की गुलाम बनती जा रही है, किसी राजनीतिक विशेष की धरोहर बनती जा रही है, उसकी कलई कल एक हमारे जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार श्री विश्व दीपक जी ने खोली है, सीनियर रिपोर्टर हैं, जी न्यूज से उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने अपना दर्द अपने उस इस्तीफे के पत्र में लिखा है कि किस तरीके से मीडिया के लोग हमसे गलत लिखने के लिए बाध्य करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इस्तीफा किस प्रकरण पर था जे0एन0यू0 के छात्रनेता कन्हैया के प्रकरण पर, जी न्यूज के वरिष्ठ रिपोर्टर विश्वदीपक जो दर्जनों चैनलों में काम किये है, समाचार–पत्र में भी काम किये हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया दोनों में रहे हैं उन्होंने इस्तीफा देते समय इतना बड़ा खुलासा किया इससे तो मीडिया को अपने दामन में झांक करके देखना चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से खबर बनवाई जाती है, किस तरह से खबर को कट और पेस्ट करके तोड़ा–मरोड़ा जाता है, किस तरीके से आरोप–प्रत्यारोप गढ़े जाते हैं। मान्यवर, अगर मीडिया यही करेगा तो विश्वास का क्या होगा, जो इतना बड़ा विश्वास है। विश्वदीपक कोई विधायक नहीं हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और मान्यवर, यही नहीं मीडिया का कम रोल रोहित वेमुला पर भी नहीं रहा। रोहित वेमुला जो छात्र नेता था उस पर भी इस तरह के आरोप लगे, मीडिया की मनगढ़न्त बातों से बड़े पैमाने पर घमासान बढ़ा। आज वहां इमानदारी से पारदर्शिता के साथ अपने तथ्य रखने की जितनी जिम्मेदारी लोकतन्त्र के चौथे पाये की है उससे कहीं न कहीं हल्की नजर आई है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूंगा आज इस कोर्ट के माध्यम से जैसा कि समिति ने रिपोर्ट में इन लोगों को विभिन्न धाराओं आई0पी0सी0 की धारा–153, 265ए, 200, 463, 464, 465, 469, 471 और साथ ही साथ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा–2000 के अन्तर्गत दोषी पाया गया और सबसे बड़ी चीज कि यह समिति जो सर्वदलीय विधायकों की एक कमेटी रही है, आपका मान्यवर सचिवालय रहा है, प्रमुख सचिव के नेतृत्व में आपका पूरा विधान सभा सचिवालय रहा है यह समिति लाख कोशिश करती रही कि स्टिंग ऑपरेशन का रॉ–फुटेज कैमरा और सी0डी0 दी जाए लेकिन नहीं दिया गया। मान्यवर, न देना ही झूठ का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें स्टिंग ऑपरेशन समिति को न देना यह पीठ का एक तरह से अनादर है क्योंकि समिति का अस्तित्व सीधे आपसे जुड़ा है। सदन में यहां पर निर्णय हुआ था, सदन के अनुरोध पर पीठ ने संज्ञान लिया था, पीठ के निर्देश पर समिति का गठन हुआ था अगर यह चीजें समिति को नहीं दी गई हैं तो यह उस समिति का अपमान नहीं है, यह पूरे सदन का अपमान है, यह पीठ का अपमान है इसलिए मान्यवर, वह सदन की अवमानना के भी दोषी हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, रिपोर्ट में 7 प्रमुख

संस्तुतियां की गई हैं और इन सातों संस्तुतियों का संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे केवल इतना निवेदन करेंगे कि उसमें केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट, 1995 की धारा–5 के उल्लंघन के दोषी हैं तो उसके लिए समिति ने गृह विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 की धारा–20 के भी वह दोषी हैं तो इसके लिए अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा जाए। साथ ही साथ इस बात का निवेदन भी किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विनियमन के लिए एक रेगुलरेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए जिससे कि स्वच्छन्द वातावरण जो आज मीडिया के कुछ लोग अपना लिये हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। इसीलिए मान्यवर, इस विनम्र निवेदन के साथ कि समिति का प्रतिवेदन केवल चर्चा तक सीमित न रह जाए, औपचारिकता मात्र न रह जाए, केवल चेतावनी करके छोड़ न दिया जाए, बल्कि विधिवत, अभी तो आप समिति की रिपोर्ट पर पूरे सदन को आप सुन रहे हैं। आरोप से घिरे हुए मीडिया कर्मियों को भी आप मान्यवर, सदन में आहूत करें, उनका भी पक्ष जानें। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ, किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए कि जो समिति ने प्रतिवेदन में अपनी संस्तुतियां दी हैं उस पर आपका क्या कहना है ? आपके खिलाफ ये आरोप बन रहे हैं, इस पर आपको क्या सफाई देनी है और इनको भी सुनने के बाद इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मान्यवर, इस पर कोई न कोई कठोर से कठोर प्रभावी कार्रवाई किया जाये जिससे कि इस प्रकार के स्वच्छन्द आचरण पर अंकुश लग सके और इनके मजाक का कोई शिकार इस सदन में बैठा हुआ सदस्य न बन सके। साथ ही साथ जो इनकी जवाबदेही है निष्पक्ष पारदर्शी समाचार के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को जीवन्त बनाये रखने का, वो भी सुनिश्चित हो सके। इसलिए मान्यवर, इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात रखता हूं और भरोसा करता हूं कि इस पर सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पीठ के स्तर से प्रभावी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, स्टिंग ऑपरेशन सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन जो मुजफ्फरनगर दंगों से सम्बन्धित सदन में प्रस्तुत हुआ, उसके ऊपर मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, चार लाईनें हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती है, आप कहें तो पढ़ दें। एक शायर ने कहा है कि–

लाज लुटती है जो दंगे में किसी गीता की,
तो सारे पैगम्बरों की नींद उचट जाती है,
और कत्ल जब राम का कोई रहीम करता है,
तो कुरान पाक उदासी में सिमट जाती है।
क्योंकि बुनियाद है दोनों की इसी धरती पर,
टूटे मस्जिद तो शिवाले भी कांप जाते हैं,

किसी शरीफ नमाजी के कत्ल पर आंसू,

ऐसा लगता है कि मंदिरों के बुत गिराते हैं।।

मान्यवर, यह एक ऐसा गम्भीर मसला है कि जिसके ऊपर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो भी अन्याय होगा। लेकिन जिस परम्परा में हम पले और बढ़े हैं उसको गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मेरी क्या इमेज है। हर आदमी अपनी इमेज खुद बनाता है। हर आदमी अपना कैरेक्टर रोल खुद लिखता है मान्यवर। जो भी हम डीड्स करते हैं मान्यवर, जो हम क्रिया–कलाप करते हैं उसके आधार पर हमारा कैरेक्टर रोल बनता है। हमारे क्षेत्र में मान्यवर, चाहे पठान हों, चाहे यादव हो, चाहे घोषी हो, चाहे खमरिया हो, चाहे पथरिया हो, चाहे बाथम हो, चाहे अन्सारी हो और चाहे सैय्यद हो मान्यवर, बड़ी बड़ी पंचायतें पिछले 28 साल से की मैं इस सदन में आता हूं ऐसा किसी ने अविश्वास नहीं जताया कि सुरेश खन्ना किस बिरादरी, किस जाति, किस धर्म के हैं इसलिये इनसे हम पंचायत न करायें। मेरी बिरादरी के मान्यवर, 1700 वोट हैं मेरे क्षेत्र में और इन 1700 वोटों के माध्यम से मैंने 7 बार लगातार इस विधान सभा का चुनाव जीता। इस विश्वास के आधार पर जीता कि लोगों को यह भरोसा है कि यह अन्याय नहीं करेगा। लोगों को यह भरोसा है कि यह काबिले ऐतबार है और अगर न्याय करेगा, पंचायत भी करेगा तो लोगों के साथ न्याय करेगा चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला हो। यह कैरेक्टर रोल, यह ईमेज एक ही दिन में नहीं बनी मान्यवर। इसके पीछे बरसों तक लगातार एक साधना है, एक तपस्या है। हम जो कुछ भी करते हैं वही प्रतिफलित होता है। हम जो बोते हैं, वही प्रतिफलित होता है। हम जो एक्शन करते हैं वह प्रतिफलित होता है मान्यवर। किसी भी मीडियाकर्मी को किसी की ईमेज से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती उसको किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिये मान्यवर, छूट नहीं दी जा सकती लेकिन हम यह सोचेंगे कि हमारे बारे में यह ईमेज क्यों बनी ? हमारा नाम क्यों आया ? अगर किसी मामले में हमारा नाम आता है तो हम पहले अपने आप से पूछेंगे कि हमारा नाम क्यों आया। आखिरकार वह कौन सी वजह थी, वह कौन से कारण थे ? क्या इन्टेन्शन गलत थी या कहीं पर गलती थी या क्यों हुआ ? मान्यवर, हमको भी अपने आप से इस बात का सवाल करने का अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आखिरकार हम कहां पर खड़े हैं। मान्यवर, आज जो सदन के सामने संस्तुतियां आईं मान्यवर, हम इससे अपने आप को असहमति व्यक्त करते हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

अरे आप लोग सुनिये ना। शांत रहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम नेता विरोधी दल की एक बात से सहमत हैं कि उन आरोपियों को अपना पक्ष रखना चाहिए इस सदन में आकर कि आखिरकार उन लोगों के खिलाफ जो

कार्यवाही हो रही है उनको भी सुना जाना चाहिए। मान्यवर, प्रिंस्पल आफ नेचर आफ जस्टिस भी यही कहता है। दूसरी बात मान्यवर, यह भी देखा जाना चाहिए कि किस आशय से, किस इन्टेन्शन से ऐसा हुआ। मान्यवर, मीडियाकर्मी, जिन लोगों के खिलाफ यहां पर यह आरोप लगा है मान्यवर उन लोगों को पूरे मीडियाकर्मियों को लांछित नहीं किया जाना चाहिए। जो पूरा मीडियाकर्मी है उसका बहुत बड़ा योगदान है मान्यवर आजादी से लेकर आज तक। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहें। उनकी बात सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आजादी से लेकर आज तक बहुत बड़ा योगदान है चौथे स्तम्भ का। मान्यवर, इसलिये पूरी तरीके से मीडिया को लांछित नहीं किया जाना चाहिए और मान्यवर, चौथी बात...

श्री अध्यक्ष–

बैठें, शांति से सुनें। खन्ना साहब सुन रहे थे आप भी शांति से सुनें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आखिरकार मीडियाकर्मी आपराधिक प्रवत्ति के लोग नहीं होते लेकिन उनके साथ आपराधिक तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल है मान्यवर, जो कमेटी का गठन हुआ, प्रारम्भ से ही गठन की प्रक्रिया से, गठन की जो सुनवाई हुई, उसमें समग्रता से पूरा विचार नहीं किया गया। पूरी गहराई से उसकी छानबीन नहीं की गई। (शोर) मान्यवर हमारे कहने का यह आशय नहीं है हम किसी दोषी को बचाना नहीं चाहते हैं लेकिन यह रिपोर्ट कई सवाल खड़ा करती है हम राजनीति में इतिहास बनाने नहीं आए हैं हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि ....

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर सुधार करने में हमारा एक–दो परसेन्ट योगदान होता है, इसलिए आए हैं हम मान्यवर, राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य यही था मान्यवर हम अपने गिरेवान में झांककर देखें कि आखिरकार हमारा नाम क्यों आ रहा है, तमाम सवालों के जवाब इसी सवाल के अन्दर छुपे है, कि हमारा नाम क्यों आया, हमारा करेक्टर रोल क्या है, हमारे व्यूज क्या हैं, हमारी भाषा क्या है मान्यवर, आखिरकार इस सदन के 403 सदस्य हैं। एक ही मा0 सदस्य का नाम क्यों आया मान्यवर, यह सवाल हम पूरे सदन के सामने छोड़ते हैं, इस समिति के गठन की, प्रक्रिया की, सुनवाई की, और उसकी संस्तुतियों से हम असहमत हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर में हुए दंगों से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की जांच हेतु आपके द्वारा जो कमेटी चलाई गई है उस स्टिंग ऑपरेशन संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी को विधान सभा पटल पर रखा गया और आज आपने उस पर चर्चा कराई। सभी विद्वान सदस्यों का मत आया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, इरफान साहब ने बात रखी सबने अपनी बात रखी। आज सुबह से जो हम चिल्ला रहे थे वह पर्दाफाश आपके सामने हो गया। हम साफ बात कह रहे हैं कि पर्दाफाश हो गया, जब विधान सभा की अस्मिता का मामला है। जब सभी 403 विधायकों की अस्मिता का मामला है तो यह क्या अपने आप को उससे अलग रख सकते हैं। यह देश को किस तरफ ले जा रहे हैं यह आग में झुलसाने की बातें कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सारे विधान सभा के जितने सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनको इसकी निन्दा करनी चाहिए।

(मेजें थपथपाई गईं)

माननीय अध्यक्ष जी, स्टिंग ऑपरेशन समिति ने सारी मीडिया को इंगित नहीं किया, सारे इलेक्ट्रानिक मीडिया को इंगित नहीं किया, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए सबको पता है क्या हुआ, किस तरह से कद्दावर मंत्री की झूठी पेशकश की गई, हमें पता है माननीय खन्ना जी कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, और सबने कहा, हम लोगों को भी 32–32 साल हो गए अपने क्षेत्र में काम करते हुए, और 32 साल की मेहनत के बाद चार लाइन भी कोई लिख देता है हमारे चरित्र हनन के लिए, या इलेक्ट्रानिक मीडिया कोई उल्टी सीधी बात लिख देता है तो 32 साल की मेहनत, दो मिनट में पानी में मिल जाती है। यह अख्तियार किसी को नहीं है। पीत पत्रकारिता के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, मैं तो आपको बधाई देता हूं कि विधान सभा चल रही थी और आपने स्टिंग ऑपरेशन कमेटी बना दी। यह सर्वदलीय कमेटी थी, सर्वदलीय कमेटी पर ऊंगली नहीं उठनी चाहिए जब सब दल के सदस्य उसमें शामिल थे, तो इनको शान्ति से बात सुननी चाहिए थी। चूंकि यह लोग उसी जहनियत के लोग हैं जो देश को आग में जलाकर सत्ता पाना चाहते हैं अभी नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा मुजफ्फरनगर के दंगे में इनका पूरा पूरा हाथ था और इस स्टिंग आपरेशन में भी इनका पूरा पूरा हाथ है उसका सीधा सीधा फायदा यह हुआ कि इनके 73 सांसद जीतकर आए और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सत्ता में बैठी हुई है और यहां मैदान छोड़ गई इनका काम ही यही है यह दंगाई पार्टी है हम किसी को लांछित नहीं कर रहे हैं हम इनकी जहनियत के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

स्टिंग आपरेशन पर बोलें।

श्री प्रदीप माथुर–

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया हम उसका सम्मान करते हैं उसका आदर करते हैं देश की आजादी से लेकर आज तक मीडिया का तमाम मामलों में अहम रोल रहा है हम लोग जब भी विधान सभा में बोलते हैं तो तत्काल मीडिया कर्मियों के पास जाते हैं सब मेम्बरान चाहते हैं कि उनकी बात जनता तक पहुंचे यह लोग बखूबी पहुंचाते भी हैं यह लोग हमारी इमेज बिल्डिंग के बेहतरीन सदस्य होते हैं यह लोग हमारी छवि को क्षेत्रों में पृष्ठांकन करते हैं हम इनका आभार व्यक्त करते हैं परन्तु एक कद्दावर मंत्री जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है जिनके बारे में सबकी सोच यह होती है कि वह एक बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति है स्पष्टवादी जरूर है बात जरूर कहते हैं और कहे बगैर छोड़ते भी नहीं हैं परन्तु उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह इस तरह स्टिंग आपरेशन में शामिल होंगे। जब इस कमेटी ने सारे तथ्यों को मांगा तो वह तीनों चैनल के लोग अपने तथ्य नहीं देते हैं अपने फुटेज नहीं देते हैं अपने पेपर्स नहीं देते हैं क्यों नहीं देते ? अगर आप इन्वाल्व नहीं हैं तो आपको दे देने चाहिए यदि आप उसमें शामिल नहीं थे तो आप सारे के सारे प्रस्तुत कर देते परन्तु उनकी न प्रस्तुतीकरण उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों में से किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है परन्तु जिस कैरियर को एक मेहनत करके बनाया जाय उसे दो मिनट में राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर उनकी छवि धूमिल कर दी जाए उसे जीरो करने का अख्तियार किसी को नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह के मामले में आप ऐसी नियमावली बनवाएं क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत यह है इस तरह के नियम कानून भी बनने चाहिए कि जिनसे कुछ मामलों में इस तरह का प्रतिबन्ध लगे हम यह नहीं कह रहे हैं कि इनकी आजादी में कोई प्रतिबन्ध लगे इनके डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई आंच आए इनको रोका जाय यह लोकतंत्र है लोकतंत्र में पूरी आजादी है परन्तु कहीं न कहीं तो नुक्ता लगना चाहिए जिससे यह किसी की इज्जत न उतार सकें किसी के साथ भद्दा मजाक न कर सकें किसी के ऊपर अश्लील रिमार्क न कर सकें इस तरह का मामला तो जरूर होना चाहिए जिससे कि भविष्य की पीढ़ियां जो इस सदन में आएंगी हम लोग आएं या न आएं परन्तु भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे उनकी अस्मिता न खत्म हो दूसरे हम लोगों को भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए मैं माननीय मंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं यह तो पाक साफ व्यक्तित्व के मालिक हैं इनके बारे में हर कोई अच्छा बोलता है चाहे किधर के लोग हों मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उससे मैं और मेरा दल अपने आपको सम्बद्ध करता है और जो कुछ भी इसमें डिसीजन्स हैं उससे भी हम सम्बद्ध करते हैं और मीडिया जनों से भी अनुरोध करते हैं प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रानिक मीडिया से कि इस तरह के कार्य समाज में नहीं होने चाहिए किसी की छवि बिगाड़ने का अख्तियार किसी को नहीं है अल्लाह भी हर किसी के ऊपर अपनी रहमत बख्सता है। शुक्रिया।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे आपने स्टिंग आपरेशन की रिपोर्ट के सम्बंध में बोलने का मौका दिया वैसे तो नेता प्रतिपक्ष ने कोई शेष बात छोड़ी नहीं है जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला हो बहुत विस्तार से उन्होंने सदन के सामने ब्योरा भी रखा है और एक एक बिन्दु को साफ किया है अभी हमारे साथी जो वाक आउट करके गए हैं मैं तो यही कहूंगा कि यह सदन का अपमान है जब उस पीठ से यह निर्णय हुआ कि इसमें सभी दलों के लोग शामिल होंगे और एक समिति में हर दल का मेम्बर भी शामिल था। अगर उनको आपत्ति थी उनके दल के सदस्य को आपत्ति दायर करनी चाहिये थी, वह आपत्ति भी दायर नहीं की। हम यह सब जितनी भी कार्यवाही देख रहे हैं इसमें पार्टीवार लोग कुछ न कुछ राजनीति समाविष्ट कर रहे हैं। उनका अलग उद्देश्य है, उनका अलग उद्देश्य है, इनका अलग उद्देश्य है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। मा0 आजम खां साहब को मैं बहुत लम्बे अरसे से जानता हूं। यह हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। उस वक्त इनके विरोधी कालेज के हम स्वयं पदाधिकारी रहे हैं, हम विरोधी कालेज के छात्रनेता रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में उनकी स्टूडेंट लाईफ से लेकर अब तक मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वह एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अपने धर्म के प्रति तन से, मन से, धन से वह वफादारी के साथ रह सकते हैं, वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वह बेईमान नहीं हो सकते हैं, हिंसावादी नहीं हो सकते, आतंकवादी नहीं हो सकते और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो उनके जमीर को झकझोरे, मैं यह व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। (सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) एक बहुत अच्छा मुसलमान और एक बहुत अच्छा हिंदू कभी हिंसा में विश्वास नहीं कर सकता, कभी हत्या के लिये प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिये उन पर यह जो आरोप लगा था, बिल्कुल बेबुनियाद था। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपने आप को पाक दामन सिद्ध करने के लिये सदन में अपनी तरफ से ही प्रस्ताव रखा कि मेरे खिलाफ जांच समिति बना दी जाये। यदि यह जांच समिति न बनी होती तो क्या हाल होता, क्या जवाब देते ? आज पूरा देश ही नहीं वरन् पूरा विश्व देख रहा है और वह आज ऐसी कसौटी पर खरे उतर कर जा रहे हैं कि 403 विधायकों के इस बड़े सदन में, जो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत है, उनको प्रमाण–पत्र मिल रहा है कि वह निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, इसमें उनका रत्तीभर भी दोष नहीं है। (सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मेरे साथी निगम साहब, जो बहुत विद्वान हैं, वकील हैं, साथी सुदेश शर्मा और बसपा के कई अच्छे–अच्छे लोग इस समिति में थे, बड़ी गहनता के साथ उन्होंने अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि वह कतई पाक दामन हैं और जो लोग दोषी हैं उनको दण्ड जरूर मिलना चाहिये। हमें पहले भी यह पता था कि उनका कोई दोष नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी यह कह सकता हूं। जिस थाना क्षेत्र की यह घटना थी, वहॉ मेरे रिलेशन का एक पुलिस अधिकारी था, मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा तो उन्होंने बताया कि आजम खां साहब जब से मंत्री बने हैं कभी टेलीफोन

नहीं किया है। यह मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं। मैं समिति के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ जांच करने के बाद एक अच्छे इंसान को, अच्छे ईमानदार नेता को पाक दामन सिद्ध किया। मा0 आजम खां साहब तो हमारे सदन के गौरव हैं। जब ऐसे लोगों पर ही आरोप लगने लगें तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा। मैं समिति के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि सभी ने बड़े सम्मान के साथ बहस में भाग लिया और अपने–अपने विचार व्यक्त किये। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने तो मेरे विचार से कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जबकि रोज लड़ाई होती है। जो सदन से वाकआउट कर गये हैं, उनको इसमें भाग नहीं लेना चाहिये था। जब पूरे सदन का मत है तो इस पर मत विभाजन कर लिया जाये। पूरा मत उन्हीं के पक्ष में पड़ेगा। इसलिये बहिष्कार करने से कोई मतलब हल नहीं होता है। उनकी पार्टी की मंशा इस तरह की है, उनको इसी में लाभ हो सकता है तो अपने हिसाब से वाकआउट कर गये होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि समिति ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और मा0 नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं तो यह समझ रहा था कि रोज लड़ाई होती है, कहीं इस इश्यू पर लड़ाई न हो। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ पक्ष को रखा और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

श्री सत्यवीर मुन्ना जी, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद, आपने मुझे मुजफ्फरनगर के दंगों पर स्टिंग आपरेशन में हमारे वरिष्ठ साथी सतीश निगम जी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हम पहली बार सदन में आए हैं और यह पहला मौका देख रहे हैं, इन चार सालों में कि शायद वेतन और छुट्टी के अलावा, यह पहला ऐसा मौका है, जब किसी गंभीर और वाजिब विषय पर पूरा सदन लगभग एकमत है। इसके लिए मैं पूरे सदन को और पीठ को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, दंगे, फसाद और उससे जो नुकसान और फायदा होता है, उसके सीधे से आंकड़े पर मैं आपकी नजर डालना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, परिणाम क्या आया ? परिणाम 80 में से 73 सीटें किसी एक पार्टी को मिल गईं। दिल्ली में बेचारे दंगा नहीं करा पाए, 70 में से मात्र 03, सूपड़ा साफ। बिहार में बेचारे दंगा नहीं करा पाए, इनकी मशीनरी फेल हो गई। एक गुजरात से आए हुए हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नेटवर्क काम नहीं कर पाया, बिहार में सूपड़ा साफ। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी इनका होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी इनका सूपड़ा साफ हो जायेगा। ईश्वर करे, इनको सद्बुद्धि आए और प्रदेश में समरसता कायम करें और जैसे हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे मुख्य मंत्री और नेता, आदरणीय आजम साहब, जिस तरह से जनहितकारी योजनाएं चला करके और जनता को लाभ देकर चाहे वह मैट्रो हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास हो, जिस तरह से हमारी सरकार काम करके आम जनता के बीच जाना चाह रही है, मेरा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह के जनहित के काम

करके और राष्ट्र निर्माण और प्रदेश निर्माण में अपना योगदान दें। अध्यक्ष जी, दो बातें और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज भी कई भागों में बंट गए हैं और मीडिया हाउसेज के शिकार 2 प्रतिशत क्या, 5 प्रतिशत तक हमारे मीडियाकर्मी हो रहे हैं, उसी का यह परिणाम है। मान्यवर, मैं तो अपने इलाहाबाद की सोरांव विधान सभा के बारे में जानता हूं कि हमारे 99 परसेण्ट मीडियाकर्मी बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वह नरेन्द्र द्विवेदी जी हों, चाहे वह साजिद खान हों, चाहे वह राजेश शुक्ला हों या उवैद खॉन साहित तमाम ऐसे मीडियाकर्मी हैं, जो हमेशा सकारात्मक और सही खबरें निकाल करके समाज को सही दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। अभी नेता भाजपा किरदार की बात कर रहे थे, कृत्य के अनुसार ही उनका किरदार निर्धारित होता है, इनके किरदार के बारे में पूछ लें कि इनका कैसा किरदार था कि स्वतंत्रता आन्दोलन में कभी इनका कहीं पर कोई योगदान नहीं था। ये इनका कैसा किरदार था कि गुजरात दंगों में इनका नाम आ गया, में इनका कैसा किरदार था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में इनका नाम आ गया। यह अपने किरदार में खुद झांक करके देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह जो रिपोर्ट निष्पक्ष जांच आई है, यह सदन की गरिमा को और उत्तर प्रदेश की धार्मिक एकता को और हारमोनी को बरकरार रखकर पूरे प्रदेश समाजिक ताने–बाने को एक सही दिशा प्रदान करने की एक पहल होगी। मैं अपने नेता, आदरणीय श्री आजम खां साहब की, जिनकी कर्तव्यनिष्ठा को हम लोग सराहते हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी कार्यशैली को हम सब अपनाते हैं और उन्हें पूर्णतः निर्दोष मानते हैं। आज सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस गंभीर और संजीदा विषय पर उन्होंने अपना निष्पक्ष मत रखा। मैं अन्त में आदरणीय सतीश निगम जी की इस रिपोर्ट का पूरा समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नदीम जावेद–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मीडिया से जुड़ी इस महत्वपूर्ण चर्चा में और जो कमेटी की सिफारिशें आयी हैं, उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। आदरणीय कमेटी के सभापति जी ने, उसके सम्मानित सदस्य, मौ0 इरफान साहब ने, आदरणीय शर्मा जी ने, आदरणीय नेता, लोकदल ने, परम आदरणीय माथुर साहब ने और नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचारों को रखा है, इन सब के विचारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। ''देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा हमने ये जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है।'' मा0 अध्यक्ष जी, एक राष्ट्र के रूप में भारत की सफलता के पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि हमने इस देश में इंस्टीट्यूशन्स खड़े किये हैं। आजादी के बाद हमने इस देश में संस्थायें खड़ी की हैं और वह संस्थायें कार्यपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में हैं और मीडिया को भी उस संस्था का एक हिस्सा माना जाता है और हमारे आसपास के जितने राष्ट्र हैं और मा0 अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति केंद्रित जो चर्चा है इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाये। आस–पास के जितने राष्ट्र हैं। हमारे साथ पाकिस्तान बना लेकिन मीडिया को आजादी नहीं है। अफगानिस्तान के हालात देश और दुनिया जानती है। सारे अरब देशों में लोकतंत्र की एक आवाज कोई मीडिया नहीं छाप सकता। बादशाह सलामत जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। पूरा इराक तबाह हो गया

और जिस चीन के तथाकथित विकास की चर्चा बार–बार होती है और विशेष रूप से पिछले वर्षों में हो रही है उस चीन में भी मीडिया को किसी तरह की आवाज नहीं है। इस देश में आवाज है। मीडिया जो चाहता है जो समझता है वह लिखता है, वो दिखाता है, वह छपता है। उस पर चर्चा होती है और यह भी सच है कि इस देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ था। आइडिया आफ इंडिया गांधी का होगा या फिर आइडिया आफ इंडिया गोलवारकर का होगा। उसमें साम्यवादी भी विचार में थे, उसमें दक्षिणपंथी थे, उसमें वामपंथी थे, उसमें समाजवादी थे, उसमें मध्यमार्गी थे। सभी विचार के लोग थे। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को, किसी विचारधारा को ताकत देने के लिए पिछले वर्षों में किया है। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम कोई और नहीं हो सकता। आजम खां साहब पर हमला हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट आ गयी। लेकिन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पर जो हमला हुआ है वह उसी सोच का एक्सटेंशन है। मैं भी उस डिबेट में गया था, जिस दिन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा और कैम्पस में काम करने का, छात्र कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अपनी बौद्धिक चर्चा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। सबसे ज्यादा आई0ए0एस0, आई0आर0एस0, मीडिया से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, कवि, इतिहासकार वहां से निकलते हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को राष्ट्रद्रोही कहा गया। आज का अखबार उत्तर प्रदेश का उठाकर देख लीजिए। सारे हिन्दी के अखबार। सारे अखबारों की हेडलाइन कुछ और कहती है और एक अखबार जो पूरी तरह से दक्षिणपंथी विचारों को ताकत देता है वह अखबार यह दिखाता है कि हरियाणा में जाट आंदोलन को कांग्रेस की वजह से हवा मिली। तो आपको पूरी तरह से मीडिया बाजार चाहिए। अच्छी बात है। उदारवाद के बाद हर चैनल पर स्पेस चाहिए। हर चैनल को ऐड चाहिए। हर अखबार को ऐड चाहिए। कौन, कितने लोग उस अखबार को या उस मीडिया को देखते हैं वह भी चाहिए। आप कहते हैं कि जिस चैनल पर इनकी खबर दिखायी गयी थी पांच करोड़ लोगों ने देखा था। उसका उस समय का जो टी0आर0पी0 है। चैनल खुद कह रहा है कि पांच करोड़ लोगों ने देखा था। देश की पांच करोड़ जनता को एक खबर दिखाते हो। और खबर देने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश के, मुजफ्फरनगर के और शामली के, बल्कि देश के पूरे माहौल को खराब करते हैं। मैं यह व्यक्ति पर हमला नहीं समझता हूँ मैं समझता हूं कि मीडिया के एक हिस्से के द्वारा संस्था पर हमला करने का प्रयास था। और विधायिका पर हमला मीडिया के उस हिस्से के द्वारा किया गया है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। आपने साहसी और ऐतिहासिक कदम उठाया है कि आपने कमेटी का गठन किया। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने ठीक बात कही है। आपने सही कहा कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए और निश्चित रूप से सदन सुनेगा जिस तरह के आप लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे व्यक्ति को या माहौल को या संस्था को या पालिटिकल इंस्टीट्यूशन पर हमला करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होकर यहां से जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई, जरूरी कार्रवाई कानून के दायरे की जाएगी ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों को जिसकी लड़ाई

मीडिया का वह हिस्सा बड़े ही जोरदार तरीके से लड़ता है राष्ट्रवाद के नाम पर, ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो ताकि नये लोग जो समय–समय पर उनके साथ जुड़ते हैं वह कमजोर पड़ जायें। मा0 अध्यक्ष जी, इन्हीं बातों के साथ चूंकि समय का अभाव है। मैं केवल एक शेर के साथ।

कि मयकदे बन्द करें, लाख जमाने वाले,
शहर में कम नहीं, आंखों से पिलाने वाले।
न मैं सुकरात, न ईसा, न अली हूं, न हुसैन,
क्यों मेरे खून के प्यासे हैं, जमाने वाले।।

श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसके सम्बन्ध में मीडिया द्वारा एक स्टिंग आपरेशन प्रस्तुत किया गया, उसके सन्दर्भ में जो कमेटी की आज रिपोर्ट आई है, मैंने सुनी है और मैं इसलिए भी ज्यादा वाकिफ हूं, ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखता हूं, मुजफ्फरनगर से सम्बन्ध रखता हूं। मैं किसी की पैरवी करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, एक सत्यता आपको बताना चाहता हूं, उसे बताने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, दंगे की बात हुई, मैं सारे मीडिया वालों को कहना नहीं चाहता, लेकिन ठोंक कर के बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस दंगे का दोषी मीडिया भी है, मीडिया ने जहां हिन्दू भाई, मुसलमान भाइयों की मदद करने का काम रहे थे, जहां हिन्दू नेता मुस्लिम लोगों को बचा रहे थे और मुसलमान नेता हमारे हिन्दू भाइयों को बचाने का काम कर रहे थे, उन पहलुओं को दिखाने का काम मीडिया ने नहीं किया, मैं जानता हूं मीडिया ने सिर्फ वह बातें दिखाई हैं जिससे जहर उगला जा सकता था, इन लोगों को मदद मिल सकती थी, इन लोगों को मदद करने का काम मीडिया ने किया। बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टिंग आपरेशन की रिपोर्ट के बाद सामने आये हैं, मैं कहना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो आदरणीय आजम खां साहब का मामला है कल को पंकज मलिक का मामला भी हो सकता है, क्या मेरा यही काम है, मैं सदन में यह कुर्ता पहन कर उन मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए यहां आता हूं, सर्टिफिकेट हमारा यह जारी करेंगे, मेहनत हम करेंगे, बुराई ये जो चला देंगे, वह हमारे माथे पर दाग लग जायेगा और हमारा भविष्य तय करने का काम यह करेंगे, हमारा भविष्य जनता तय करती है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत सारे पहलू ऐसे थे, जहां दंगा हुआ, वहां मीडिया के लोग उनके आंसू पोछने के लिए नहीं गये, मीडिया के लोगों ने सिर्फ एक काम किया कि सूबे के एक कैबिनेट मंत्री का नाम जो एक वजूद रखते हैं, इलेक्ट्रानिक मीडिया पर चला दिया कि दंगे का कारण यह हैं। यह नहीं समझ पाये कि कितना बड़ा नुकसान उसका हुआ, इनका तो नुकसान हुआ ही हुआ, गरीबों का भी नुकसान हुआ। इन लोगों को कोई मतलब नहीं कि वहां कौन मरा और कौन बचा। मैं जानता हूं मा0 अध्यक्ष जी, आप भी कई बार मुजफ्फरनगर और शामली गये हैं, आपने देखा है किस तरह से गरीब बिलबिला रहे हैं, आप भी जाकर के देखियेगा, मेरे यहां जीड़ाना गांव है, उस दंगे से पीड़ित लोग आज वहां रह रहे हैं, वहां पानी तक नसीब

नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेण्टों में पैदा हुए, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही ढंग से निर्णय नहीं मिल पाया और वे झूठे जेल में पड़े हैं, उनकी बच्चियां नहीं पढ़ पाती, मा0 अध्यक्ष जी मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, बार–बार कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा दर्द है अध्यक्ष जी, उसे बयान करना चाहता हूं, इनके लिए तो एक लाईन मेरे दिमाग में आती है, एक–दो लोग जो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, उसे भी सुनना नहीं चाहते, हमारी बात को दबाने का काम इन्होंने सुबह भी किया। जे0एन0यू0 का मामला मीडिया को इनरोल कर के मीडिया के माध्यम से इन्होंने उसमें भी अपने आप को जनता के सामने दूसरा चेहरा पेश किया और एक हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेता को बद्नाम करने का काम किया। हर जगह पूरे देश में अजीब स्थिति है, अभी नदीम भाई ने यहां हरियाणा का मामला उठाया, हरियाणा में मामला कुछ और था, इन्होंने कुछ और बनाने का काम किया। सिर्फ हिन्दू और मुसलमान की बात मैं नहीं करता, सिर्फ आजम खां साहब की बात मैं नहीं करता, अगर कल को ये इनके जिस नेता का नाम आने से इन्हें दर्द हुआ था, अगर उस नेता को फंसा कर के भी इन्हें लोकप्रियता मिलती हो, वोट मिलती हो, तो ये उसे भी फंसाने का काम कर सकते हैं, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं इन लोगों के बारे में–

''बड़े ही अजब कायदे हैं मेरे मुल्क में,
यहां भूख से ज्यादा धर्म पर बहस होती है'' ।

मान्यवर, दुर्भाग्य है हमारा, हम जब सदन में आते हैं तो सोंचते हैं कि उस गरीब की कुछ आवाज को उठाने का काम करेंगे, जो दंगे में पीड़ित परिवार है, उसके जख्म पर मलहम लगाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में सारे मुद्दे को ही बदल देने का काम करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक तरफ नजर मारियेगा और देखियेगा वह लोग हैं जो दंगे के नाम पर सुरक्षा लिये बैठे हैं, जो दंगे के नाम पर प्लाट आवंटित कराये बैठे हैं, ऐसे लोग यहां बैठते हैं। मा0 अध्यक्ष जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्टिंग आपरेशन में ऐसे व्यक्ति को फंसाने का काम किया गया, जो व्यक्ति मैंने देखा है सदन में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, जिनमें यह दल से हट कर के संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से निर्णय लेने का काम करते हैं, रिपोर्ट में सदन के हर दल के लोग थे, जो उन्होंने रिपोर्ट यहां पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मा0 अध्यक्ष जी विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि इस सदन में बैठे हुए सदस्यों का भी सम्मान, सम्मान होता है, धन्यवाद् मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सूक्ष्म में मैं अपनी बात रखूंगी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने इस बहुत ही अहम मुद्दे पर जो कि मुजफ्फरनगर स्टिंग आपरेशन के नाम से इतिहास के पन्नों में इंगित हुआ है, और जो निगम जी की रिपोर्ट

आयी है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी मेरे वरिष्ठ इस सदन के सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष सहित विभिन्न दलों के सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। सबकी वेदना आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है। क्योंकि यहां जो सभी बैठे हुए हैं वह सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। जब यह उदय हो रहा था, तो अलग–अलग अपनी सोच को लेकर, अपने चिंतन को लेकर इन राष्ट्रों का निर्माण हुआ। कहीं सोशलिस्ट राज्य बना, कहीं कम्युनिस्ट राज्य बना, कहीं लिबरल राष्ट्र बना लेकिन बहुत सारे मुल्कों में लोकतांत्रिक राष्ट्र बने और इन लोकतांत्रिक राष्ट्रों के इतिहास में चाहे वह फ्रांस हो, चाहे यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका हो, या पहले इंग्लैण्ड हो या उसके बाद भारत हो, इन सब राष्ट्रों ने लोकतंत्र को अपनाया। इस लोकतंत्र में जैसा सबने कहा कि अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका को महत्व दिया गया तो चौथे स्तम्भ पर कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका मीडिया को दी गयी। यह माना गया, कि यह समाज का, राजनीति का और देश के हालातों का आईना होगा। निश्चित रूप से भारत के स्वतन्त्रता आंदोलन में अन्य राष्ट्रों की भांति इस कलम की ताकत भी नजर आयी थी और हम लोगों ने आजादी पाने के बाद इसके महत्व को और ज्यादा दुगुना करने के लिए उन्हें स्थान ही नहीं दिया बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को हम लोगों ने संविधान में डाला। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हमने 21वीं सदी में प्रवेश किया और पूरा विश्व भारत की ओर देखता है तो भारत की सराहना करती हूं कि सबसे ज्यादा विभिन्नताएं होते हुए भी इस देश में एकता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतने तरह के धर्म, भाषाएं, जातियां, भोजन, सोच, नस्लें, क्षेत्र कैसे एक साथ कैसे रह सकती हैं। ऐसे में मीडिया की यहां बहुत अहम भूमिका हो जाती है। भारतीय होने के कारण जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं उसके आधार पर अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। मुजफ्फरनगर, शामली में कभी दंगा नहीं हुआ, कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा। आप अगर वहां के इतिहास को पढ़े तो हिन्दुओं के खेतों में सबसे ज्यादा कोई श्रमिक होते थे, तो वह मुसलमान होते थे। इतना भाईचारा था और एक–दूसरे के दुःख–सुख में शामिल होते थे। वहां दंगा हो जाता है। विपरीत इसके कि हम उसकी व्याख्या करें कि आखिर क्या गलती हुई कि इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हुई, उसमें आग में घी डालने का काम मीडिया द्वारा स्टिंग आपरेशन से किया गया। पांच करोड़ लोग पूरे देश में इसको देखते रहे, इसकी टी0आर0पी0 बढ़ती रही और बार–बार यह समाचार वह परोसा जाता रहा। मैं समझती हूं उसने उस स्टिंग दंगे को भड़काने में और देश को बांटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर वह स्टिंग आपरेशन ने इस तरह का काम किया तो निश्चित रूप से वे कटघरे में खड़े करने के काबिल हैं और कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया जाना चाहिए और मुकदमें दर्ज होने चाहिए। जहां तक व्यक्ति का प्रश्न है तो मा0 आजम खां साहब बहुत स्पष्टवादी हैं। बहुत सारे उनके वक्तव्यों पर दिनोदिन लोगों के बीच में संवाद होता है, बातें होती हैं, टिप्पणियां होती हैं लेकिन वह सेकुलर हैं और जिस भी विभाग में रहे हैं उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं होने दिया है। मैं नहीं समझ सकती कि उनकी अपनी

सरकार होते हुए वह यह चाहते कि यह दंगा भड़के या वे कोई एक पक्ष लें। वह सम्मानित मंत्री हैं, आज का नहीं दशकों का उनका इतिहास है, छात्र आंदोलन से लेकर आज तक। उसको एक पल में बिगाड़ने का प्रयास सिर्फ टी0आर0पी0 के लिए किया गया, यह ठीक नहीं है। मैं सब पत्रकारों को नहीं कह रही। मैं मानती हूं कि मीडिया में भी चिन्तन चल रहा है, मीडिया को बुरा नहीं मानना चाहिए। मीडिया में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो रोज सेमिनार करता है कि पत्रकारिता की स्वायत्तता कहां गई, पत्रकारिता की स्वतंत्रता कहां गई। बहुत सारे सेमिनार्स में मैंने भी भाग लिया है। अगर मीडिया का एक घटक खुद यह मानता है कि कहीं न कहीं वह कण्ट्रोल में हो रहा है, नियंत्रण में आ रहा है तो चिन्ता का विषय है। आज जो हमारा देश का शासन है, वह तो शिक्षा और मीडिया दोनों को कण्ट्रोल कर लेना चाहता है, नियंत्रित कर लेना चाहता है। अध्यक्ष जी ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाओं पर, इस प्रकार के झूठे स्टिंग ऑपरेशन्स पर अगर यह सदन आपके जरिए से कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो मैं समझती हूं कि आने वाले वक्त के लिए यह बुरी नजीर होगी। आपको चाहिए कि इस सदन की भावना को ग्रहण करते हुए निश्चित रूप से जो नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं ने सुझाव दिया है उसको समायोजित करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री दिलनवाज खान–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सबसे पहले भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि वह उस चैनल के एजेण्ट के रूप में बाहर गई है क्योंकि अध्यक्ष जी, आज पूरा सदन एक मत था लेकिन भाजपा वालों ने अपना रंग दिखा दिया। अध्यक्ष जी, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने मुझे इस कमेटी में रखा और पूरी सच्ची निष्ठा के साथ इस कमेटी की 48 बैठकें हुईं और एक–एक बैठक हम सारे सदस्यों ने अटैण्ड कीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मीडिया का, न्यूज चैनल का असर बच्चों के दिमागों पर भी होता है। मेरी बेटी फातिमा जो 6–7 साल की है, वह कार्टून नेटवर्क नहीं देखती, न्यूज चैनल देखती है। एक दिन मैं घर आया और जब मैं घर आया तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आपने आज चैनल देखा तो मैंने कहा कि क्या हुआ ? उसने कहा कि टी0वी0 चैनल पर आजम खां दंगे के आरोपी हैं। एक 6 साल की बच्ची के दिमाग के ऊपर उसका इतना असर हुआ। यह मीडिया ऐसी चीज है जो बच्चों के दिमागों को भी गलत दिशा में लेकर चला जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, इस जांच कमेटी के मा0 अध्यक्ष, श्री सतीश निगम जी की अध्यक्षता में हमने जो काम किया वह पूरी निष्ठा के साथ किया और 215 बिन्दुओं की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। जितने भी 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के मौखिक साक्ष्य, अभिलिखित बयान दर्ज करवाए गए तो उसमें जितने भी अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि यह कट ऐण्ड पेस्ट किया गया है। उन लोगों को यह तक नहीं पता था, ऐसा दबाव था उन लोगों पर कि किसी तरह से आजम खां साहब का

वह लोग नाम बोल दें लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात का बड़ा दर्द होता है कि मा0 सदस्य आजम खां साहब आठ बार के विधान सभा सदस्य हैं, राज्य सभा सदस्य हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और क्या ये कभी दंगा करवा सकते हैं, नहीं, कभी नहीं, मैं जीवन में नहीं सोच सकता, न कोई और सोच सकता है और आज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष मौर्या जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने जोरदार तरीके से आवाज उठायी। हमारे नेता प्रदीप माथुर जी का मैं धन्यवाद देता हूं, श्री सुदेश शर्मा जी का, श्री दलवीर सिंह जी का, इरफान साहब और हमारे सतीश निगम जी का। बस मैं आपका धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए आपके दल के दो लोग बोल चुके हैं, जो कमेटी में थे वह भी बोले हैं और नेता भी बोले हैं। अब इसमें क्या बोलेंगे ?

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मुजफ्फरनगर दंगों के स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट जो श्री सतीश निगम जी के सभापतित्व में पेश हुई, उस सम्बन्ध में अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बिल्डिग कोई भी इमारत हम बनाये तो उसमें चार पिलर होते हैं। उसी तरह से चार पिलर हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, अगर इसमें से कोई एक पिलर भी अपने काम में पीछे रहता है, तो वह इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। मुजफ्फरनगर का दंगा सबके सामने यह कहता है, बताता है कि उसमें मीडिया के पिलर की कमी रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वर्ष 1991 में जब माननीय आजम खां जी सरकार में आये थे और उसमें जो हालात इन्होंने दिखाये थे, बीच में आकर, पूरा सदन दंग रह गया था। चाहे पिछली सरकार रही हो, तब भी इस सदन में रहे हैं। एक जो इनका हाउस को चलाने का तरीका रहा है, उस शख्स के ऊपर जो आक्षेप लगाये गए मीडिया के द्वारा वह अपने आप में शर्मनाक हैं। इसके साथ ही मान्यवर, अगर आप कहीं भी देखिएगा, हम यहां पर इतनी बहस करते हैं, लड़ते हैं, अपने बजट पास कराते हैं, विकास के कार्य कराते हैं, अगर हम मीडिया को लिखकर दें तो नहीं छपेगा, फोन करें तो नहीं छपेगा। अगर उसका एक विज्ञापन आये, बड़े से बड़ा लिखा जायेगा, फ्रन्ट पेज में वह जरूर छपेगा। आज जो हमारे चौथे स्तम्भ की स्थिति हो गयी है, अगर सदन के माध्यम से जो चार्जेज लगाये गये हैं, उन पर काम नहीं होता है, अगर सदन के माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है तो आगे भविष्य में स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा आज सदन में है, स्टिंग आपरेशन से संबंधित जांच समिति जो बनी थी। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार निगम इस जांच समिति के सभापति थे, उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। साथ ही साथ हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने भी उस पर बात रखी है। समिति के और सदस्यों ने भी अपनी बात उसमें अपनी बात जोड़ी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और नेता कांग्रेस और नेता आर0एल0डी0 और माननीय सदस्यों ने भी बहुत सारी बातें विस्तार से रखी हैं। विषय बहुत ही गंभीर भी है और पूरा सदन जिस भावना से, खासकर आदरणीय आजम खां साहब के बारे में जो स्टिंग आपरेशन हुआ और समिति की जांच रिपोर्ट सामने आ गयी है, सदन पर टेबिल हो गई हैं। जिन लोगों ने किया और जो लोग शामिल हैं, मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस समिति की रिपोर्ट से और आपके विचारों से सहमत है, क्योंकि जहां स्टिंग आपरेशन हो और इस तरह चैनल के लोग किसी भी व्यक्ति की छवि से खिलवाड़ करें। जैसा कि बहुत–सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रहते हैं। कोई एक दिन में छवि नहीं बनती है, कोई एक दिन में नेता नहीं बनता है। अगर आदरणीय आजम खां साहब आज सदन में हैं, मेरे बगल में बैठे हैं, ये नेता जी के साथ भी थे। कितना समय लगा होगा, राजनीति के कितने पल इन्होंने देखे होंगे, कितना दुख, कितनी परेशानी, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाकर के वह आज इतने बड़े नेता बने और यह मीडिया का भी इन्टरेस्ट रहता है कि अरे आजम खां साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन वह बात कभी नहीं आती, वाकई जिस भावना से वह कहना चाहते हैं और खास कर मुजफ्फरनगर की बात है, जो दंगा हुआ, मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं इस सदन में जो समिति बनी थी और समिति बन कर जो आदरणीय आजम खां साहब को लेकर स्टिंग आपरेशन की बात थी, जो झूठा था उस पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन छोड़कर क्यों चले गये ? ये हम और आप समझ सकते हैं कि मीडिया हाउस है लेकिन जो बहुत छान–बीन कर उसके बारे में जाने तो फिर मीडिया हाउस नही बचे अब वो बिजनेस हाउसेस हो गये हैं। बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वे क्योंकि एक माननीय सदस्य जो बैठे थे सदन में क्योंकि उन्हें अपने पत्रकार साथी को खुश करना था उन सदस्यों का नाम लेते गये, मैं माननीय सदस्य की इस बात का बुरा नहीं मानता। हम राजनीति करने वालों की कभी–कभी मजबूरी बन जाती है क्योंकि पत्रकार साथी जो स्तम्भ हैं लोकतंत्र के, उनको भी लोकतंत्र मजबूत करना है। क्या केवल हमारे मजबूत करने से लोकतंत्र मजबूत हो जायेगा ? उनकी भूमिका क्या है ? मुजफ्फरनगर जैसा मामला जो नाजुक मामला था और किसकी इमेज से खिलवाड़ कर रहे थे जहां आदरणीय आजम खां जी की इमेज से खिलवाड़ कर रहे थे, उनके परिवार के साथ क्या न हो जाता। उनका कितना बड़ा नुकसान होता, जो सरकार के लिए क्या–क्या सामना करना पड़ा और आज भी हम देखते हैं कई बार अभी मान लीजिये हरियाणा मे आन्दोलन चला, बताओ अगर मुख्य मंत्री की कहीं फोटो आई हो, फोटो दिखाकर कर दंगे दिखाये हो, जलती हुई गाड़ी

दिखाई गई हो लेकिन उत्तर प्रदेश मे अगर कोई बात हो जाये तो बताओ मुख्यमंत्री की फोटो कहां पर होती है और माननीय मंत्री जी की फोटो कहां होती है ?

यह वजह क्या है ? मीडिया हाउस, कांग्रेस के माननीय सदस्य, क्योंकि आज इनकी संख्या कम हो गयी, लेकिन बताओ लाइसेन्स तो आपने दिया था इन लोगों को। आपको सोचना चाहिए था जिनको लाइसेन्स मिलने जा रहा है ? वह कैसा हथियार बनेगा, हो सकता है उन्होंने कुछ समय आपका साथ दिया हो। अब तो वे किसके हाथ मे चले गये। लाइसेन्स बन गया 25 साल हो गये। उम्र ही क्या हुई अभी टी0वी0 चैनल की। मुझे याद है जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बना था वहां तो कई बार तो ऐसे खड़े होकर रहना पड़ता है, इतने समझदार रहिये वहां पर कि अगर आपसे टी0वी0 वाले माइक लेकर पूछ रहे हों और आपने देरी कर दी और कोई सीढ़ी से दूसरा उतर आया तो समझ लो आप खड़े रह जाओगे और आपके सामने से वे हट जायेंगे। आपको बहुत समझदार बनना पड़ता है कि जल्दी खत्म करो जिससे कि अपनी इज्जत तो बचा लो। मुझे याद है सदन में जब एक व्यक्ति ने, कुछ कैमरे वाले भाग कर आये तो कुछ पूछना चाहते थे उस समय लोकसभा के सांसद उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई स्टेटमेन्ट नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत नाबालिग हो। मैंने उनसे पूछा कि नाबालिग क्यों बोल दिया आपने ? वे बोले जरा कैलकुलेट करो अभी लाइसेन्स मिले उम्र ही कितनी हुई है उनकी ? नया है यह सब कुछ नया दिख रहा है चैनल पर। हमारे बहुत सारे राजनीतिक दल देश मे आप जानते हैं, चैनल बनाये हैं और अपने तरीके से चीजें दिखाते हैं। एक बार घटना आपको याद होगी तमिलनाडु की एक मुख्य मंत्री का चैनल था वह एक ही खबर को कुछ और दिखाता था और दूसरा चैनल कुछ और दिखा रहा था। क्योकि टी0वी0 चैनल इनके हाथ में है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में क्या हो सकता है ? कुछ भी नहीं है सरकार के हाथ में। हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें अगली बार भी सरकार बनानी है क्योंकि कल को क्या दिखाने लगे, यह आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, हमें तो सामना करना पड़ेगा, हमारा अच्छा काम भी दूसरे रूप मे दिखा देंगे। मुझे याद है आप जब नेता जी का रामपुर मे जन्मदिन मना रहे थे, चैनल के लोग जाने क्या–क्या बता रहे थे, कहां से खर्चा आ रहा है, क्या–क्या हो रहा है और आप बहुत गुस्से में गये और कुछ कह करके आ गये, मैंने कहा कि आप जो कह करके आये यही न्यूज बनेगी। लेकिन बात यह नहीं समझे कि वह नेता जी का जन्म दिवस मना रहे हैं अपने खर्चे से, अपनी यूनिवर्सिटी में मना रहे हैं। लेकिन उसको कहां जोड़ रहे थे किस तरीके से जोड़ रहे थे क्योंकि समय इनके पास बहुत होता है चैनल चूंकि पूरे दिन रात चलना है तो समय बहुत है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। मुझे अभी कुछ दिन पहले अच्छा लगा एक चैनल जो चल रहा है वह खुद बता रहा है कि सबसे सच्चा चैनल मैं हूं मेरी खबर देखो आप। अब मुश्किल यह आ गयी है कि चैनल को खुद बताना पड़ रहा है उसको कि मेरी खबरे ठीक है, मेरी सच्ची खबरे होंगी। इसलिए जो स्टिंग आपरेशन करने वाले हैं कभी कभी इन्होंने बहुत नुकसान किये हैं। यह झगड़ा करा दे कहो, कहो लोगों को भिड़ा दें, समाज में क्या दुश्मनी से लेकर के कौन सा जहर

फैला दें। हमारे और आपके यहां तो टी0वी0 अभी नया आया है लेकिन टीवी को कोई अच्छी तरह से नहीं बोलते हैं उसको इडियेट बॉक्स ही बोलते हैं। शायद पत्रकार साथी जानते होंगे उसको इडियेट बॉक्स दूसरी तरीके से बोला जाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है उनके हाथ में सब कुछ है इसलिए स्टिंग आपरेशन में मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर जो रिपोर्ट आई है मैं समझता हूं पूरा सदन जो चाहता है उस भावना के साथ ऐसे लोगों को उनके सामने बात, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि एक मौका उनको भी मिलना चाहिए कहने का, अपनी बात रखने का। मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन सहमत है अध्यक्ष जी। लेकिन स्टिंग आपरेशन खासकर माननीय आजम खां साहब की छवि खराब करने की, समाज में कैसा संदेश जाये और इनके राजनैतिक कैरियर से खिलवाड़ करने के लिए स्टिंग हुआ। यह तमाम लोग दोषी हैं कहीं न कहीं, मैं समझता हूं। लेकिन लोकतंत्र में हम प्रेस और लोग भी, हमारी सरकार ही ऐसी है जाने किस किस से झगड़ा करना पड़ रहा है। कई बार कई लोगों से हो गया झगड़ा लेकिन मैं समझता हूं कि जनता के बीच ठीक बात जानी चाहिए। आखिरकार अंततोगत्वा जनता को ही तय करना है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, समिति की रिपोर्ट और जो सदन चाहता है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में ''आज तक एवं ''हेडलाइन्स टुडे'' (वर्तमान में इण्डिया टुडे) चैनलों द्वारा प्रसारित स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की जांच हेतु गठित संसदीय समित के प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के विषय में सदन द्वारा अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व प्रतिवेदन में इंगित दोषी व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं इस हेतु प्रतिवेदन में वर्णित टी0वी0 टुडे नेटवर्क के समस्त दोषी पदाधिकारियों को दिनांक 26 फरवरी, 2016 को सदन में उपस्थित होने के निर्देश दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में सूखे की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य मा0 नेता विरोधी दल व अन्य श्री प्रदीप माथुर व अन्य तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल मा0 सदस्यगण द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नियम–52 में परिवर्तित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 में माननीय शिव पाल सिंह यादव जी, जो सिंचाई मंत्री हैं वह बाहर हैं उन्होंने अनुरोध किया है इस चर्चा को दूसरे दिन करने के लिए तो इसे टाल देते हैं फिर तय कर लेंगे।

[5.04, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज जितनी सूचनायें हैं सब स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अब यह बन गया है, सब हो गया है सबेरे बता देते तो उस समय सब मान लेते।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

अब आप 15 पढ़ेंगे एक साथ सब कह दें कि सभी सूचनायें स्वीकृत की जाती हैं बस हो गया।

श्री अध्यक्ष–

यह 54 सूचनायें हैं। ठीक है, यह सभी सूचनायें स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत के ग्राम खिंदौड़ा की निवासी सुश्री साक्षी चौहान के साथ दिनांक 30 जनवरी, 2016 को अपहरण होने के उपरान्त दुष्कर्म/हत्या किये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तब्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर में वर्ष 2015–2016 में सूखा एवं ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तब्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर में एस0एम0आई0 रामनगर द्वारा बड़े पैमाने पर की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना डा0 मो0 अयूब की जनपद सन्तकबीर नगर के टेमॉ सेमरियावा मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद शामली अन्तर्गत ग्राम सभा लिनोन में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आंवटित किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री पूरन प्रकाश की प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रावास शुल्क समेत अन्य शुल्कों का भुगतान किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के कतिपय ग्राम सभाओं स्थित नेशनल हाई–वे 2 व गोवर्धन रोड के दोनों तरफ बसी आबादी से उत्सर्जित जल की समुचित निकासी हेतु गहरे नालों का निर्माण कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के नगर पालिका मुबारकपुर में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड में ठेकेदार की मिलीभगत से सरकारी धन का

दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत गांव सराय घासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर पड़ने वाले पुल के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्राथमिक विद्यालय प्रथम निगोही में कार्यरत रसोईयों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री आशीष कुमार यादव की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवीं सूचना डॉ0 मो0 मुस्लिम की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौदहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पन्द्रहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सोलहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्रहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अठ्ठारहवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बीसवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, इक्कीसवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बाइसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेइसवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौबिसवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पचीसवीं सूचना श्री जगराम पासवान की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छब्बीसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अठ्ठाइसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्तीसवीं सूचना श्री रविन्द्र जायसवाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तीसवीं सूचना श्री लोकेन्द्र सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, इक्तीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बत्तीसवीं सूचना श्री रवीन्द्र भड़ाना की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेतीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौतिसवीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पैतीसवीं सूचना श्री सन्त राम कुशवाहा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छत्तीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सैतिसवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अडतीसवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उनतालिसवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चालिसवी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, इकतालिसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बयालिसवीं सूचना श्रीमती बिमला बाथम की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तैंतालिसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चवालिसवीं सूचना श्री सुरेश बंशल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पैंतालिसवीं सूचना मो0 जासमीर अन्सारी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छियालिसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सैंतालिसवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अड़तालिसवीं सूचना डॉ0 धर्मपाल सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उनचासिवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पचासवीं सूचना श्री मनीष असीजा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, इक्यानवीं सूचना श्री इन्दल कुमार की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

बावनवीं सूचना श्री गयादीन अनुरागी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तिरपनवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौवनवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जन सन्देश टाइम्स दैनिक समाचार–पत्र अम्बेडकर नगर के ब्यूरो चीफ श्री करुण मिश्र की 13 फरवरी, 2016 को हुई क्रूर एवं निर्मम हत्या के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगन)

(माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद जालौन के उरई नगर के मोहल्ला लहरिया पूरा की भूमि को भू–माफियाओं को बेचे जाने के उपरान्त बस्तियों पर बुलडोजर चलवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संतराम कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री संतराम कुशवाहा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15–02–2016 को नियम–56 के अंतर्गत दी गयी सूचना में ....

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्अवगत कराया गया है कि जनपद जालौन के उरई नगर के मोहल्ला लहरिया पुरा में दिनांक 09–02–2016 से लगातार नगर पालिका अध्यक्ष, ई0ओ0 एवं जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट की सह पर मलिन बस्ती जो लगभग 10–15 वर्षों से अपना आशियाना बनाये हैं, जिनको नोटरी बैनामा द्वारा प्राप्त किया गया तथा 100 से अधिक मकान जिनका कई वर्षों से बिजली पानी एवं नगर पालिका को हाउस टैक्स दे रहे हैं। नगर पालिका एवं जिला प्रशासन द्वारा उनके मोहल्ले से सी0सी0 रोड, नाली बनवा दी गयी थी और बिजली पानी की व्यवस्था भी सुचारु रूप से कर दी गयी थी, लेकिन भू–माफियों के सह पर नगर पालिका एवं जिला प्रशासन द्वारा बुल्डोजर से गरीब दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। यहां तक की

नोट :–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनका सामान, बर्तन, बिस्तर आदि मलबे में दबा दिया है। इस दमनकारी कहर के कारण मोहल्ले के लगभग 2000 की आबादी में बच्चे, बूढ़े एवं महिलायें खुले आसमान के नीचे भूखे, प्यासे बिलखते दिखायी दे रहे हैं। ऐसी दर्दनाक घटना को देखते हुए उरई नगर में दयनीय विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा पत्राचार एवं व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग की गयी है।

2–प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, जालौन द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद जालौन के उरई नगर के मोहल्ला लहरिया पुरवा में नजूल भूमि की गाटा संख्या–474, 476 व 477 में ''आसरा योजना'' के अन्तर्गत 60 आवासों एवं ''शेल्टर होम'' के निर्माण हेतु प्रस्ताव 02 वर्षों से लम्बित था। उक्त भूमि पर डूडा एवं कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। नजूल भूमि पूर्व से खाली पड़ी हुयी थी जिस पर आये दिन अतिक्रमण हो रहा था। अतिक्रमण को रोकने के लिये कई बार मौखिक रूप से मना किया गया, किन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के कारण कार्य कराये जाने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उक्त के दृष्टिगत उक्त स्थल से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सभी को सूचना देकर तथा व्यापक मुनादी कराने के उपरान्त नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर नजूल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है।,

जनपद गोरखपुर के थाना चौरी–चौरा अन्तर्गत पार्टी कार्यालय पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–0466/2015 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश निषाद का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश निषाद उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री बाला प्रसाद अवस्थी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बाला प्रसाद अवस्थी उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा अन्तर्गत ग्राम सिंगापुर से जेठरा होते हुए सरैया तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद कुशीनगर स्थित नवनिर्मित खड्डा नगर तहसील को यथा स्थान रखे जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री विजय कुमार दुबे का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार दुबे उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलैट को डार्क श्रेणी से हटाकर ग्रे श्रेणी में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्ररहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री अनीसुर्ररहमान का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अनीसुर्ररहमान उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कतिपय ग्रामों के घरों के ऊपर से खींचे 11000 वोल्ट हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये .....

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख गये हैं मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत निम्न जगह पर लोगों के घरों के ऊपर से 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन गुजर रही है। जिससे आये दिन हादसे हो रहे हैं तथा भविष्य में भी गम्भीर हादसों की सम्भावना बनी हुई है :–

1–खनवर नवादा में अम्बेडकर संस्थान व अन्य घरों के ऊपर हाईटेंशन लाइन

2–पाण्डेयपुर (संवरा) में चौहान बस्ती के ऊपर हाईटेंशन लाइन

3–चिन्तामणिपुर में राजभर बस्ती के ऊपर हाईटेंशन लाइन

4–संवरा चट्टी पर लोगों के घरों के ऊपर हाईटेंशन लाइन

5–ग्रामसभा कैलीपाली में लोगों के घरों के ऊपर हाईटेंशन लाइन

6–नगरपालिका क्षेत्र के आजाद नगर कालोनी के ऊपर हाईटेंशन लाइन

उपरोक्त जगहों पर घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की वजह से बराबर दुर्घटनायें कारित हो रही हैं तथा लोगों की जानमाल की अत्यधिक हानि हो रही है। जनहित में भविष्य में इस प्रकार कोई दुर्घटना कारित न हो इसलिये घरों के ऊपर से गुजरने वाली 11000 वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन को वहां से शिफ्ट किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) में ग्राम सभा खनवर नवादा, पाण्डेयपुर, चिन्तामणिपुर, सवरा, कैलीपाली एवं नगरपालिका क्षेत्र की आजाद नगर कालोनी के ऊपर से गुजरने वाली 11000 वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सभी लाइनें पहले से ही बनी थी, इसके बाद इसके नीचे लोगों ने बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया। अतः इस प्रकार की लाइनों का स्थानान्तरण ऊर्जा विभाग द्वारा अपने खर्चे पर नहीं किया जाता। फिर भी उक्त लाइनों को अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जमा योजना/मा0 विधायक निधि योजना में धनराशि जमा करने की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक धनराशि का प्राक्कलन बनाकर एवं वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता होने पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनसुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइनों की गार्डिंग का कार्य माह मई, 2016 के अन्त में करा लिया जायेगा।,

प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परिसर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने खर्चे पर एक निश्चित सीमा तक बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्य श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना' उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोनिया क्षेत्र में कोनिया घाट के सामने वरुणा नदी पर पूर्वांचल राज्यांश अथवा अन्य किसी मद से पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

बरेली महानगर में 78 करोड़ से अधिक यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत बने 17 ओवर हेड टैंकों द्वारा शीघ्र पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य डा0 अरूण कुमार का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य डा0 अरूण कुमार उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में तैनात संयुक्त निदेशक क्षय/राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी द्वारा बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के साथ की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री अविनाश कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री अविनाश कुशवाहा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अविनाश कुशवाहा उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

प्रदेश के बन्द पड़े लगभग 17000 ईंट भट्ठों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर अवगत कराना है कि ईंट भट्ठों के लिये.....

श्री मोहम्मद रेहान–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खमिट्टी खनन हेतु पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0 में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पूर्व से गठित है जिनसे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना होता था। 5 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिज (जिसमें साधारण मिट्टी भी सम्मिलित है) के खनन से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–125, दिनांक 15–01–2016 एवं अधिसूचना संख्या–166 दिनांक 20–01–2016 द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) एवं जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति (डी0ई0ए0सी0) का गठन कर दिया गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक 25–01–2016 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं तथा पत्र दिनांक 04–02–2016 एवं दिनांक 11–02–2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पुनः अनुस्मरण कराते हुए तत्काल अनुपालन करते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद स्तर पर उक्त प्राधिकरण व समिति के गठन के परिणामस्वरूप ईंट भट्ठों के लिये मिट्टी खनन हेतु (5 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिये अब पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 में गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। उक्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति जनपद स्तर पर ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से प्राप्त हो जायेगी। उपरोक्त व्यवस्था से ईंट भट्ठों के लिये मिट्टी खनन हेतु पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने में भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 24–02–2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 23 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :–[, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0–एल0 55 विधान सभा (67) 06–06–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।